महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

बी एड- (प्रथम सत्र)

समकालीन भारतीय शिक्षा

(Contemporary India and Education)

शिक्षा 003

दूर शिक्षा निदेशालय

शिक्षा ००३: समकालीन भारतीय शिक्षा

(Contemporary India and Education)

- पाठ्यक्रम -

यह पाठ्यक्रम भारत की शैक्षिक व्यवस्था के सन्दर्भ में विद्यालयी शिक्षा के विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से परिचित कराता है। यह अन्य स्तरों से विद्यालयी शिक्षा के सम्बन्ध और इसके संगठनात्मक ढाँचे के बारे में भी बताता है। इसके साथ शिक्षा में गुणवत्ता संबंधित बहस से भी जोड़ता है।

इकाई १: आधुनिक शिक्षा का विकास:

भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य–वैदिककालीन,बौद्ध कालीन तथा मध्ययुगीन शिक्षा १८०० से १९४७ के दौरान हुए प्रयासों का विहंगमावलोकन; स्वतंत्र भारत में गठित विभिन्न आयोगों और समितियों की संस्तुतियों का अध्ययन, इनका क्रियाकरण और वर्तमान शिक्षा के विकास में उनकी भूमिका

इकाई २: सांगठनिक और प्रशासनिक संरचना:

पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षा से जुड़े प्रशासनिक अभिकरण: एम.एच.आर.डी., सी.बी.एस.ई, एन.सी.ई.आर.टी., एस.सी.ई.आर.टी., डायट (डी.आई.ई.टी.),बी. आर. सी. और सी. आर. सी

इकाई ३: विद्यालय संगठन व प्रबन्ध:

प्रबन्ध समिति व इसके कार्य, विद्यालय प्रशासन समुदाय की सहभागिता, विद्यालय बजट, भौतिक संसाधन, पाठ्यचर्या का नियोजन पाठ्यसहगामी: विद्यालय अनुशासन; समय सारणी; विद्यालय सुरक्षा; स्वास्थ शिक्षा; मध्याह्न भोजन व अन्य योजनाएँ।

इकाई ४: समकालीन विमर्श:

शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा के अधिकार कानून २००९ के बाद आए बदलाव; महिलाओं, आदिवासियों एवं हाशिए के समुदाय से जुड़े लोगों की शिक्षा, प्रगतिशील विद्यालय जैसे– राजघाट स्कूल, ओरोविलो, आनन्द निकेतन

इकाई योजना

इकाई १:

आधुनिक शिक्षा का विकास:

इकाई २:

सांगठनिक और प्रशासनिक संरचना:

इकाई ३:

विद्यालय संगठन व प्रबन्ध:

इकाई ४:

समकालीन विमर्श:

इकाई–१ आधुनिक शिक्षा का विकास

इकाई की संरचना

1.0 शिक्षण उद्देश्य

1.1 परिचय

1.2 विषय विवेचन

1.2.1 भारत में वैदिककालीन शिक्षा

1.2.2 भारत में बौद्धकालीन शिक्षा

1.2.3 भारत में मध्ययुगीन शिक्षा

1.2.4 1800 से 1947 के दौरान हुए प्रयासों का विहंगमावलोकन

1.2.5 स्वतंत्र भारत में गठित विभिन्न आयोगों और समितियोंकी संस्तुतियों का अध्ययन क्रियाकारण और वर्तमान शिक्षा के विकास में उनकी भूमिका

1.3 सारांश

1.4 अपनी प्रगति की जाँच के लिए अपेक्षित उत्तर

1.5 शब्दावली

1.6 कार्य आबंटन

1.7 क्रियाए

1.8 प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)

1.9 सन्दर्भ पुस्तके

1.1 शिक्षण उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद,आप

1) प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरुप जान पाएँगें ।

2) प्राचीन भारत,मध्ययुगीन भारत और बौद्ध काल की शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेगें।

3) स्वतंत्र भारत में शिक्षा के विकास और उससे जुडी विभिन्न संघटनाओं के बारे में जान सकेगें।

1.2 इकाई परिचय

प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरुप आध्यात्मिक था । यह स्वरुप समय के साथ बदलता गया और शिक्षा में बदलाव आते गए । वैदिक काल,बौद्ध काल ,और मध्य काल में शिक्षा के स्वरुप में निरंतर बदलाव आता गया । स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में शिक्षा का स्वरुप अंग्रेजी शासन के अनुरुप था । उस दौरान भारत की प्राचीन शिक्षा में अनेक बदलाव आये। शिक्षा का स्वरुप और माध्यम पूरी तरह बदल दिया गया । विभिन्न कमिशनों की संस्तुति उपरांत शिक्षा में नीतिगत परिवर्तन हुए । स्वतंत्र भारत में इन समस्याओं के समाधान के लिए कई शिक्षा आयोगों एवं समितियों का गठन हुआ । इन समितियों ने अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किये ।

1.3 विषय विवेचन

1.2.1 वैदिक युग में शिक्षा

प्रस्तावना

प्राचिन भारत की शिक्षा के अध्ययन की दृष्टि से आर्यो के आगमन से मुस्लिम राज्य के स्थापना तक के काल खंड को डॉ. अल्टेकर ने चार भागों में विभक्त किया है:–

1) प्रारंभ से 1000 ई. पूर्व – वैदिक काल।

2) 1000 ई. पूर्व से 200 ई. पूर्व – उपनिषद् काल।

3) 200 ई. पूर्व से 500 ई. – धर्मशास्त्र काल।

4) 500 ई. से 1200 ई. – पुराण काल।

भारत का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था आध्यात्मिकता पर आधारित थी। उसका उद्देश्य एक आदर्श जीवन की प्राप्ति कराना था। तत्कालीन शिक्षा में वेद, उपनिषद्, धर्म आदि का ज्ञान दिया जाता था।

वैदिक कालीन शिक्षा ही भारत की सर्वप्रथम शिक्षा-व्यवस्था मानी जाती है। यह शिक्षा मानवता, सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग, समर्पण पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना था। सत्य की खोज करना और मोक्ष प्राप्ति हेतु सतत प्रयत्न करते हुए परम परमेश्वर के प्रति असीम श्रद्धा रखना ही इस काल का मुख्य प्रयोजन माना जाता है।

वैदिककालीन शिक्षा का अर्थ

वैदिक काल में ज्ञान की संकल्पना अध्यात्म से जुड़ी थी। जीवन का उद्देश्य आत्मा का परमात्मा में विलीन करना था। ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा तक पहुँचा जा सकता था। ज्ञानार्जन करना वैदिक काल में साधना माना जाता था। ज्ञान की साधना करने के कारण ऋषियों–मुनियों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था।

वैदिककालीन शिक्षा के संस्कार

वैदिक काल में औपचारिक शिक्षा उपनयन संस्कार के बाद शुरु होती थी। उससे भी पहले विद्यारंभ संस्कार महत्वपूर्ण था। इस संस्कार से बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती थी। यह संस्कार ५ वर्ष की आयु में होता था। शिक्षा मतलब संस्कार, मनुष्य को सुसंस्कारी बनाने वाला संस्कार। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य के विकास की अपेक्षा की जाती थी।

वैदिककालीन इतिहास:– वैदिककालीन भारतीय इतिहास ५००० ई.पू. से २००० ई.पू. है। वैदिककालीन शिक्षा पद्धति में चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की शिक्षा दी जाती थी। इसमें देवताओं की आराधना, यज्ञ, कर्म व सृष्टि का निर्माण इत्यादि विषय शामिल थे। उल्लेखनीय बात यह है कि वैदिक काल में लिपि लेखन का प्रारम्भ नहीं हुआ था। एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढी के लागों को वेदों का मौखिक ज्ञान देते थे। कंठस्थ विद्या के माध्यम से यह वैदिक शिक्षा पीढी-दर-पीढी संरक्षित रहती थी।

वैदिक काल में वर्णव्यवस्था अस्तित्व में थी। उसमें ब्राह्मण,क्षत्रिय,वैश्य तथा शूद्र चार वर्ण थे। जिसे कहा जाता था। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था भी अस्तित्व में थी। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, सन्यासाश्रम व वानप्रस्थाश्रम इन चार आश्रमों में पूर्वजीवन बँटा था। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आश्रम के नियमानुसार आचरण करना पडता था।

आश्रमधर्म का पालन करने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के ऋण से उऋण होने की संकल्पना जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को चार ऋण उतारने होते थे:–

1) देवऋण 2) मातृ–पितृ ऋण 3) गुरुऋण 4) समाजऋण

इन ऋणों से उऋण होने के लिए इसके निम्नलिखित मार्ग बताये गये हैं:–

1) व्रत, देवऋण:– नियम

2) गुरुऋण:– विद्या का आदान-प्रदान,आदर,नम्रता

3) मातृ–पितृ ऋण:– संततिवर्धन, प्रजोत्पादन, श्राद्धपक्ष

4) समाजऋण:– मानव कल्याण, दानधर्म सेवा

आश्रमव्यवस्था में रहकर ऋण उतारने के लिए निम्नलिखित कार्य करने आवश्यक बताए गए है।

1) ब्रम्हचर्याश्रम:– इस अवस्था में गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करना अपरिहार्य था।

गुरु की सेवा करना, अध्ययन और मनन करना, चिंतन करना, फल कंद मूल एकत्रित करना धर्म व कर्तव्य समझा जाता था।

2) गृहस्थाश्रम:– इस आश्रम में देवऋण, गुरुऋण, मातृपितृ ऋण व समाज ऋण से उऋण होने को कहा गया है।

3) वानप्रस्थाश्रम:– इस आश्रम में एकांतवास में जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा की गई है।

4) संन्यासाश्रम:– अवस्था संसार से शारीरिक निवृत्ति लेने को कहा गया है। इसमें शारीरिक निवृत्ति लेकर मनन, चिंतन, साधना करना, भावी पीढी के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ तैयार करना आदि मुख्य कार्य बताए गए हैं।

पुरुषार्थ कुल चार हैं–धर्म,अर्थ, काम तथा मोक्ष।

1) धर्म:– वैदिक काल में कर्तव्य के लिए धर्म शब्द का उपयोग किया गया है। ऐसी कल्पना थी।

2) काम:– धर्म के पश्चात काम एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया जों भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक आवश्यकताएँ पूर्ण करने की इच्छा रखकर समाधान करने का प्रयत्न करता है।

3) मोक्ष:– मोक्ष का तात्पर्य तीव्र वासना से मुक्त होना है। वैदिक काल में जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मोक्ष है।

वैदिक काल की विशेषताएँ

1) सबसे बडा कालखंड

2) शिक्षा के केंद्र–गुरुकुल व आश्रम

3) परंपरागत शिक्षा परिवार से ही

4) गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ

5) गुरुकुल व आश्रम में शिक्षा प्रदान करने वालों का प्रभाव

6) भावी जीवन की तैयारी

1) सबसे बडा कालखंड:– वैदिक युग सबसे बडा कालखंड है। ३००० वर्ष तक इस युग का प्रभाव देखा गया है।

2) शिक्षा केंद्र गुरुकुल व आश्रम:–

वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र गुरुकुल व आश्रम था क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा प्रदान करनेवाली संस्था अस्तित्व में नहीं थी।

3) परंपरागत शिक्षा परिवार से ही:–

वैदिक कालखंड में परंपरागत शिक्षा प्राप्त करने का स्थान परिवार ही समझा जाता था क्योंकि वर्णव्यवस्था के दायरे में रहकर उन्हें परंपरागत काम ही करना पडता था।

4) गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ:–

वैदिक युगीन शिक्षा में गुरु का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। गुरुकुल के ऋषि अध्यापन कर्म के साथ ही राजाओं को मार्गदर्शन भी देते थे।

5) गुरुकुल व आश्रम में शिक्षा प्रदान करने वालों का प्रभाव:–

गुरुकुल व आश्रम प्रमुखों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उनके त्यागमय जीवन, ज्ञान व चारित्रिक गुणों के कारण वे सभी के आदरणीय थे।

6) सभी विद्यार्थियों से समान व्यवहार:–

वैदिक काल में शिक्षा मुख्यत: गुरु के आश्रम में ही दी जाती थी। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों से निष्पक्ष व्यवहार किया जाता था। सभी छात्रों का बिना किसी भेद भाव के एक समान मार्गदर्शन किया जाता था।

7) भावी जीवन की तैयारी:–

गुरुकुल व आश्रम पद्धति में विद्यार्थी को जीवन में सफल होने के लिए तथा अपनी आजीविकों पार्जन योग्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा के माध्यम से उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता था।

शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य

1) व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास

2) मोक्ष की प्राप्ति

3) जीवन की शिक्षा

4) सामाजिक कुशलता

5) संस्कृति का संरक्षण

6) चरित्र का निर्माण

7) नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश

1) व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास (Harmonious Development of Personality)

वैदिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास था। गुरु के सामीप्य में रहकर विद्यार्थी आत्म-संयम एवं आत्म सम्मान का पाठ पढ़ते थे।

2) मोक्ष की प्राप्ति (To attain salvation)

वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था। मनुष्य जीवन के चार मुख्य पुरुषार्थ माने गए है:– अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भारतीय संस्कृति के अनुसार तीन पुरुषार्थ के बाद ही चौथे पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। शिक्षा का तत्कालीन पाठयक्रम इसी उद्देश्य पर आधारित था।

3) जीवन की शिक्षा (Education for life):–

वैदिक काल की शिक्षा एक प्रकार की जीवन की शिक्षा थी। शिक्षा प्राप्ति के समय ही विद्यार्थियों को स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती थी।

4) सामाजिक कुशलता (Social Efficiency):–

वैदिक काल में विद्यार्थी मानसिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यो में भी कुशलता प्राप्त करते थे। जो उन्हें समाजोपयोगी कार्यो में दक्ष करती थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को उनकी रुचि और परम्परागत कर्म के अनुसार किसी उद्योग या व्यवसाय की शिक्षा अनिवार्य रुप से दी जाती थी।

5) संस्कृति का संरक्षण (Preservation of culture):–

वैदिक काल में शिक्षित ज्ञान को लिखकर संरक्षित करना अत्यन्त जटिल था इसलिए शिक्षक अपने विद्यार्थियों को वेदों के अध्याय कंठस्थ करा दिया करते थे। इससे वैदिक ज्ञान लिपि के अभाव में भी सुरक्षित बना रहता था। इस प्रकार संस्कृति की सुरक्षा भी तत्कालीन शिक्षा का उद्देश्य था।

6) चरित्र का निर्माण:–

वैदिक काल में छात्रों का चरित्र निर्माण सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। इसके लिये छात्रों को चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती थी। छात्र सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत कर विद्याध्ययन करते थे। इसके लिए वे अपने गुरु के चरित्र से प्रेरणा लेते थे।

7) नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश:–

छात्रों मे नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश करना वैदिककालीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को गुरु द्वारा विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए जाते थे। अतिथियोंका सत्कार, दीन-दुखियों की सहायता, दूसरों के प्रति नि:स्वार्थ व्यवहार और आदर्श पुत्र, पिता एवं पति के रुप में अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले उपदेश प्रमुख रुप से दिये जाते थे।

शिक्षा प्रणाली:–

1) उपनयन (Initiation):–

वैदिक काल में शिक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व में कुछ संस्कार किये जाते थे जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। उपनयन का अर्थ समीप ले जाना अर्थात बालक को शिक्षा की प्राप्ति के लिए समीप ले जाना। उपनयन एक संस्कार है जो विद्यार्थियों की उम्र के पाँचवे या छठवें वर्ष मे किया जाता था। इस संस्कार में शिष्य आश्रम के लिए उपयुक्त इंधन लेकर विनम्र भाव से गुरु के पास जाते थे। इस समय बालक के जन्म व कुल की जानकारी देना आवश्यक होता था। बालक को शिष्य के रुप में स्वीकार अथवा अस्वीकार करना गुरु की इच्छा पर निर्भर था। गुरु शिष्य को प्राथमिक उपदेश देते थे। तदनन्तर उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारम्भ होता था।

2) गुरुकुल पद्धति (Gurukul system):–

उपनयन संस्कार उपरान्त बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारम्भ हो जाती थी। इसके लिए उसे गुरु के आश्रम में ही रहना होता था। गुरु के आश्रम में रहकर जो शैक्षणिक संस्कार किए जाते थे उसे गुरुकुल शिक्षण पद्धति कहते हैं। वैदिक काल में छपाई कला का विकास न होने के कारण पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं थी इसलिये गुरु प्रदत्त ज्ञान ही विद्यार्थी सीखते थे। उस काल में पाठांतर पर अधिक जोर दिया जाता था। शिष्य गुरु के घर-परिवार में रहकर उनकी सेवा करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे।

3) शिक्षा का विभाजन:–

वैदिक युग में शिक्षा प्राथमिक व उच्च भागों में विभाजित थी। ५/६ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा गुरु के आश्रम में रहकर प्राप्त की जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए संस्थाएँ उपलब्ध थीं।

गुरुकुल पद्धति में विद्यार्थियों का अध्ययन एवं दिनचर्या ब्राम्हमुहूर्त में जागरण से रात्रि में शयन पर्यन्त जारी रहते थे। गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों से एक समान व्यवहार किया जाता था। विद्यार्थियों को वन में जाकर लकडी लाना, भिक्षा प्राप्त करना, सामूहिक व व्यक्तिगत कार्यक्रम में सहभागिता करना आदि कार्य करना अपेक्षित था। गुरुकुल में बालिकाओं का प्रवेश वर्जित था।

शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त विद्यार्थी स्वेच्छा से गुरु को दक्षिणा देते थे जिसे गुरुदक्षिणा कहा जाता था।

4) पाठयक्रम (curriculum):–

पाठय विषयों में दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, तर्क, विज्ञान, कल्प व छंद आदि को महत्व दिया जाता था। दोनों प्रकार की विद्याओं को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता था। वैदिक कालखंड में अध्ययन का प्रारम्भ करते समय वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद) से परिचित होना आवश्यक था। ऋग्वेद वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद है। यह ऋचाओं व स्तुति मंत्रों का संकलन है जिसमें विभिन्न देवताओं की स्तुतियॉ है। यजुर्वेद का उपवेद है सामवेद जो संगीतमय वेद है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है जिसके अंतर्गत गायन, वादन एवं नृत्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। अथर्ववेद की रचना चारों वेदों में सबसे बाद में हुई। इसमें सामान्य भौतिकवादी विषयों में गूढ दार्शनिक विषयों को सम्मिलित किया गया है। अर्थशास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है। इस ग्रंथ में राजनीति, राज्यों के प्रकार, संधि एवं युद्ध आदि की विस्तृत विवेचना की गई है।

5) अध्यापन पद्धति (Methods of Teaching):–

वैदिक काल में अध्ययन–अध्यापन पद्धति में पठन पाठन करना, वादविवाद व चर्चा में सहभागिता करना, आलोचना व विचार, स्मृतिगत करना इत्यादि अध्ययन-अध्यापन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था।

6) परीक्षा प्रणाली (Examination System):–

वैदिक काल में परीक्षा प्रणाली नही थी। परीक्षा प्रतिदिन ली जाती थी। पाठ पढाने से पूर्व मौखिक परीक्षा ली जाती थी। गुरुद्वारा छात्रों की शिक्षा का मूल्यांकन उनके दैनिक कार्य के आधार पर किया जाता था। परीक्षा पद्धति में मंत्र और वेदों की ऋचाओं को पूर्ण करने को कहा जाता था।

7) अनुशासन (Discipline):–

वैदिक काल में छात्र आत्म अनुशासित थे। वैदिक काल में गुरु एवं शिष्य का संबंध अत्यन्त उदार था। गुरु व्दारा शिष्य को दण्ड उसके आत्म सुधार या अन्त:करण की शुद्धता के लिए ही दिया जाता था।

8) स्त्री शिक्षा (Woman Education):–

वैदिक काल में स्त्री शिक्षा के दो थे पूर्ववैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था परंतु उत्तर वैदिक काल में भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार समाप्त कर दिया गया और विवाह के लिए न्यूनतम आयु घटाकर कम कर दी गई। यही से बालविवाह की प्रथा शुरु हो गई। उनमें से कई उच्च कुलीन स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की । अपाला, रोमसा, श्रद्धा, इडा, सरस्वती, इन्द्राणी, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषी स्त्रियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की।

9) व्यावसायिक शिक्षा (vocational Education):–

वैदिक काल में धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सैनिक शिक्षा, चिकित्साशास्त्र की शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा आदि का समावेश था।

10) गुरु शिष्य संबंध (Teacher Student Relationship):–

वैदिक काल में गुरुशिष्य के संबंध अत्यंत गंभीर एवं घनिष्ठ थे। शिष्य के लिए गुरु आध्यात्मिक पिता के रुप में माना जाता था। विद्यार्थी गुरु के प्रति अत्यन्त श्रद्धा व सेवाभाव रखते थे। गुरु की आज्ञा का पालन, उनकी सेवा, उनको दैनिक कार्यो में सहायता, व्यवस्था उनके लिए भोजन करना आदि छात्रों के प्रमुख कर्तव्य थे। गुरु का प्रमुख कर्तव्य छात्रों कों शिक्षा करना तथा उनके नैतिक, शारीरिक, बौद्धिक चारित्रिक व सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करना था। गुरु शिष्य के प्रति पुत्रवत् स्नेह रखते थे। अध्यापन के साथ-साथ वे छात्रों के वस्त्र व भोजन तथा चिकित्सा आदि का प्रबंध भी करते थे।

प्राथमिक शिक्षा (Primary Education):–

1) सामान्य शिक्षा:– प्राथमिक शिक्षा पर ब्राह्मणों का अधिकार नहीं था। अत: उन्होंने धर्म ग्रंथों में इनको स्थान न देकर उपेक्षा की थी।

2) प्रवेश:– सभी धर्म और जातियों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का आरंभ ५ वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार से होता था।

3) पाठ्यक्रम:– वैदिक मंत्रों का स्मरण एवं पठन करना तथा भाषा साहित्य एवं व्याकरण आदि का अभ्यास करना पाठयक्रम में सम्मिलित थे।

उच्च शिक्षा (Higher Education)

1) पाठयक्रम:– उच्च शिक्षा के पाठयक्रम में आध्यात्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा को समान महत्व दिया जाता था। आध्यात्मिक विद्या के अन्तर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद आदि विषय सम्मिलित थे। वही इतिहास, तर्कशास्त्र, भू–गर्भशास्त्र, भौतिकशास्त्र आदि लौकिक विषयों का पठन-पाठन भी किया जाता था।

2) प्रवेश:– उच्च शिक्षा केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को दी जाती थी। छात्र सामान्य रुप से क्रमश: ८, ११ और १२ वर्ष की आयु में शिक्षा–संस्था में प्रवेश करते थे। साहित्य एवं धर्मशास्त्र के अध्ययन की अवधि १० वर्ष तथा वेद के अध्ययन की अवधि १२ वर्ष की थी।

3) शिक्षण–विधि:– मुख्यत: प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रार्थ, प्रश्नोत्तर, वाद–विवाद आदि शिक्षण विधियॉ थी।

4) परीक्षाएँ:– छात्रों की मौखिक परीक्षा होती थी, लिखित परीक्षा नहीं होती थी।

शिक्षा संस्थाएँ:–

वैदिक काल में मुख्य शिक्षण संस्थाए–टोल, चरण घटक, गुरुकुल, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय थे। वैदिक काल में संपूर्ण भारत में शिक्षा के केंद्र थे। केंद्रों के आसपास रहनेवाले विद्यार्थी इसका लाभ उठाते थे। इनमें तक्षशिला व बनारस विश्व के प्रमुख विद्या केंद्र थे।

वैदिककालीन शिक्षा के गुण:–

1) व्यक्तित्व का विकास:– व्यक्तित्व का विकास वैदिक काल की प्रमुख विशेषता थी। छात्रों के व्यक्तित्व के विकास पर विशेष बल दिया जाता था। छात्रों को विभिन्न सद्गुणों के साथ साथ सामाजिक जीवन के लिये भी तैयार किया जाता था।

2) चरित्र निर्माण पर बल:– व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ वैदिक काल में चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था। उनके चरित्र निर्माण के लिए सदाचार की आत्मसात किया जाता था।

3) आध्यात्मिक शिक्षा पर बल:– वैदिक काल में आध्यात्मिक शिक्षा पर को महम्वपूर्ण मानते हुए वेदों के पठन-पाठन छात्रों को आत्म–ज्ञान के आधार पर शिक्षा के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया जाता था।

4) गुरुकुल प्रणाली पर बल:– वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली का प्रचलन था। गुरुकुल नगर से दूर एकान्त वन क्षेत्र में होते थे। वहॉ का वातावरण शन्त और सुरम्य हेाता था। विद्यार्थी उस प्राकृतिक एवं भोग-विलास रहित वातावरण में रहकर सदाचरण की शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल में मुख्य रुप से दर्शन,व्याकरण,ज्योतिक्ष,तर्क वितर्क,शास्त्रार्थ आदि का अध्ययन-अध्यापन किया जाता था। विद्यार्थी अपने गुरु के प्रति अत्यन्त विनम्र भाव रखकर उनकी सेवा करते हुए श्रद्धा एवं कृतज्ञता के साथ ज्ञान ग्रहण करते थे।

5) स्त्रियों की शिक्षा:– इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी उन्हें समाज में उच्च स्थान दिया जाता था।

6) आत्म अनुशासन पर बल:– वैदिक काल में छात्र स्वयं अनुशासित होते थे। गुरु और शिष्य के संबंध निकटतम और घनिष्ठ होते थे।

7) **व्यावसायिक शिक्षा:–** वैदिक कालखंड में व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया था। सैनिक, कृषि, गौ–विद्या, पशु–चिकित्सा आदि की शिक्षा दी जाती थी जिससे छात्र अपने आजीविका का प्रबंध कर सके। वैदिक कालखंड में व्यक्ति के जीवन से संबंधित एवं उपयुक्त शिक्षा दी जाती थी।

8) आदर्श शिक्षा पद्धति:– पाठयक्रम, अध्यापन पद्धति, शिक्षा, दिनचर्या आदि बातों में किसी भी प्रकार का राजकीय हस्तक्षेप नही था। गुरु का स्थान राजा से बढकर था। राजपुत्र हो या गरीब ब्राहमण का लडका सभी को साथ ही शिक्षा दी जाती थी।

वैदिककालीन शिक्षा के दोष:–

1) केवल संस्कृत भाषा पर जोर:– वैदिक कालखंड में शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती थी। इसलिए अध्ययन–अध्यापन में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता था परिणाम स्वरुप अन्य भाषाओं का विकास नहीं हो पाया।

2) शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा:– प्राचीन भारत में शूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे इसलिए उन्हे शिक्षा से वंचित रखा गया।

3) जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा:– प्राचीन काल में संस्कृत पर जोर दिया गया लोकभाषा की उपेक्षा की गई। और इसलिए जनसाधारण की शिक्षा का विकास न हो सका।

4) स्त्री शिक्षा की उपेक्षा:– प्राचीन कालखंड में स्त्रियो की शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई।

5) सांसारिक जीवन की उपेक्षा:–

शिक्षा में केवल आध्यात्मिक पक्ष को महत्व देने के कारण सांसारिक जीवन की उपेक्षा होने लगी।

6) वैचारिक स्वतन्त्रता का अभाव:–

प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिए जाने के कारण धर्मशास्त्रों में लिखी हुई बातों पर ऑख बंद करके विश्वास करने लगे इसलिये वैचारिक स्वतन्त्रता का अभाव दिखने लगा।

7) हस्तकार्य व शारीरिक श्रम के प्रति घृणा:–

धार्मिक शिक्षा का महत्व अत्यधिक होने के कारण हस्तकार्य व शारीरिक श्रम को महत्व कम मिला।

8) धर्म को अत्याधिक महत्व:–

प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया।

अपनी प्रगति की जाँच 1

1. वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए।
2. वैदिककालीन शिक्षा के गुण बताइए।

.....

1.2.2 बौद्धकालीन शिक्षा (Buddhistic Education) (500 B.C. 1200 A.D.)

वैदिक कालखंड में वैदिक धर्म प्रारंभ में अत्यंत सरल था। बाद में गुरुकुल पद्धति और ब्राह्मणों के एकाधिकार के कारण अनेक कर्मकांडों का समावेश हुआ। फलत: वैदिक धर्म जटिल होकर लुप्त होने लगा। जनता वास्तविक धर्म को भूलती गई। इस तरह वैदिक कालखंड के अंत में धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएँ आने लगीं। इन्ही समस्याओं एवं विषमताओं के सुधार के लिए बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जिसका प्रभाव तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर पडा। बौद्ध धर्म तत्कालीन जनता की भाषा में प्रचारित होने वाला तथा जन साधारण वाला धर्म था इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार और बौद्ध शिक्षा का विकास हुआ।

बौद्ध धर्म की पहचान:–

बौद्ध दर्शन के संस्थापक गौतम बुद्ध है। इसका समय १२०० ई. तक माना जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित धर्म को बुद्ध धम्म कहते हैं। धर्म और धम्म में मूलभूत अंतर बताया जाता है। धर्म में प्रार्थना है तो धम्म में वंदना होती है। धम्म में देवी–देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं होता हैं। धर्म आस्तिकवादी है तो धम्म नास्तिकवादी है। धम्म पूर्वजन्म पर विश्वास नहीं रखता, यह धर्म के कर्मकांड को भी नहीं मानता।

बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य:–

बौद्धकाल में शिक्षा मठों और विहारों में दी जाती थी। बौद्धकाल में कर्मकांड एवं यज्ञ विधि का कोई स्थान नहीं था।

बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य निम्न हैं:–

1) बौद्धधर्म के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना।

2) बौद्ध धर्म का प्रचार करना।

3) सत्य अहिंसा के आधार पर मानव समाज की स्थापना।

4) मोक्ष प्राप्ति

5) चरित्र का निर्माण

6) व्यक्तित्व का विकास

7) जीवन के लिए तैयारी

8) लौकिक एवं दैहिक सुखों का त्याग दिव्य मानवता की प्राप्ति।

बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएँ:–

गौतम बुद्ध ने चार आर्यसत्य बताए जो इस प्रकार हैं:–

1) सांसारिक जीवन दु:खमय है।

2) इन दु:खों का कारण तृष्णा है।

3) दु:खों का अंत संभव है।

4) दु:खों के अंत का उपाय है।

इन सत्यों को क्रमश: सर्वदु:खम्, दु:ख समुदाय, दु:ख निरोध तथा दु:ख निरोध मार्ग कहा जाता है।

दु:ख को नष्ट करने के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताये हैं।

अष्टांग मार्ग:–

1) सम्यक दृष्टि:– सत्य विश्वास तथा सत्य दृष्टिकोण

2) सम्यक संकल्प:– सत्य संकल्प अथवा सत्य विचार

3) सम्यक वाक्:– सत्य वचन बोलना।

4) सम्यक् कर्मान्त:– सत्कर्म करना।

5) सम्यक् आजीविका:– जीविका का साधन अच्छा होना।

6) सम्यक् व्यायाम:– सदैव प्रयत्नशील रहना।

7) सम्यक् स्मृति:– सभी कार्य विवेकपूर्ण करना।

8) सम्यक् समाधि:– चित्त की एकाग्रता

अष्टांग मार्ग का अनुसरण करते समय जिन नियमों का पालन किया जाता है उसे पंचशील कहते हैं। यह पंचशील अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इंद्रिय संयम तथा मादक पदार्थ का सेवन न करना है।

बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएँ

1) शिक्षा प्रणाली:– वैदिक कालखंड में गुरुकुल में तथा बौद्ध कालखंड में मठों व विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा के द्वार समान रुप से सभी समुदायों के लिए खुले थे।

2) संस्कार:– बौद्धकालीन शिक्षा में दो प्रमुख संस्कार थे।

1.पबज्जा संस्कार

2.उपसंपदा संस्कार

1) पबज्जा संस्कार:– बौद्ध काल में शिक्षा की शुरुआत पबज्जा संस्कार से होती है। पबज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। इस संस्कार का अभिप्राय था कि बालक अपने परिवार और पूर्व स्थिति का परित्याग करके, संघ में प्रवेश करता था। मठ के सबसे बड़े भिक्षु द्वारा यह संस्कार कराया जाता था।

विनय पिटक के अनुसार छात्र सिर के बाल मुंडवाकर पीले वस्त्र धारण करके प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करता था और पालथी मार के बैठकर तीन बार बुद्धम् शरणं गच्छामि, धम्म शरणम् गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि कहता था। ऐसा करने के बाद उन्हें श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था। बौद्ध मठों में शिक्षा की अवधि १२ वर्ष तक रहने की कारण इनकी शिक्षा २० वर्ष में पूरी हो पाती थी।

2) उपसंपदा:– शिक्षा पूर्ण होने के बाद भावी जीवन की व्यावहारिक कुशलता के लिए बौद्ध युग में उपसंपदा संस्कार होता था। यह प्राय: विद्यार्थियों के २० वर्ष की उम्र में होता था। उपसम्पदा संस्कार के समय मठ के सभी बौद्ध भिक्षु एक निश्चित तिथि पर एक स्थान पर एकत्रित होते थे। उपसंपदा के बाद श्रमण भिक्षु हो जाते थे।

3) शिक्षा ग्रहण की आयु आठ वर्ष:– साधारणत: बौद्ध कालखंड में २० वर्ष की आयु तक अध्ययन काल होता था। इसमें ८ वर्ष पबज्जा तथा १२ वर्ष उप संपदा का समय होता था।

4) वर्णाश्रम पद्धति का विरोध:– गौतम बुद्ध ने अपने काल में वर्णाश्रम पद्धति का प्रखर विरोध किया। यज्ञ के लिए पशुओं की बलि देने का विरोध किया।

5) शिक्षण विधि:– शिक्षण विधि में व्याख्यान वाद–विवाद, पर्यटन, सूत्र, स्वाध्याय, विश्लेषण आदि प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता था। मुख्यत: रटने पर बल दिया जाता था। बौद्ध युग की मौखिक भाषा पाली थी। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा को ही अपने प्रवचन का माध्यम बनाया था।

6) **पाठयक्रम:–** शिक्षा का प्रमुख उद्देश निर्वाण प्राप्ति था इसलिए बौद्धकालीन शिक्षा में पाठ्यक्रमों में धर्मशास्त्रों का स्थान प्रथम था। प्रमुख धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक था। बौद्ध कालीन शिक्षा निम्मिलिखित तीन भागों में विभाजित थी–

1) प्राथमिक शिक्षा 2) उच्च शिक्षा 3) विनय ग्रंथ

1) प्राथमिक शिक्षा:– इसमें बालक–बालिकाओं को पढना–लिखना, प्रारंभिक व्याकरण, प्रारंभिक गणित तथा धार्मिक आचार की शिक्षा दी जाती थी।

2) उच्च शिक्षा:– उच्च शिक्षा में धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक और लौकिक शिक्षा में उच्च शिक्षा का पाठयक्रम विभाजित था। धार्मिक पाठ्यक्रम केवल भिक्षुओं के लिए था। उनकों धार्मिक और जीवनोपयोगी दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। इसमें बौद्ध धर्म, साहित्य, त्रिपिटक, विनय, धम्म आदि मुख्य धार्मिक विषय थे। जीवनोपयोगी विषयों में मठों और विहारों के निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान दान की सम्पति का प्रबंध और हिसाब–किताब आदि सम्मिलित थे। लौकिक पाठ्यक्रम साधारण नागरिकों के लिए था। इसके पाठ्यक्रम में धर्मशास्त्र, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि का समावेश था।

अत: बौद्धकालीन शिक्षा के पाठयक्रम में धार्मिक, दार्शनिक एवं लौकिक विषयों के समन्वय के कारण पाठ्यक्रम सर्वसुलभ, उपयोगी, व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक था।

3) विनयग्रंथ:– विनयग्रंथ का अध्ययन करना यह बौद्धकालीन पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक था। भगवान गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके उपदेशों को ग्रंथरुप में संकलित किया गया। बौद्ध भिक्षु व संघ विषयक नियम अर्थात विनय। इस विनय के एकत्रीकरण को विनयपिटक ग्रंथ कहते है।

4) व्यावसायिक शिक्षा:– बौद्ध काल मे व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया था। भिक्षुओं और जनसाधारण को व्यावसायिक शिक्षा की निम्नलिखित सुविधाएँ थी–

1) हस्तशिल्पों की शिक्षा:– महावागा के अनुसार बौद्ध काल में मठों में ही भिक्षुओं को विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उनको सूत कताई, बुनाई, मूर्तिकला, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी।

2) लाभप्रद व्यवसायों की शिक्षा:– भिक्षुओं और जनसाधारण के लिए अनेक लाभप्रद व्यवसायों की शिक्षा की व्यवस्था थी, ताकि वे अपनी जीविका का सरलता से उपार्जन कर सके इनकी कृषि, वाणिज्य, लेखन कला, पशु पालन आदि की शिक्षा दी जाती थी।

3) भवन निर्माण कला, मूर्तिकला व चित्रकला की शिक्षा:– बौद्ध काल में भवन निर्माण की विशिष्ट शिक्षा उपलब्ध थी इसलिए इस काल में इस कला का आश्चर्यजनक विकास हुआ। विविध बौद्धकालीन स्तूप एवं नालंदा और विक्रमशिला की विशाल इमारतें इस बात का प्रमाण है।

4) प्रविधिक व वैज्ञानिक शिक्षा:– बौद्ध कालखंड में प्रविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान था। आखेट, चिकित्सा, धनुर्विद्या, इन्द्र–जाल, हस्ति–ज्ञान, भविष्य कथन इंद्रिय संबंधी सब कार्यों पर नियंत्रण करने की कला आदि की शिक्षा तक्षशिला में प्रदान की जाती थी।

5) चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा:– बौद्ध काल में चिकित्साशास्त्र का मुख्य केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी अवधि सात वर्ष की थी। जीवक, चरक, धन्वंतरि आदि महान आयुर्वेदाचार्य बौद्ध कालखंड में ही हुए।

6) परीक्षा:–

बौद्ध कालखंड में परीक्षा पद्धति विशेषरुप से प्रचलित नही थी। शिक्षा प्रारंभ होने पर या बीच में भी कभी परीक्षा नही ली जाती थी। परंतु शुरुआत में कुछ विधियों का उपयोग अवश्य किया जाता था। बौद्ध भिक्षु होने के लिए उपसंपदा विधि होती थी। विहार में आनेवाले भिक्षु से नाम, उम्र आदि के संबंध में प्रश्न पूछकर, पूर्ण समाधान होने पर ही उसे भिक्षु संघ की सदस्यता दी जाती थी। सीखते समय भिक्षुओं का अवलोकन किया जाता था। नियमों का कठोरता से पालन करना पडता था। नियमों का उल्लघन करने पर प्रायश्चित करने का प्रावधान था।

7) गुरु–शिष्य संबंध:–

वैदिक कालखंड की तरह बौद्ध शिक्षा पद्धति में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान था। समाज में उनका आदर किया जाता था। वे तत्वज्ञानी, आत्मसंयमी एवं सच्चचरित्र होते थे। आचार्यों और शिष्यों में पिता–पुत्र की तरह संबंध थे।

शिष्य खुशी से गुरु की सेवा करते थे। भिक्षाटन करना तथा गुरु के कपडे साफ करना विद्यार्थियों का कर्तव्य था। शिष्य गुरु की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करते थे। गुरु भी अध्ययन के अतिरिक्त उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते थे।

8) शिक्षा केंद्र:– बौद्ध मठ या विहार वाले स्थान में ही शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गए।

1) नालन्दा विश्वविद्यालय

2) विक्रमशिला विश्वविद्यालय

3) वल्लभी विश्वविद्यालय

4) मिथिला विश्वविद्यालय

9) स्त्री शिक्षा:–

बौद्ध कालखंड में स्त्री–शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। भगवान बुद्ध पहले स्त्री को सिद्धि के लिए बाधक समझते थे इसलिए संघ में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध माना गया। परंतु बाद में अपने प्रिय शिष्य आनंद की प्रार्थना स्वीकार करके स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। भिक्षुणी बनकर वे भी मठ के नियमों एवं अनुशासन का पालन करती थी। आजन्म ब्रम्हचारिणी रहती थी। इन भिक्षुणियों में से भी शिक्षक होती थी जो उपाध्याय कहलाती थी। वे विदुषी होती थी और सद्मार्ग पर चलकर पवित्र एवं अनुशासित जीवन बिताती थी। इन भिक्षुणियों में संघमित्रा, सुमेधा, शुभा, अनुपमा इत्यादि के नाम उल्लेखनीय है।

बौद्ध शिक्षा के गुण:–

1) बौद्ध कालखंड में सुसंगठित शिक्षा संस्थाए स्थापित हुई।

2) शिक्षा का माध्यम जनसामान्य की भाषा 'पाली' था।

3) धार्मिक शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया।

4) सार्वत्रिक शिक्षा की सुविधा होने के कारण शिक्षा के द्वार सभी के लिए खुल गये।

5) सरकारी नौकर, डाकू, सजा काटे हुए लोगों को मठ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।

6) शिक्षण में अनुशासन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।

7) शिक्षा का माध्यम जनसामान्य की भाषा पाली था।

8) सामूहिक शिक्षा पद्धति पर जोर दिया गया।

9) स्त्री शिक्षा का विकास हुआ।

10) जाति–पाति एवं वर्णव्यवस्था का लोप हुआ।

11) सांस्कृतिक संबंध दृढ करने में बौद्ध–शिक्षा का प्रमुख स्थान है।

12) बौद्ध शिक्षा सत्य एवं अहिंसा पर आधारित थी।

13) बौद्ध शिक्षा में यज्ञ और कर्मकांड का निषेध था।

14) शिक्षा में लौकिक विषयों का समावेश था।

15) समाज में नैतिक मूल्य तथा आचार, समता इत्यादि को महत्व दिया गया था।

16) शिक्षा के शैक्षणिक केंद्र प्रसिद्ध थे।

17) छात्रों का सर्वांगीण विकास अहम् था।

बौद्धकालीन शिक्षा के अवगुण:–

1) धार्मिक शास्त्रों के शिक्षण की प्रधानता रहने के कारण कला कौशल का विकास कम हुआ।

2) शिक्षा में अहिंसा तत्व पर बल दिये जाने के कारण सैनिक शिक्षा की ओर ध्यान नही दिया गया।

3) बौद्ध धर्म के पतन के कारण शिक्षा की व्यवस्था बिगड गई थी।

4) बौद्ध कालखंड में हस्तकार्य के प्रति घृणा पैदा होने लगी।

5) स्त्री शिक्षा सामान्य स्त्री तक नही पहुँच सकी।

6) अन्य धर्मावलंबी शिक्षकों को बौद्ध–मठों में प्रवेश निषेध होने के कारण संकुचित दृष्टिकोण पैदा हुए।

7) संसार को क्षणभंगुर एवं मिथ्या कहकर बौद्ध शिक्षा ने पलायनवाद को बढावा दिया।

8) इस शिक्षा से भिक्षुओं को अधिक बढावा मिला तथा कृषकों एवं अन्य समाजोपयोगी नागरिकों को अपेक्षाकृत कम बढावा मिला।

बौद्ध शिक्षा की आधुनिक भारतीय शिक्षा को देन

1) सामान्य विद्यालय

2) सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा

3) सभी धर्म और जातियों के बालकों के लिए समान शिक्षा का अवसर

4) स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था

5) लौकिक और सामान्य विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था

6) व्यावसायिक और लाभप्रद विषयों की शिक्षा की व्यवस्था

7) उच्च स्तर पर सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक शिक्षा की व्यवस्था

8) शिक्षा के विभिन्न स्तरों का विकास

9) खेल कूद एवं शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था

10) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्यापन की निश्चित अवधि की व्यवस्था

अपनी प्रगति की जाँच 2

1)बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं बताइए।

2)बौद्ध शिक्षा के गुण बताइए।

.....

1.2.3 मध्ययुगीन शिक्षा

भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था इसीलिए भारतवर्ष पर सबसे अधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। भारत पर वस्तुत: मुस्लिम लुटेरों ने सबसे अधिक आक्रमण किए। भारत पर मुसलमानी शासन का विशेष प्रभाव सन् ११९२ से लगातार १७०८ तक रहा। मुस्लिम शासक भारतीय संस्कृति की जगह मुस्लिम संस्कृति को प्रतिष्ठित करने की भी कोशिश करते रहे। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक मुहम्मद गौरी ने पाठशालाओं को खत्म कर वहॉ मकतब एवं मदरसे बनवाए। बाद में कुतुबद्दीन ने विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट कर दिया फिर भी मुगलकाल मध्यकालीन शिक्षा का स्वर्णकाल कहलाता है। इस काल में कला, संगीत,न्याय, कृषि, चिकित्सा, शिल्पकला आदि के क्षेत्र में प्रगति हुई है।

मध्ययुगीन काल में शिक्षा के उद्देश्य

1) धर्म का प्रचार

2) इस्लामी नैतिकता का विस्तार

3) ज्ञान का प्रसार

4) मुस्लिम संस्कृति का प्रसार

5) इस्लामी नैतिकता की प्रतिस्थापना

6) धन, यश के साथ उँचे ओहदे पाना

7) राजनीतिक व्यवस्था का प्रचार

8) कला कौशल्य का प्रचार

9) धर्म प्रेरणा

10) सांसारिक सुख की प्राप्ति

11) राजनीतिक शिक्षा

1) धर्म का प्रचार:– मध्ययुगीन काल में धर्म का प्रचार करना महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसके लिए मुस्लिम शासकों ने मकसद के साथ मकतब या मदरसे खोले।

2) इस्लामी नैतिकता का विस्तार:– भारत में मुसलमानों ने शिक्षा के द्वारा एक विशेष सामाजिक एवं लौकिक नीति का प्रचार किया।

3) ज्ञान का प्रसार:– मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य जनता के बीच ज्ञान का प्रकाश फैलाना भी था।

4) मुस्लिम संस्कृति का प्रसार:– मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना भी मुस्लिम शिक्षा का उद्देश था। शिक्षा ही एक माध्यम था जिसके व्दारा मुस्लिम सिद्धान्तों, कानून, सामाजिक परंपराओं तथा प्रथाओं का ज्ञान भारतीय मुसलमानों को कराया जा सकता था।

5) इस्लामी नैतिकता की प्रतिस्थापना:– मुसलमानों के नैतिक तथा चारित्रिक प्रतिमान हिन्दुओं से भिन्न थे इसीलिए इस्लामी नैतिकता की प्रतिस्थापना करने के कार्य में शिक्षा से विशेष रुप से सहायता ली जा सकती थी।

6) धन, यश के साथ ऊँचे ओहदे पाना:– शिक्षा में विशेष श्रेणी प्राप्त करनेवालों को उँचे पद दिये जाते थे।

7) राजनीतिक व्यवस्था का प्रचार:– भारत की उच्च राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट कर अपनी राजनीतिक व्यवस्था का प्रसार एवं प्रचार किया।

8) कला कौशल का प्रचार:– मुस्लिम शिक्षा व्दारा इस्लामी कला कौशल का भी प्रचार किया गया।

9) धर्मप्रेरणा:– मुसलमानों को प्रेरणा देकर पूर्णतया धर्मपरायण बनाना यह मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य था। इस उद्देश्च में ही मकतब तथा मदरसों की स्थापना मस्जिदों से जोडकर की जाती थी।

10) सांसारिक सुख की प्राप्ति:– शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को मुसलमान साक काजी, वजीर तथा सिपहसालार आदि पदों पर नियुक्त करते थे। इस प्रकार मध्ययुग में सांसारिक वैभव की प्राप्ति करना भी मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था।

11) राजनीतिक शिक्षा:– मुस्लिम शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य देश में राजनितिक स्थिरता उत्पन्न करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम शिक्षा का प्रसार करना परम आवश्यक था।

शिक्षा व्यवस्था:–

मुस्लिम शिक्षा की दो प्रमुख संस्थायें थी:–

1) मकतब (प्रारंभिक शिक्षा)

2) मदरसा (उच्च शिक्षा)

मकतबों में प्राथमिक शिक्षा और मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। इनकी स्थापना साधारणत: मुस्लिम शासकों और धनी व्यक्तियों द्वारा की जाती थी। इन शिक्षण संस्थाओं में हिंदू छात्रों को प्रवेश नहीं मिलता था।

1) मकतब और प्रारंभिक शिक्षा:–

मकतब का अर्थ:– मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से आया है। कुतुब का अर्थ है – उसने लिखा। इस तरह मकतब का अर्थ हुआ वह स्थान जहॉ लिखना सिखाया जाता है।

मकतब के प्रधान आलिम होते थे। मकतब मस्जिद से ही संलग्न थे। अत: प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय एक–से थे जिन्हें मकतब कहा जाता था। शिक्षा के प्रारंभ में बालकों का बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। इस दिन बालक को नए कपड़े पहना कर मौलवी उसे कुरान की भूमिका सुनाते थे तथा बालक से बिस्मिल्लाह शब्द कहलवाते थे।

पाठ्यक्रम:–

सर्वप्रथम बालकों को वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता था। जब छात्रों को लिपि का भली प्रकार ज्ञान हो जाता था तो उसे फारसी भाषा और व्याकरण पढाते थे। कुरान के आयतें रटना आवश्यक होता था। धार्मिकता एवं नैतिकता का विकास करने के लिये उन्हें कहानियॉ, फारसी, कविताएँ, गुलिस्तॉ और बौसता पढ़ाते थे।

शिक्षण प्रणाली नाजिरा:–

मकतबों में मौखिक शिक्षा पर विशेष रुप से ध्यान दिया जाता था। कलम और कुरान की आयतें बिना समझे छात्रों को रटा दी जाती थी। यह विधि नाजिरा कहलाती थी।

मदरसा और उच्च शिक्षा:–

मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा में लिए छात्र मकतब से मदरसा में प्रवेश लेते थे।

मदरसे की विशेषताएँ

1) प्रबंध समिति:– मदरसे प्रबंध समितियों या दान देनेवाले धनिकों द्वारा चलाये जाते थे। इनका क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय होता था। राज्य की ओर से भी मदरसों को आर्थिक सहायता मिलती थी। यद्यापि राज्य में कोई शिक्षा विभाग नहीं था, फिर भी मदरसे को कुछ जागीरें दे दी जाती थीं, जिनकी आमदनी से शिक्षकों के वेतन तथा छात्रावास के खर्च चलते थे।

2) पुस्तकालय:– प्रत्येक मदरसे के पास एक पुस्तकालय होता था। जिनमें अनेक विषयों से संबंधित ग्रंथों का संकलन होता था।

3) शिक्षा का पाठयक्रम:– शिक्षा में लौकिक तथा पारलौकिक दो तरह की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी भाषाएँ थीं। लौकिक शिक्षा में अरबी, कानून, ज्योतिष, भूगोल, व्याकरण, चिकित्सा, गणित आदि की शिक्षा दी जाती थी। पारलौकिक शिक्षा का संबंध कुरान के गहन अध्ययन से था। जिसमें कुरान, सूफी धर्म तथा इस्लामी कानून आदि का ज्ञान दिया जाता था।

4) छात्रावास:– मदरसों में दूर–दूर के छात्र पढने के लिए आते थे। इन छात्रों के लिए छात्रावास का प्रबंध था। ये छात्रावास शहर के बीच में रहते थे जिससे उन्हें आवश्यक कार्यो में सुविधा होती थी।

इस तरह मुस्लिम कालखंड में मदरसों का प्रबंध उत्तम था। फिर भी यह शिक्षा बहुत कम विद्यार्थी प्राप्त करते थे। राजकुमारों की शिक्षा राजमहलों में ही बडे–बडे विद्वानों, राजनीतिज्ञों तथा विशारदो व्दारा होती थी।

गुरु एवं शिष्य:–

मुस्लिम युग में गुरु का स्थान बहुत उँचा था। वे धार्मिक नेता भी होते थे। वे सामाजिक एवं धार्मिक दोनों कामों मे भाग लेते थे। धार्मिक होने के कारण वे बडे ही त्यागी और पवित्र होते थे। वे छात्रों को पुत्रवत समझते थे। छात्र गुरु का सम्मान करते थे। छात्र मदरसों में छात्रावास में रहते थे। वे गुरु की सेवा करते थे तथा गुरु के जीवन निर्वाह संबंधी अन्य कार्यो में सहयोग भी देते थे।

स्त्री–शिक्षा:– पर्दा प्रथा के कारण सामान्य स्त्रियों के लिए शिक्षा लेना संभव नही था। उच्च घराने की स्त्रियों को ही शिक्षा का अधिकार था। उनकी शिक्षा का प्रबंध अलग से किया जाता था। लड़कियों के लिए अलग से परंतु कम मदरसे थे। स्त्री शिक्षा के प्रमुख विषय धर्मग्रंथों का मनन तथा गृहशास्त्र थे। घर पर शिक्षा प्राप्त करके अनेक महिलाएँ विदुषी बन गई, जिनमें नूरजहॉ, जहॉआरा, मेहरुन्निसा, मुमताजमहल, बेगम गुलबदन इत्यादि के नाम प्रमुख हैं।

दंड व्यवस्था:– मुस्लिम कालखंड में दंड व्यवस्था अति कठोर थी। छात्रों को भूल करने पर कठोर दण्ड दिया जाता था। दण्ड प्राय: शारीरिक होता था। शरारती लडकों को चॉटे, बेंत, लात, घूसे, तथा मुर्गा बनाने की सजा दी जाती थी फिर भी योग्य और प्रतिभावान छात्रों को तमगे और सनगे देकर पुरस्कृत भी किया जाता था।

सैनिक शिक्षा:– युद्ध प्रेमी होने के कारण मुसलमान शासकों ने सैनिक शिक्षा पर अधिक बल दिया। राजकुमारों तथा पदाधिकारियों के पुत्र को सैनिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था। सैनिक शिक्षा के अंतर्गत तीर कमान, तलवार चलाना, घुडसवारी, किला घेरना, सेना का संचालन करना इत्यादि पर अधिक ध्यान दिया गया।

शिक्षा केंद्र:–

मध्य युग में अनेक शिक्षा केद्र थे। इन शिक्षा केंद्रो में आगरा, दिल्ली, जौनपुर, मालवा, गोलकुण्डा, लाहौर, गुजरात, फिरोजाबाद आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

मुस्लिम शिक्षा के गुण

1) **शिक्षा में व्यापकता:–** मुस्लिम कालखंड में शिक्षा में व्यापकता आ गई। अनेक विषयों को शिक्षा में सम्मिलित किया गया।

2) अनिवार्य शिक्षा:– खुदा की प्राप्ति के लिए तथा सांसारिक और पारलौकिक सुख के लिए शिक्षा मुस्लिम कालखंड में अनिवार्य थी।

3) व्यावहारिक शिक्षा:– मुस्लिम शिक्षा पूर्णतया व्यावहारिक थी। छात्रों को भी उन विषयों को पढ़ने पर बल दिया जाता था जो उन्हें व्यावहारिक जीवन में जीविकोपार्जन के लिए दक्ष बनाये।

4) नि:शुल्क शिक्षा:– इस कालखंड में प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा नि:शुल्क प्रदान की जाती थी।

5) सरल साहित्य एवं इतिहास का विकास:–

मुस्लिम शासक अपने दरबार में विद्वान, साहित्यकारों तथा इतिहासकारों को संरक्षण प्रदान करते थे। मुगल शासक स्वयं आत्मकथा लिखने में अत्यंत प्रवीण थे।

6) गुरु शिष्य का मधुर संबंध:– गुरु शिष्य का संबंध निकट का था। गुरु शिष्य का संबंध पिता–पुत्र समान था। शिष्य गुरु की सेवा करते थे।

7) परीक्षा प्रणाली में लचीलापन:–

मध्य युग में परीक्षा प्रणाली प्रचलित नहीं थी। अध्यापक यदि समझता था कि अमुक छात्र ने वांछित ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसे अगली कक्षा में भेज देता था।

8) शिक्षा संस्थाओं की स्थापना:–

इस कालखंड में मुस्लिम शिक्षा का प्रसार करने के लिए राज्य तथा धनिकों द्वारा अनेक मकतबों तथा मदरसों की स्थापना की गई।

शिक्षा के दोष:–

1) शिक्षा में अत्यधिक धार्मिक कट्टरता आने के कारण शिक्षा मस्जिद की चार दीवारों को पार कर जनसाधारण के बीच नही पहुँच सकी।

2) स्त्री शिक्षा पर जोर नहीं दिया गया।

3) शिक्षा में अरबी तथा फारसी इत्यादि विदेशी भाषा का प्रवेश होने के कारण प्रांतीय भाषा का विकास नहीं हो पाया।

4) कठोर दंड के कारण छात्र शिक्षा से दूर होने लगे।

5) विषय को बिना समझे रटने का अधिक रिवाज मुस्लिम शिक्षा का मुख्य दोष है।

6) अस्थायी मकतब एवं मदरसे होने कारण पैसों के अभाव में बंद हो जाते थे।

7) इस कालखंड के छात्र विलासमय जीवन के प्रेमी बन गए।

8) मुस्लिम शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन एवं विषय की पूर्णरुप से उपेक्षा की गई।

9) पारलौकिक शिक्षा की अवहेलना की गई।

10) शिक्षा में उच्च आदर्शो का अभाव था।

अपनी प्रगति की जाँच 3

1) मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं बताइए।

2) मुस्लिम शिक्षा के गुण बताइए।

.....

1.2.4 1800 से 1947 के दौरान हुए प्रयासों का विहंगमावलोकन

भारत में सर्वप्रथम पादरी सेन्ट जेवियर ने शिक्षा एवं धर्म दोनों के प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी या विदेशी शिक्षा का प्रचार और प्रसार का कार्य ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उनका लक्ष्य व्यापार के साथ साथ धर्म का प्रचार करना था। इसके लिए कंपनी ने भारतीयों को धर्म का प्रशिक्षण लेने के लिए १६१४ में इंग्लैड भेजा कंपनी नें प्रत्येक छावनी एवं किले में विद्यालय चलाने की आज्ञा दी।

ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रयास

कंपनी काल में शिक्षा के प्रसार के निम्नलिखित कारण थे –

1) कंपनी की शिक्षा नीति (1765–1813)

कंपनी की शिक्षा नीति प्लासी तथा बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद बदल गयी। साम्राज्य की स्थापना करने हेतु उन्होंने धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाया और विद्यालयों को सहायता देनी बंद कर दी।

2) तुष्टीकरण–वारेनहेस्टिंग (1781 ई.) नाम के अंग्रेज अधिकारी ने मुसलमानों को खुश करने के लिये कलकत्ता मदरसा खोली, इसमें अरबी भाषा के माध्यम से कुरान, कानून, गणित, तर्क तथा व्याकरण आदि पढाये जाते थे। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज और लार्ड बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्टविलियम कॉलेज की स्थापना की।

3) शिक्षा के व्यक्तिगत प्रयत्न–श्रीमती कैम्प बैल (1786) ने मद्रास में बालिका अनाथालय खोला। डॉ इन्डयुबैल (1781 ई.) ने एक अनाथ आश्रम खोला। 1788 ई. में ब्राउन ने हिंदुओं के लिए अंग्रेजी शिक्षा के लिए विद्यालय खोला। श्रीमती पिट, लाबन, कॉपलैण्ड आदि ने भी अनेक विद्यालय खोले।

4) मिशनरी प्रयास:–

ऐग्लिकन मिशनरियों ने कलकत्ता में दानाश्रित स्कूल चलाया। एक नि:शुल्क स्कूल भी खोला। श्रीरामपुर (१८००) में एक प्रेस लगाया गया जिसमें पुस्तकें छापी जाने लगीं। वैपटिस्ट मिशन ने शिक्षा के प्रसार के प्रशंसनीय कार्य किये।

5) ब्रिटिश संसद की भूमिका–चार्लग्रांट (1767-1789)

भारत में कम्पनी के शासन में चार्लग्रांट चेयरमैन बना जिसने भारतीयों की अज्ञानता का लाभ उठाया और उनको पाश्चात्य शिक्षा दिये जाने पर जोर दिया।

6) सन 1793 का आज्ञापत्र:– ग्रांट के विचारों से प्रभावित होकर विलियस विल्वर फोर्स ने आज्ञापत्र में यह संशोधन रखा कि ब्रिटिश सभा का यह विशेष तथा अनिवार्य कर्तव्य है कि वह समस्त उचित बुद्धिमत्तापूर्ण साधनों द्वारा भारत में अंग्रेजी राज्य के हित एवं समृद्धि के लिये कार्य करे और इन उद्देशों की प्राप्ति के लिये ऐसे साधनों को अपनाये जिससे भारतीयों के ज्ञान, धर्म, तथा नैतिकता का स्तर उँचा उठे। इस प्रस्ताव के विरोध में शार्प ने कहा हिंदुओं की धार्मिकता तथा नैतिकता उतनी ही उत्तम है जितनी अन्य व्यक्तियों की उनके धर्म परिवर्तन का प्रयास करना अथवा अधिक ज्ञान देना पागलपन होगा।

7) सन 1813 का आज्ञापत्र:– सन 1793 के शिक्षा प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद भी ईसाई पादरियों ने अपना कार्य जारी रखा। 1813 में कंपनी के आज्ञापत्र का नवीनीकरण होना था। इस समय एक प्रस्ताव रखा गया कि भारत में दिनों दिन शिक्षा की अवनति हो रही है, अत: कंपनी की सरकार को भारत के लोगों की शिक्षा का उत्तरदायित्व लेना चाहिये और इस कार्य के लिये धन खर्च करना चाहिये। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रधान अध्यक्ष के रुप में मैकाले की नियुक्ति

सन 1834 की 10 जून को लॉर्ड मैकाले भारत में कंपनी का सदस्य बनकर आया। प्राच्य एवं पाश्चात्य विचारों को लेकर विवाद की उग्र समस्या को हल करने के लिए लोक शिक्षा समिति ने मैकाले को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का गवर्नर जनरल से अनुरोध किया और विलियम बैंटिंग ने मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। मैकाले से कहा गया कि वे 1813 ई के आज्ञापत्र में शिक्षा एवं साहित्य सबंधी धाराओं को व्यय करने के लिए कानूनी राय दें। लॉर्ड मैकाले ने 8 फरवरी 1835 को ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया जिसमें भारतीय साहित्य तथा संस्कृति पर आघात किया गया।

मैकाले के विवरण पत्र की प्रमुख बाते

1) साहित्य संबंधी व्याख्या:– लॉर्ड मैकाले ने 1813 ई के आज्ञापत्र में आए हुए साहित्य शब्द की व्याख्या अपने ढंग से की और उन्होंने कहा कि साहित्य का मतलब अंग्रेजी साहित्य है न की अरबी और संस्कृत साहित्य। उसने वित्त और अनुदान को व्यय करने की संपूर्ण छूट कम्पनी को दी।

2) भारतीय विद्वान संबंधी व्याख्या:– आज्ञा पत्र में लिखित भारतीय विद्वान का अर्थ मैकाले ने प्राच्य भाषा और साहित्य के ज्ञाता को नहीं बताया बल्कि उन्होने इसका अर्थ वैसे भारतीय लोगों से किया जो लॉक और मिल्टन के साहित्य से परिचित है।

3) शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी:–

शिक्षा का माध्यम उन्होने अंग्रेजी बताया और उसके लिए निम्नलिखित कारण दिये –

1) उसके अनुसार अंग्रेजी भाषा पाश्चात्य भाषाओं में सर्वोपरि है। जो इस भाषा को जानता है वह सुगमता से उस विशाल ज्ञान भण्डार को प्राप्त कर सकता है जिसे विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचा है।

2) भारतीयों मे प्रचलित भाषाओं में साहित्य तथा वैज्ञानिक ज्ञानकोष का अभाव है। वे इतनी अल्प विकसित तथा गॅवारु है कि उसको बाहरी भण्डार से ज्ञान प्राप्त करने की सख्त आवश्यकता है।

3) देश की अधिकांश जनता अंग्रेजी पढ़ने के लिये उत्सुक है।

4) शासक वर्ग की भाषा अंग्रेजी रहने के कारण भारत का उच्चतम वर्ग भी अंग्रेजी बोलना पसंद करता है।

4) भारतीय साहित्य का मजाक:– भारत के साहित्य का मजाक उडाते हुए उसने लिखा, ''भारत तथा अरबी साहित्य का मान एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकों से अधिक नहीं है''।

5) भारतीय धर्म पर प्रहार:– मैकाले के अनुसार भारतीय धर्म संबंधी ज्ञान असत्य है। उन्होने संस्कृत को शिक्षण का माध्यम बनाने की सलाह नहीं दी, संस्कृत को एक असत्यपूर्ण समन्वय कहा। Teaching false history, false astronomy ,false medicine, because we find them in company with a false religion.

6) अरबी और संस्कृत पर समय एवं धन का अपव्यय:–

मैकाले ने सरकार को सलाह दी कि संस्कृत तथा अरबी की पुस्तकों पर ३० वर्षो मे ६० हजार रुपए खर्च किए गए और इसके बदले में एक हजार रुपए की भी प्राप्ति नहीं हो सकी अत: अरबी और संस्कृत की पुस्तकों के प्रकाशन एव पुनरुद्धार पर रुपए खर्च करना एक तरह से समय और धन का अपव्यय करना है।

7) देशी संस्थाओं का विरोध:– मैकाले ने सर्वाधिक विरोध देशी शिक्षण संस्थाओं का किया। उनका कथन था कि इन देशी शिक्षा संस्थाओं सरकार और जनता को किसी तरह का लाभ नहीं है।

8) मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत (Downword Filiteration Theory) को लागू किया। उसके अनुसार,

''हमें इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जिसमें वे रंग तथा रक्त में भारतीय होंगे परंतु रुचि नैतिकता तथा बुद्धि में अंग्रेज होंगे''।

इस प्रकार भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का विवरणपत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

लॉर्ड विलियम बैंटिक व्दारा स्वीकृति

काफी विचार–विमर्श के बाद लॉर्ड बैंटिक ने 7 मार्च 1835 ई.के आज्ञापत्र में मैकाले की सभी बातें स्वीकार कर ली और शिक्षा–नीति की घोषणा कर दी।

1) भारतीयों में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रचार करना अंग्रेजी सरकार का प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए शिक्षा संबंधी धनराशि अंग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा पर खर्च की जाएगी।

2)प्राच्य–शिक्षा के साहित्य का प्रकाशन भविष्य में नहीं होगा।

3) प्राच्य साहित्य के स्थान पर अंग्रेजी साहित्य तथा विज्ञान संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन पर धन खर्च किया जाए।

भारतीय शिक्षा और मैकाले

1) शिक्षा–नीति में स्थिरता लाना:– मैकाले ने शिक्षा–नीति में स्थिरता लाई। इसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार शीघ्रता से हुआ।

2) पाश्चात्य ज्ञान–विज्ञान से परिचय:– शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से भारतीय लोगों का पाश्चात्य ज्ञान–विज्ञान से परिचय हुआ।

3) देशी भाषा के विकास में बाधक:– मैकाले के विवरण पत्र ने सबसे ज्याद बाधा देशी भाषा के विकास में आई।

4) भारतीय संस्कृति को मिटाने का कार्य:– मैकाले का भारत आगमन भारतीय जनता के हित में नही था बल्कि उसने भारतीय संस्कृति को मिटाने का कार्य किया।

5) पथ–प्रदर्शक नहीं:– भारतीय शिक्षा के इतिहास में कुछ विद्वानो ने मैकाले को पथ–प्रदर्शक कहा है। परंतु यह सर्वथा निराधार एवं असत्य है क्योंकि मैकाले के आने से पूर्व ही भारत में अंग्रेजी की मांग थी और मैकाले से पूर्व राजा राममोहन रॉय भी अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाना चाहते थे। मैकाले से पूर्व ईसाई मिशनरियॉ भी अंग्रेजी माध्यम चाहती थी इसलिये उसे पथ प्रदर्शक (Torch Bearer) नहीं कहा जा सकता।

6) राजभक्तों के वर्ग का निर्माण:– मैकाले ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो रंग–रुप में भारतीय परन्तु विचारों, वेषभूषा, रुचियों तथा चिंतन में अंग्रेज होगा।

7) राष्ट्रीय एकता पर प्रहार:– मैकाले ने भारतीयों को एक दूसरे से अलग करना चाहा उसने राष्ट्रीय एकता पर प्रहार किया। जिसका असर आज भी दिखता है।

8) निस्यंदन सिद्धांत:– निस्यंदन सिद्धांत का अर्थ यह है कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग को दी जाए। यह आशा की जाती है कि खुद निम्नवर्ग उच्च वर्ग के संपर्क में आकर शिक्षित हो जाएगा। मैकाले का कहना था कि अंग्रेज सरकार के पास इतना धन नही है कि वह सर्वसाधारण जनता को शिक्षित करे इसलिए शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग को प्रदान की जाए।

''जनसमूह में शिक्षा ऊपर से छन–छन कर पहुँचानी थी, बूँद–बूँद करके भारतीय जीवन के हिमालय से लाभदायक शिक्षा नीचे को बहे जिससे कि वह कुछ समय में चौडी एवं विशाल धारा में परिवर्तित होकर शुष्क मैदानो को सिंचित करे''।

सिद्धांत के समर्थक:–

मैकाले के इस सिद्धांत को अनेकों ने समर्थन दिया। जिसमें ईसाई मिशनरी कंपनी के नवयुवक संचालक, बंबई के गवर्नर कौंसिल के सदस्य वार्डर इत्यादि शामिल थे। मैकाले ने कहा:– इस शिक्षा व्दारा एक ऐसे समाज की रचना होगी जो हमारे तथा प्रजा के मध्य विचार वाहक होंगे। इससे एक ऐसे समाज की रचना होगी जो रंग और रक्त में भारतीय परंतु विचारों, रुचियों, नैतिक आदर्शो तथा बुद्धि में अंग्रेज होंगे। इन्ही व्यक्तियों का कार्य होगा कि वे प्रांतीय भाषाओं को परिष्कृत और संपन्न करके जनता तक ज्ञान पहुँचाने के योग्य बनाएँ।

निस्यंदन नीति के परिणाम:–

1) भारतीय शिक्षा का स्वरुप निश्चित हो गया।

2) सरकार के समर्थन से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई।

3) अंग्रेजी स्कूलों में पढने वाले भारतीय छात्रों को सरकारी नौकरी मिलने लगी।

4) परंतु इसका विपरीत परीणाम यह भी हुआ कि उच्च वर्गो के लोगों ने शिक्षा का उपयोग केवल उच्च पद और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिये किया। उन्होने निम्नवर्ग को शिक्षित करना अपना कर्तव्य कभी नही समझा इसलिये अंग्रेजी पढे लिखे उच्च वर्ग के लोग दिन–प्रतिदिन जनता से दूर जाने लगे।

अपनी प्रगति की जाँच 4

निस्यंदन सिद्धांत के बारे में चर्चा कीजिए ।

.....

वुड का शिक्षा–घोषणा पत्र (वुड डिस्पैच 1854 :–भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा)

प्राय: 20 वर्ष के बाद कंपनी के आज्ञापत्र में परिवर्तन लाया जाता था। सन् 1813 के बाद 1833 में कंपनी का चार्टर बदला। 20 वर्ष बाद फिर आज्ञा–पत्र में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पडी। इसलिये संसदीय समिति की स्थापना की गयी और उनकें सुझावों के अनुसार 19 जुलाई 1854 में सरकार ने 'बुड का घोषणा' पत्र प्रकाशित किया। घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा की समस्याओं का हल बताया गया

1) शिक्षा व्यवस्था का स्थायीकरण:– शिक्षा संबंधी एक स्थायी नीति निर्धारित कर उसकी समुचित व्यवस्था की आवश्यकता समझी गई।

2) शिक्षा के स्तर में सुधार:– शिक्षा के स्तर एवं उसके पाठ्यक्रम में सुधार लाने की आवश्यकता समझी गई।

3) नवीन शिक्षा संस्थाओं की वृध्दि:– नवीन शिक्षा संस्थाओं की वृद्धि करने की आवश्यकता हुई।

4) शिक्षण माध्यम में परिवर्तन:– अंग्रेजी के साथ ही भारतीय भाषाओं को भी शिक्षण माध्यम बनाने की आवश्यकता महसूस हुई।

घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें

1) शिक्षा का उद्देश्य:– भारतीयों के नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक स्तर को बढाने के साथ शासन को मजबूत करनेवाले राजभक्त कर्मचारियों को उत्पन्न करना।

2) पाठ्यक्रम:– पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंग्रेजी तथा पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान के साथ साथ हिंदू और मुसलमानों का सहयोग पाने के लिए अरबी संस्कृति की आवश्यकता महसूस की गई।

3) लोक शिक्षा विभाग:– प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए।

4) जन–समूह की शिक्षा:– जन समूह के शिक्षा के विकास के लिए अधिकाधिक प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल खोलने की अनुमति दी गयी।

5) शिक्षा का माध्यम:– अंग्रेजी प्रेमी लोगों के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा अन्य लोगों के लिए देशी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति मिली।

6) विश्वविद्यालय:– कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई और इनका संगठन लंदन विश्वविद्यालय के आदर्शों पर किया गया।

7) शिक्षा अनुदान:– घोषणा पत्र के अनुसार देश के उदार एवं धनी व्यक्तियों को नवीन पाठशाला खोलने की अनुमति दी गयी।

8) व्यावसायिक शिक्षा:– व्यावसायिक शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया इसके चलते विभिन्न उद्योगों कि शिक्षा देने के लिए औद्योगिक स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई।

9) पुस्तक लेखन तथा प्रकाशन:– भारतीय भाषाओं में पुस्तक लेखन एवं प्रकाशन का भी सुझाव दिया गया।

10) स्त्री शिक्षा:– घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा को भी महत्व दिया गया।

11) धर्म निरपेक्ष शिक्षा:– धर्म निरपेक्ष शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया इसीलिये घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा अनुदान उन्ही विद्यालयों को प्रदान किया जाएगा जहॉ धर्म विशेष की शिक्षा नही दी जाती थी।

12) अध्यापकों का प्रशिक्षण:– अध्यापकों के लिए प्रत्येक प्रेसीडेंसी में एक–एक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गयी।

13) शिक्षा एवं रोजगार:– घोषणा पत्र में ये कहा गया कि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही सरकारी पद पर नियुक्त किए जाए, इससे शिक्षा के प्रति लोगों का झुकाव बढेगा।

14) क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना:– शिक्षा को सुचारु रुप से संचालित करने के लिए क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया गया।

15) यूरोपीय ज्ञान एवं साहित्य को मान्यता:– घोषणा पत्र में यूरोपीय ज्ञान एवं साहित्य के साथ साथ भारतीय भाषा एवं साहित्य को ज्ञान के भी प्रशिक्षण दिया गया।

घोषणा पत्र के गुण

1) भारत में नवीन एवं निश्चित शिक्षा नीति का प्रारंभ हुआ।

2) सामान्य जनता के लिए शिक्षा का द्वार खुला।

3) अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की योजना बनी।

4) अंग्रेजी और भारतीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया।

1) पाश्य एवं पाश्चात्य शिक्षा के विवाद का अंत किया गया।

5) प्रत्येक विभाग में 'शिक्षा विभाग' की स्थापना की गयी।

6) निस्पंदन सिद्धांत में आवश्यक परिवर्तन किए गए।

7) नौकरी में शिक्षितों को प्राथमिकता दी गयी।

8) शिक्षा अनुदान के द्वारा अनेक विद्यालयों को प्रोत्साहन दिया गया।

9) विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी।

10) प्रथम बार स्त्री–शिक्षा पर ध्यान दिया गया।

11) व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया।

12) शिक्षा में धर्म निरपेक्षता पर बल दिया गया।

13) एस.एन.मुखर्जी के अनुसार इस घोषणा–पत्र ने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन युग का प्रारंभ किया।

वुड–घोषणा–पत्र के अवगुण (दोष)

1) घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षितों को नौकरी में प्राथमिकता देने के कारण लोग सिर्फ नौकरी के लिए शिक्षा पाने लगे।

2) भारतीय साहित्य की उपेक्षा की गई।

3) भारतीय भाषा का ह्रास तथा अंग्रेजी भाषा का विकास हुआ।

4) शिक्षा विभाग स्थापित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में नौकरशाही एवं तानाशाही आ गई।

5) विद्यालय में परीक्षा प्रणाली का आधिपत्य हो गया।

6) माध्यमिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालय में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया।

7) भारत की धार्मिक शिक्षा पर आघात किया गया।

8) इस घोषणा पत्र में ईसाइयों का अधिक पक्ष लिया गया।

9) मातृभाषा को शिक्षा में उचित महत्व नहीं मिला।

10) व्यावसायिक विद्यालय केवल राजभक्त भारतीयों को ही संतुष्ट कर पाये थे।

11) प्राचीन विश्वविद्यालय परंपराओं की अवहेलना की गयी।

12) घोषणा पत्र ने भारतीयता का विनाश करके पूर्ण विदेशीकरण का बिगुल बजाया।

अपनी प्रगति की जाँच 5

वुड के घोषणापत्र की सिफारिशे बताएं ।

.....

.

भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर कमीशन)

1854 के आज्ञापत्र के अनुसार धर्म निरपेक्ष शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया इसलिये भारतीय ईसाई पादरियों को न आर्थिक सहायता मिल पायी और न ही विद्यालय द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रसार हो पाया इसलिये पादरी वर्ग सरकार से असंतुष्ट हो गया। 1882 में लॉर्ड रिपन वायसराय बनने पर भारतीय इसाई पादरियों के एक शिष्टमंडल ने उनसे भेंट की और भारतीय शिक्षा की पुन: जॉच की मॉग की।

3 फरवरी 1882 को विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। श्री हंटर इस आयोग के चेयरमैन थे इसलिये इस आयोग को हंटर कमीशन भी कहते है।

आयोग (कमीशन) की सिफारशें

1) देशी विद्यालय एवं शिक्षा:–

1) सभी प्रकार के देशी विद्यालयों को सरकार प्रोत्साहन दे।

2) देशी विद्यालय के पाठ्यक्रम में सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे।

3) देशी विद्यालयों के शिक्षकों की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए।

4) देशी विद्यालयों के संचालन का भार नगरपालिका एवं जिला परिषद को दे दिया जाए।

2) प्राथमिक शिक्षा:–

1) प्राथमिक शिक्षा की नीति:–

प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी पाना तथा विश्वविद्यालय प्रवेश न होकर जीवनोपयोगी एवं सुनियोजित करना है।

इसका माध्यम मातृभाषा हो।

इसके प्रसार एवं प्रचार के लिए सरकार आर्थिक एवं शासकीय सहायता प्रदान करे।

इसका प्रचार जनसाधारण के बीच भी हो।

2) प्राथमिक शिक्षा का संगठन:– आयोग की सिफारिश के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का संचालन–कार्य स्थानीय संस्था–नगरपालिका एवं परिषद् को सौप दिया गया। जिस कारण सरकार का प्रत्यक्ष अधिकार प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं से हट गया।

3) प्राथमिक विद्यालयों की आर्थिक व्यवस्था:– नगरपालिका एवं जिला परिषद् को प्राथमिक शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था के लिए अलग से धनराशि दी जाये।

4) पाठ्यक्रम:– पाठ्यक्रम को केंद्रीय सरकार के हाथ से लेकर प्रांतीय सरकार को दे दिया गया।

5) प्रशिक्षण:– सुयोग्य अध्यापक एवं उसके प्रशिक्षण की सिफारिश की गई।

3) माध्यमिक शिक्षा:–

आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा माध्यमिक शिक्षा पर कम ध्यान दिया।

माध्यमिक शिक्षा के लिए सुझाव

1) सरकार माध्यमिक शिक्षा को जनता को सौंप कर धीरे धीरे उससे अलग हो जाए।

2) प्राइवेट स्कूल के लिए सहायक अनुदान प्रणाली को लागू किया जाए।

3) माध्यमिक शिक्षा की जवाबदेही योग्य एवं बुद्धिमान व्यक्तियों पर छोड दी जाए।

4) सरकारी स्कूलों के समान ही प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी जाए।

5) माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए।

6) पाठयक्रम को दो भागों में विभाजित किया जाए। एक विश्वविद्यालय में प्रवेश की तैयारी, दूसरा व्यावसायिक एवं व्यावहारिक शिक्षा के लिए।

4) विश्वविद्यालय शिक्षा:–

कमीशन की सिफारिशें:–

1. सरकार को माध्यमिक शिक्षा की तरह विश्वविद्यालय शिक्षा से मुक्त हो जाना चाहिए।

2. उच्च शिक्षा में व्यक्तिगत प्रयास को सहारा दिया जाए।

3. आवश्यकता पड़ने पर सरकार प्रत्येक कॉलेज को विशेष अनुदान दे।

4. कॉलेजों में छात्र के रुचि के अनुसार विषय रखे जायें।

5. प्रोफेसरों की नियुक्ति करते समय उन्हीं भारतीयों को प्रमुखता दी जाये जिन्होने यूरोप के विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की हो।

6. छात्रों की शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्हें रोजगार मिलना चाहिए।

7. नैतिक विकास के लिये समय–समय पर छात्रों का मार्गदर्शन करने की व्यवस्था हो।

5) स्त्री शिक्षा:–

1. महिला शिक्षिकाओं को वेतन अनुदान मिले।

2. उनके प्रशिक्षण के लिए सामान्य विद्यालय खोले जाएँ।

3. बालिका–विद्यालय के लिए महिला निरीक्षकों की नियुक्ति हो।

4. पाठ्यक्रम इस तरह से हो कि लड़कियों की शिक्षा उपयोगी बन सके।

6) पर्वतीय जातियो एवं आदिवासियों की शिक्षा:–

1. सरकार इन विद्यालयों की खुद स्थापना करे।

2. अध्यापकों का चुनाव उपयुक्त जाति द्वारा किया जाए।

3. शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा रखा जाए।

7) हरिजन एवं पिछडी जातियॉ:–

1. जहॉ हरिजन छात्रों पर विद्यालय प्रवेश में रोक हो, वहॉ सरकार द्वारा अलग से विद्यालय खोला जाए।

2. राजकीय नगरपालिकाओं या स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में हरिजन तथा पिछडी जातियों के छात्रों को अध्ययन एवं प्रवेश की स्वतंत्रता दी जाए।

8) मिशनरी शिक्षा:–

1. किसी भी मिशन को भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व नहीं सौपा जाएगा।

2. 'व्यक्तिगत प्रयास' का अर्थ मिशनरी प्रयास न हो उसका अर्थ स्वयं जनता से है।

3. उच्च शिक्षा एवं शिक्षा विभाग के स्कूल पादरियों को नहीं सौंपे जाएंगे।

हंटर कमीशन के गुण:–

1) देशी शिक्षा को प्रोत्साहन:– देशी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया और शिक्षा में प्रगति लाई।

2) मिशनरी शिक्षा से रक्षा:– मिशनरी शिक्षा के प्रसार को रोककर भारतीय शिक्षा की रक्षा मिशनरीयों का प्रसार किया जाने लगा।

3) औद्योगिक शिक्षा का समावेश:– शिक्षा को व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी बनाने के लिए हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में औद्योगिक शिक्षा का समावेश किया गया।

4) अल्पसंख्यक एवं हरिजन की शिक्षा पर ध्यान:– आयोग ने अल्पसंख्यको एवं हरिजन आदि की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया।

5) धर्म निरपेक्षता:– आयोग ने शिक्षा में धर्म निरपेक्षता का समावेश कर अच्छा का परिचय दिया।

6) सरकारी एवं गैरसरकारी प्रयत्नों का समन्वय:– आयोग ने सरकारी एवं गैरसरकारी प्रयत्नों का समन्वय किया।

वुड कमीशन के दोष:–

1) शिक्षा की प्रगति पर धक्का:– आयोग की सिफारिश के अनुसार नवीन विद्यालय की स्थापना सरकार ने बंद कर दी। फलत: शिक्षा की प्रगति को धक्का लगा।

2) निम्न कोटि के शिक्षण संस्थाओं का जन्म:– आयोग ने वैयक्तिक स्कूल एवं कॉलेज खोलने की सिफारिश की जिसमें सरकारी कॉलेज की अपेक्षा कम फीस हो। इससे निम्नकोटि के स्कूल एवं कॉलेज स्थापित हुए।

3) शिक्षा स्तर में गिरावट:– सरकारी प्रयत्न खत्म होने से प्राइवेट स्कूलों का प्रबंध ठीक से नहीं हुआ फलत: शिक्षा के स्तर पर गिरावट आने लगी।

4) परीक्षाफल के अनुसार वेतन प्रणाली में विरोधाभास:– आयोग ने माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए 'परीक्षाफल के अनुसार वेतन प्रणाली' (Payment by result system) को दोषी या बुरा बताया, और देशी शिक्षा के लिए उसकी स्वीकृति देकर लाभप्रद कहा।

5) अस्पष्ट माध्यम की सिफारिश से भारतीय भाषाओं की उपेक्षा:– आयोग द्वारा शिक्षा का माध्यम स्पष्ट नहीं किया गया। उन्होने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा, और मातृभाषा के विषय मे कुछ भी नही कहा।

अपनी प्रगति की जाँच 6

हंटर कमीशन के गुण और दोष बताइए ।

.....

.

वुड–एबोट रिपोर्ट (1936-37)

व्यावसायिक शिक्षा की सलाह देने के लिए इंग्लैंड की शिक्षा परिषद् से 1936 में श्री.ए.एबोट तथा एस.एच.वुड भारत आए। दोनों ने भारतीय शिक्षा समस्या के अध्ययन हेतु संपूर्ण भारत की यात्रा की तथा सन 1937 में शिक्षा संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। यही रिपोर्ट भारत मे वुड–एबोट रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। यह रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की गई ।

1. वुड द्वारा प्रस्तावित सामान्य शिक्षा पर सुझाव
2. एबोट द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा पर सुझाव

1) सामान्य शिक्षा पर श्री वुड की सिफारिशें

1. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, और मिडिल स्कूल में अंग्रेजी पर ज्यादा जोर न दिया जाए।
2. बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।
3. प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक और शिक्षिका हो।
4. गॉव के स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल ग्रामीण स्कूल का पाठ्यक्रम हो।
5. बालकों के रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था हो।
6. माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी को आवश्यक रुप से प्राथमिकता दी जाये।
7. विद्यालय के निरीक्षण के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति हो।

2) व्यावसायिक तथा औद्योगिक (Vocational) शिक्षा पर एबोट की सिफारिशें

1. सामान्य शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है, इसलिये सामान्य शिक्षा की तरह व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है।
2. प्रत्येक प्रांत में व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध होना चाहिये।
3. छात्रों को प्रारंभ में सामान्य शिक्षा और उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए।
4. १४ वर्ष की उम्र के बाद ही बालकों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए।
5. देश की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाए।
6. सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालय अलग अलग हो।
7. प्रत्येक प्रांत में व्यावसायिक शिक्षा सलाहकार समिति की स्थापना करें।
8. व्यावसायिक शिक्षा एकमार्गी न होकर बहुमार्गी हो।
9. दिल्ली में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कॉलेज खोला जाए।
10. व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना दो प्रकार की हो –

१ जूनियर व्यावसायिक विद्यालय – २ वर्ष का इसमें मिडल पास छात्रों को प्रवेश मिले।

२ सीनियर व्यावसायिक विद्यालय – २ वर्ष का और इसमें माध्यमिक शिक्षा प्राप्त छात्रों को प्रवेश मिले।

वुड तथा एबोट की रिपोर्ट का मूल्यांकन

रिपोर्ट के गुण:–

1) जीवननिष्ठ एवं व्यावहारिक शिक्षा:– एबोट ने व्यावहारिक शिक्षा का सुझाव देकर शिक्षा को जीवननिष्ठ एवं व्यावहारिक बनाया।

2) सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा का समन्वय:– रिपोर्ट के अनुसार सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा दोनों का समन्वय किया गया और शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाया।

3) व्यावसायिक शिक्षा प्रयास:– इस रिपोर्ट ने पहली बार व्यावसायिक शिक्षा को महत्त्वपूर्ण बनाया।

4) रिपोर्ट के अवगुण (दोष)

1. **ग्रामीण पक्ष की अवहेलना:–** इस रिपोर्ट में किसानों के जीवन स्तर को उठाने का कोई भी सुझाव नहीं दिया जबकि भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि है।

2. **सरकारी उदासीनता:–** यह रिपोर्ट विभिन्न गुणों से युक्त एवं महत्वपूर्ण होकर भी सरकार को अपनी ओर आकर्षित न कर सकी, जो इसका बहुत बड़ा दोष है।

वुड एबोट रिपोर्ट के कार्यान्वित नहीं होने के कारण:–

1) कांग्रेसी मंत्रिमंडल का कम ध्यान:–

1937 में स्थापित हुई कांग्रेसी मंत्रिमंडल का झुकाव गांधीजी की बेसिक योजना पर अधिक था फलत: मंत्रिमंडल ने इस रिपोर्ट पर कम ध्यान दिया।

2) द्वितीय विश्वयुद्ध का प्रारंभ:–

रिपोर्ट की सिफारिश के बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड जाने से सरकार को शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाने का बहाना मिल गया।

वर्धा शिक्षा योजना (बुनियादी शिक्षा) (1937)

परिचय:– जिस समय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, शिक्षा की दशा अत्यंत सोचनीय थी। सभी को एक सुसंगठित, जीवनोपयोगी और नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ समाज के उपेक्षित वर्ग को भी शिक्षा की आवश्यकता थी।

2 अक्तूबर 1937 को महात्मा गॉधी ने 'हरिजन' नामक पत्रिका में शिक्षा संबंधी कुछ बिंदुओं पर विशेष रुप से विचार किया।

1) प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ७ वर्षों का हो तथा इसका स्तर मैट्रीकुलेशन के समान हो और इसमें एक उद्योग भी पढाया जाए।

2) शिक्षा में दस्तकारी कार्य को सिखाया जाय।

3) इस शिक्षा से वह स्वावलंबी बने।

4) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।

5) प्राथमिक शिक्षा से छात्रों का केवल बौद्धिक विकास न हो बल्कि शिक्षा छात्र–छात्राओं को रोटी के उपार्जन में भी सहायक हो इसके लिए राज्य सरकार उन्हें जीविका प्रदान करने की गारंटी दे।

गांधीजी के इन विचारों से शिक्षा जगत में काफी खलबली मची। इस योजना को सुनिश्चित रुप देने के लिए एक सभा बुलाई गई, जिसकी बैठक वर्धा में 22 और 23 अक्तुबर 1937 को हुई, इसमें निम्मिलिखित चार प्रस्ताव पास किये गए।

1) राष्ट्रीय स्तर पर सभी छात्रों को ७ वर्षों की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए।

2) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।

3) शिक्षा का केंद्र बिंदु कोई उत्पादन उद्योग हो। बालकों को जो भी दक्षता एवं ज्ञान तथा शिक्षण देना हो वह किसी उद्योग के माध्यम से दिया जाए।

4) यह शिक्षा व्यवस्था धीरे–धीरे अपना खर्च स्वयं वहन कर सकेगी।

डॉ. जाकिर हुसैन कमिटी रिपोर्ट

डॉ. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई। जिसका काम बुनियादी तालीम का पाठ्क्रम बनाकर देना था। इस समिति द्वारा निम्नलिखित बाते कही गई –

1) विद्यालयों में उद्योग:– आधुनिक युग में सभी का यही कहना है कि शिक्षा उत्पादक कार्यो से दी जानी चाहिए। उद्योग बालकों को विभिन्न प्रकार के अनुभव देकर एक संतुलित व्यक्ति का विकास करता है यह मनोवैज्ञानिकों का कहना है। उद्योग श्रमजीवी और बुद्धिजीवि वर्गो के बीच की खाई कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्योगों का संबंध जीवन की आधारभूत क्रियाओं से है इसलिये विद्यालयों में उद्योग की शिक्षा देना बेहद महत्त्पूर्ण है।

2) उद्योग के शैक्षिकपक्ष:– उद्योग का चुनाव करते समय उन उद्योगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिनमें अधिकतम शैक्षिक संभावनाएँ हो। ज्ञान और कर्म का संबंध स्वाभाविक है। शिक्षा में इस स्वाभाविकता की रक्षा होनी चाहिए। बुनियादी तालीम का उद्देश्य केवल उत्पादन ही नहीं है बल्कि उद्योग का शैक्षिक व्यवहार भी है।

बुनियादी शिक्षा की विशेषताएँ

1) सभी 7-14 आयु वर्ग के बालक–बालिका को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए।

2) शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए तथा इस दौरान अंग्रेजी की शिक्षा न दी जाए।

3) सभी शिक्षा किसी न किसी उद्योग पर केन्द्रित हो, और इस उद्योग का चुनाव बच्चों की क्षमता और उस क्षेत्र में उद्योग की आवश्यकता को देख कर तय हो। गत्ता–कार्य, काष्ठकार्य, रसोई, बागवानी, कताई–बुनाई, कृषि, चर्म–उद्योग इत्यादि उद्योगों को समिति ने सर्वोपरि स्थान दिया।

4) चुने हुए उद्योगों की शिक्षा इस प्रकार दी जाए ताकि छात्र कुशल कारीगर बने उनका सामान बिके और उसकी सहायता से छात्र विद्यालय का खर्च उठा पाए।

5) उद्योगों को सिर्फ यांत्रिक दक्षता के रुप में नहीं बल्कि सामाजिक, वैज्ञानिक इत्यादि पक्षों पर भी ध्यान दिया जाए।

6) सभी विषयों को उद्योग से सहसम्बधित कर पढाया जाए और उद्योगों से विषय–वस्तु को अधिक से अधिक जोडकर कर बच्चों के सामने रखा जाए। और इसमें बच्चों की रुचि का खयाल रखा जाए।

इस तरह नई तालीम ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम बढाया। इसमें शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए एक नई दिशा दिखलाई गई। बुनियादी पाठशाला केवल कुछ बडे लोगों को नौकरी के लिये तैयार करने की जगह नहीं है, बल्कि श्रम करने वाले भारतीयों के व्यावहारिक एवं सामाजिक प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु है। महात्मा गांधी के विचार में बुनियादी शिक्षा एक शिक्षण–विधि नही है, अपितु एक जीवन शैली है।

बुनियादी शिक्षा के गुण

1) उत्पादन कार्य द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था आधुनिकतम मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है।

2) बुनियादी शिक्षा उपयोगी सामाजिक क्रियाकलापों के माध्यम से एक उच्च कोटि की संस्कृति का निर्माण करती है।

3) भारत जैसे गरीब देश में बुनियादी शिक्षा नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का एक विकल्प है।

4) मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा यह बुनियादी शिक्षा की विशेष देन है।

5) बुनियादी शिक्षा शैक्षिक दृष्टि से एक ऊँचे स्तर की मॉग करती है।

6) बुनियादी शिक्षा एक ईमानदार सहयोगी नैतिक शोषणविहिन और अहिंसावादी समाज की परिकल्पना करती है।

दोष:–

1) यह शिक्षा केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिये है ऐसा प्रतीत होता है।

2) रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक उत्पादन है, व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं। इससे धनी और गरीब के बीच की खाई बढने का भय है।

3) किसी भी उद्योग के माध्यम से सभी विषयों का शिक्षण और मनुष्य का समग्र विकास संभव नही है।

4) उद्योग–केंदित शिक्षा होने के कारण अस्वाभाविक की संभावनाएँ बहुत है।

अपनी प्रगति की जाँच 7

बुनियादी शिक्षा के बारे में चर्चा कीजिए ।

सार्जेंट योजना:–

आयोग की नियुक्ति एवं उसके कारण

द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने के बाद युद्धोत्तर विकास योजनाओं में शिक्षा को भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। तत्कालीन भारतीय शिक्षा के सलाहकार सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में एक सर्वेक्षण का गठन किया सर जॉन सार्जेंट ने सन 1944 तक स्मृति पत्र तैयार कर लिया और 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' के समक्ष प्रस्तुत कर उस पर स्वीकृति ले ली। इन्ही कारणों से इस योजना को युद्धोत्तर शिक्षा–विकास योजना या सार्जेंट योजना कहते हैं।

सार्जेंट रिपोर्ट की सिफारिशें

सार्जेंट रिपोर्ट बारह भागों में विभाजित है।

1) पूर्व प्राथमिक या नर्सरी शिक्षा:–

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दी जाए।

2. यह शिक्षा बच्चों को निशुल्क प्रदान की जाए।

2) बुनियादी या प्राथमिक शिक्षा:–

बुनियादी शिक्षा को दो भागों में बॉटा गया

1.जूनियर बेसिक शिक्षा – 6 से 11 वर्ष तक के छात्र

2. सीनियर बेसिक शिक्षा – 11 से 14 वर्ष तक के छात्र

यह शिक्षा सार्वजनिक एवं निशुल्क हो।

3) हाई स्कूल की शिक्षा:– हाईस्कूल दो प्रकार की हो

१ एकेडेमिक

२ टेकनिकल

इन दोनों का उद्देश्य सर्वांगीण शिक्षा को विकसित करना है।

4) विश्वविद्यालय शिक्षा:– देश के सभी महाविद्यालयों में समता लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हो। डिग्री कोर्स तीन वर्ष का हो।

5) टेकनिकल शिक्षा:– आयोग ने औद्योगिक विकास के लिए टेकनिकल शिक्षा को महत्व दिया।

6) प्रौढ शिक्षा:– प्रौढ शिक्षा हेतु गावों में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हो। प्रौढों के लिये सामान्य तथा व्यावसायिक दोनों प्रकार की शिक्षा का प्रबंध हो।

7) अध्यापकों का प्रशिक्षण:– आयोग ने अध्यापकों के प्रशिक्षण पर ज्यादा बल दिया और कहा कि आवश्यकता के अनुसार देश में नए ट्रेनिंग कॉलेज खोले जाए।

8) विकलांग छात्रों की शिक्षा:– शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से अपंग बच्चों के लिए सरकार की ओर से विशेष प्रबंध करने की सिफारिश की गई।

9) छात्रों के स्वास्थ्य सुधार की शिक्षा:– छात्रों के लिए नि:शुल्क चिकित्सा का प्रबंध हो, और छात्रों को शारीरिक सफाई एवं घर की सफाई संबंधी शिक्षा प्रदान की जाए।

10) रोजगार कार्यालय:– छात्रों को व्यवसाय चुनने के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना हो। विद्यालयों में अलग रोजगार कार्यालय हो।

11) मनोरंजक एवं सामाजिक क्रियाएँ:– स्कूल में अध्ययन–अध्यापन के साथ साथ मनोरंजक एवं सामाजिक क्रियाओं को महत्व दिया जाय।

12) शिक्षा का प्रशासन:– शिक्षा का प्रशासन सुधारने के लिए केंद्र तथा प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो।

सार्जेंट योजना के गुण

1) छात्रों के समग्र विकास पर अधिक बल दिया गया।

2) व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया।

3) नर्सरी एवं प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति का सुझाव मनोवैज्ञानिक था।

4) इस योजना में शिक्षा के समस्त अंगों पर प्रकाश डाला गया।

5) इस योजना में विभिन्न दोषों में सुधार का सुझाव दिया गया।

6) प्रौढ शिक्षा पर जोर दिया गया।

7) शिक्षा को जीवननिष्ठ बनाने के लिए रोजगार कार्यालय का सुझाव दिया।

8) शिक्षकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर सुझाव दिया गया।

9) खेल कूद, व्यायाम मनोरंजन इत्यादि को पाठ्यक्रम में स्थान दिया।

सार्जेंट योजना के अवगुण:–

1) मातृभाषा की उपेक्षा की गई।

2) धार्मिक एवं स्त्री शिक्षा को ठुकराया गया।

3) भारतीय शिक्षा में इंग्लैंड की शिक्षा–व्यवस्था की अच्छाइयों को शामिल किया गया।

4) अनिवार्य शिक्षा–संबंधी व्यवस्था का सुझाव नहीं दिया गया।

5) वर्धा–योजना के अनेक अंशो की इसमें उपेक्षा की गई।

6) इस विशाल योजना को पूरा निर्धन भारत के लिए असंभव थी।

1.2.5 स्वतंत्र भारत में गठित विभिन्न आयोगों और समितियों की संस्तुतियों का अध्ययन, क्रियान्वयन और वर्तमान शिक्षा के विकास में उनकी भूमिका

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के विकास में अनेक प्रयत्न किये गये। भारत में इसके लिये विभिन्न आयोग बनाये गये।

1) विश्व विद्यालय शिक्षा आयोग (राधाकृष्णन आयोग 1948-49)

भारत सरकार ने 4 नवम्बर 1948 को डॉ. एस.राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसका प्रमुख कार्य था विश्वविद्यालयीन शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उसके सुधार तथा विस्तार के विषय पर अपने सुझाव देना।

1) विश्वविद्यालयों की शिक्षा और शोध का विषय।

2) विश्वविद्यालयों के संगठन,नियंत्रण और अधिकार क्षेत्र में वांछित परिवर्तन।

3) विश्वविद्यालयों की अर्थव्यवस्था।

4) विश्वविद्यालयों का प्रांतीय और केंन्द्रीय सरकारों से संबंध।

5) विश्वविद्यालयी शिक्षा के स्तर को उँचा उठाना।

6) विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम।

7) विश्वविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम।

8) विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का स्वरुप।

9) नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना का आधार।

10) विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा का आधार।

11) विश्वविद्यालय में शोधकार्य का संगठन।

12) विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति, इतिहास, भाषाओं, ललितकलाओं और दर्शन की शिक्षा की व्यवस्था।

13) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के बारे में सुझाव।

14) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन की स्थापना।

15) बनारस, अलीगढ और दिल्ली विश्वविद्यालयों की विशेष समस्याओं का समाधान।

आयोग का मूल्यांकन

आज तक जितने भी आयोग एवं समितियॉ गठित हुई है उन सब में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी अंगों की विस्तृत समीक्षा की और उनके संबंध मे अपने सुझाव दिए जिन्हे सर्वसम्मति से अद्वितीय माना गया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने आयोग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा था–आयोग ने हमारी विश्वविद्यालय शिक्षा पर गंभीरता पूर्वक विचार करके एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और साथ ही अमूल्य प्रस्ताव तथा सुझाव दिए हैं।

अपनी प्रगति की जाँच 8

राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश बताइए।

.....

२) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) (मुदालियर आयोग) –

1) आयोग की नियुक्ति:– मुदालियर आयोग की नियुक्ति 23 सितंबर 1952 में हुई। इसके अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर थे। अध्यक्ष के नाम पर इस आयोग को मुदालियार शिक्षा आयोग कहा जाता है।

2) आयोग के उद्देश्य:–

1. भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना।
2. माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक बेसिक तथा उच्च शिक्षा से संबंध सुदृढ करना।
3. विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारम्पारिक संबंध सुदृढ करना।
4. माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएँ।

3) आयोग के विचार एवं सुझाव:– आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिये निम्नलिखित विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए।

माध्यमिक शिक्षा के दोष

1) माध्यमिक शिक्षा का जीवन से कोई संबंध नही है।

2) माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रशिक्षित एवं विकसित करने में विफल रही है।

3) माध्यमिक शिक्षा एक पक्षीय एवं संकीर्ण है। और छात्रों के रुचि अनुकूल नहीं है।

4) इस शिक्षा से व्यावहारिक जगत का किंचित मात्र भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है।

5) अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम एवं अध्ययन का अनिवार्य विषय है।

6) अध्ययन की रीतियॉ परंपरागत हैं और वे छात्रों को प्रभावित करने में असमर्थ हैं।

7) शिक्षण–विधियॉ इतनी दोषपूर्ण है कि छात्रों को विचारों की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती।

8) कक्षाओं में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण अध्यापकों एवं छात्रों में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित नही हो पाता है।

9) छात्रों के चरित्र–निर्माण की ओर ध्यान नही दिया जाता है।

10) परीक्षा–प्रणाली अत्यधिक दोषपूर्ण है।

माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य:–

1) लोकतंत्रात्मक नागरिकता का विकास:– शिक्षा द्वारा ऐसे नागरिकों का निर्माण किया जाना चाहिए जो भारत के वातावरण के अनुकूल हो।

2) व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि:– शिक्षा द्वारा व्यावसायिक कुशलता आनी चाहिए इसलिये छात्रों को औद्योगिक शिक्षा दी जानी आवश्यक है।

3) व्यक्तित्व का विकास:– शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना है इसलिये शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे छात्रों के व्यक्तित्व का विकास हो सके।

4) नेतृत्व का विकास:– प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रत्येक नागरिक को अनुशासन एवं नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करनी होगी। अत: माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को अनुशासन के साथ–साथ नेतृत्व की भी शिक्षा देनी है।

माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठन:–

'मुदालियार आयोग' के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के पुर्नसंगठन के विषय मे निम्नांकित सुझाव है –

1) माध्यमिक शिक्षा की अवधि ७ वर्ष होनी चाहिए।

2) यह शिक्षा ११–१७ वर्ष तक की आयु के बालकों तथा बालिकाओं के लिए होनी चाहिए।

3) शिक्षा की अवधि को दो भागों में विभाजित की जाए।

३ वर्ष की जूनियर माध्यमिक शिक्षा और

४ वर्ष की उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा।

4) वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षा समाप्त की जाए।

5) डिग्री कोर्स ३ वर्ष का कर दिया जाए।

6) बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जाए।

7) ग्रामीण विद्यालयों में कृषि की शिक्षा का विशेष रुप से प्रबंध किया जाए।

8) उद्योगों पर उद्योग–शिक्षा–कर लगाया जाए और इससे प्राप्त धन को प्राविधिक शिक्षा के विस्तार में व्यय किया जाए।

भाषाओं का अध्ययन

1) माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए।

2) हायर सेकेंडरी स्तर पर कम से कम दो भाषाओं की शिक्षा दी जाए।

माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम

1) पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों की विभिन्न योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास किया जा सके।

2) पाठ्यक्रम का सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए।

3) पाठ्यक्रम में विविधता तथा लचीलापन होना चाहिए।

4) पाठ्यक्रम के समस्त विषयों में अर्न्तसम्बन्ध होना आवश्यक है।

5) पाठ्यक्रम के विषय:–

1) मिडिल अथवा जूनियर हाईस्कूल

1. भाषाएँ 2. समाज–विज्ञान 3. सामान्य विज्ञान

4. गणित 5. कला एवं संगीत 6. शिल्प और शारीरिक शिक्षा

२) हायर सेकेंडरी स्कूल:–

पाठ्यक्रम में निम्मिलिखित ७ समूह होने चाहिए

१ मानविकी २ विज्ञान ३ टेकनिकल विषय ४ वाणिज्य विषय

५ कृषि विज्ञान ६ ललित कलाएँ ७ गृह विज्ञान

अनिवार्य विषय:–

१ भाषा २ सामान्य विज्ञान

३ समाज विज्ञान ४ शिल्प

परीक्षा:–

1) बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम की जाए।

2) परीक्षा निबंधात्मक ढंग की न हो।

3) बाह्य तथा आन्तरिक परीक्षाओं का मूल्याकन अंको में न किया जाकर प्रतीकात्मक होना चाहिए।

5) सेकेंडरी स्कूल का संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त होने के उपरांत ही केवल एक सार्वजनिक परीक्षा ली जाए।

अध्यापकों का प्रशिक्षण एवं उन्नति:–

1) प्रशिक्षण–विद्यालय केवल दो प्रकार के होने चाहिए।

प्रथम:– जो छात्र माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है उनके लिये प्रशिक्षण काल दो वर्ष' का होना चाहिए।

द्वितीय:– उनके लिए जो स्नातक है उनका प्रशिक्षण काल एक वर्ष का हो। बाद में दो सालों का करना चाहिए।

2) संपूर्ण देश में शिक्षकों के चयन की विधि एक जैसी होनी चाहिए।

3) प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रशिक्षण की अवधि १ वर्ष होनी चाहीए।

4) समान योग्यता एवं समान कार्य करनेवालों को समान वेतन दिया जाना चाहिए।

5) अध्यापकों को पेंशन, प्रोविडेंटफंड और जीवन–बीमा की सुविधाएँ दी जाए।

आयोग का मूल्यांकन

1) **आयोग के गुण:–**

1) आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

2) व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं को संतुष्ट करने के लिए पाठ्यक्रम का करना।

3) व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार विषयों का चयन करने के लिए बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना करना।

4) कृषि शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना।

5) अपने भावी व्यवसाय चुनने में छात्रों को सहायता देने के लिए मार्गदर्शन और निर्देशन देना।

6) परीक्षा के दोषों का उन्मूलन करने एवं शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन करने की नवीन पद्धति का विकास।

7) शिक्षकों की स्थिति में सुधार करना।

8) शिक्षकों की दशा, सेवा–प्रतिबंधों, वेतन, प्रशिक्षण आदि के संबंध में आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

आयोग के दोष:–

1) माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन के संबंध में दिए सुझाव सर्वथा अपूर्ण है।

2) स्त्री शिक्षा के विस्तार के संबंध में कोई महत्वपूर्ण सुझाव नहीं दिया है।

3) बालकों तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में भेद नहीं किया गया है।

4) इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त करने का सुझाव भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।

आयोग के सुझावो का कार्यान्वयन:–

आयोग के अधिकांश सुझावों को केंद्रीय सरकार व्दारा स्वीकार करके कार्यान्वित कर दिया गया है।

1) वर्तमान स्कूलों को बहुउद्देशीय स्कूलों में बदल कर नया रुप दिया गया है।

2) कृषि शिक्षा के विस्तार के लिए ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना।

3) इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक विद्यालयों का निर्माण

4) माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रुप से तीन भाषाओं का अध्यापन।

5) विज्ञान आदि विषयों के अध्यापन में सुधार

6) छात्रो के शारीरिक कल्याण के लिए अखिल भारतीय क्रीडा परिषद की स्थापना

7) अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना।

अपनी प्रगति की जाँच 9

विश्वविदयालय आयोग और मुदालियार आयोग के गुण और दोष बताइए।

.....

कोठारी कमीशन

कोठारी कमीशन की नियुक्ति की आवश्यकता

1952 तक जितने भी आयोग नियुक्त किए गए किसी भी आयोग में शिक्षा के समस्त स्तरों पर विचार नहिं किया गया था। अत: इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की जिसके अध्यक्ष डॉ.डी.एस.कोठारी हुए। अत: कोठारी महोदय के नाम पर ही इस आयोग का नाम कोठारी आयोग पडा।

अध्यक्ष:– प्रो.डी.एस.कोठारी

सचिव:– श्री.जे.पी.नायक

सह–सचिव:– श्री.जे.एफ.मैक्डूगल

आयोग के सुझाव एवं संस्तुतियॉ –

आयोग ने निम्नलिखित सुझाव व सस्तुतियॉ दीं।

1) शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य:–

आयोग ने निम्न राष्ट्रीय लक्ष्यों का उल्लेख किया –

1. शिक्षा और उत्पादकता
2. शिक्षा और सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता।
3. शिक्षा और आधुनिकीकरण
4. शिक्षा और सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य

आयोग के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है इसलिए शिक्षा में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सुधार होना अत्यंत आवश्यक है।

२) शिक्षा प्रणाली की संरचना:–

1. एक से तीन वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा

2. सामान्य शिक्षा की अवधि १० वर्ष व निम्न माध्यमिक स्तर की शिक्षा २ या ३ वर्ष में विभाजित होगी।

3. उच्च शिक्षा के अन्तर्गत तीन वर्ष के डिग्री कोर्स तथा २–३ वर्ष का स्नातकोत्तर उपाधि का पाठ्यक्रम हो।

4. उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए।

३) शिक्षा सुविधाएँ:–

1. अवकाश कम कर कार्य दिवस बढाये जाएँ।

2. कार्य के घंटे बढाई जाय तथा परीक्षा के दिनों की संख्या घटाई जाए।

3. छात्रों को वाचनालयों, पुस्तकालयों, तथा प्रयोगशालाओं का समुचित उपयोग करने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए।

4) स्कूल पाठयक्रम

1) प्राथमिक स्तर के लिए मातृभाषा, गणित, विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, सामाजिक विषय व सृजनात्मक क्रियाओं को पाठयक्रम का अंग बनाया जाए।

2) कक्षा ५–७ तक अन्य विषयों के अतिरिक्त दो भाषाएँ, कला, नैतिक शिक्षा व कार्यानुभव को स्थान दिया जाए।

3) कक्षा ८–१० के छात्रों को तीन भाषाएँ–प्रादेशिक, मातृभाषा व अंग्रेजी पढाई जाए।

4) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दो भाषाएँ तथा पूर्ववत पाठ्यक्रम रखा जाए।

5) आयोग ने हाईस्कूल की शिक्षा में २०% तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में ५०% व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल करने की सिफारिश की।

5) उच्च शिक्षा:–

विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्गठन करना, पाठयक्रम, उद्देश्य, शिक्षा स्तर, शिक्षण विधियॉ, विश्वविद्यालय समानता, स्वतंत्रता, संगठन कार्य विधि आदि पर आयोग ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

1) कृषि शिक्षा:–

1. कृषि विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान से उचित सहायता व सहयोग मिलना चाहिए।

2. प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।

3. कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा तथा प्रसार सेवा कार्यक्रमों को महत्व दिया जाए ताकि कृषि शिक्षा में प्रगति हो सके।

२) व्यावसायिक शिक्षा:–

1. माध्यमिक स्तर पर औद्योगिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए।

2. डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था की जाए।

3. अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाया जाए।

4. अभियांत्रिकी कॉलेजों को विश्वविद्यालय के समकक्ष माना जाय।

३) शिक्षा अनुसंधान

1. अनुसंधान कार्य के लिए धन व विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जाए।

2. शोध को प्रतिष्ठित बनाने हेतु शोध छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएँ तथा मौलिक व महत्वपूर्ण कार्य पर ही पी.एच.डी. की उपाधि दी जाए।

6) प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education)

1. व्यावसायिक ज्ञान में वृद्धि के लिये अंशकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

2. इसके लिये पत्रव्यवहार द्वारा शिक्षा का प्रबंध किया जाए।

3. पुस्तकालय तथा वाचनालय की व्यवस्था की जाए।

7) अध्यापक शिक्षा –

1. अध्यापकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करे।

2. समान कार्य समान वेतन का सिद्धांत लागू हो।

3. अध्यापकों का वेतन क्रम उनके कार्य और उत्तरदायित्व के अनुरुप ऊँचा किया जाए।

4. प्रशिक्षण विद्यालयों में कुशल अध्यापकों की नियुक्ति की जाए।

5. शिक्षा में मूल्यांकन के लिए आधुनिक विधियॉ अपनाई जाए।

8) शैक्षिक अवसरों की समानता

1. प्राथमिक शिक्षा को पूर्णत: नि:शुल्क किया जाए।

2. पुस्तकें खरीदने में छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाए।

3. प्राथमिक स्तर पर छात्रों को नि:शुल्क पुस्तक व लेखन सामग्री दी जाएँ।

4. विकलांग व मानसिक दृष्टि से असामान्य छात्र–छात्राओं की शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट विद्यालय स्थापित किया जाए।

5. आदिवासियों की शिक्षा हेतु आश्रम पद्धति पर आधारित स्कूल खोले जाएँ।

9) प्रशासन –

1. समस्त शिक्षा संस्थाओं का प्रशासन सरकार के अधीन हो।

2. प्रबंध समितियों में सरकार के प्रतिनिधि सदस्य हो।

3. व्यक्तिगत संस्थाओं में भी शिक्षकों की नियुक्ति हो।

4. जिस विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था ठीक न हो उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाए।

10) वित्तीय व्यवस्था

१ स्थानीय संस्थाएँ शिक्षा पर एक तिहाई धन अपनी आय से दे।

२ दो तिहाई धन राज्य सरकारें अपने कोष से दे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (National Policy of Education 1986)

भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु स्वतंत्रता के बाद अनेक प्रयास किये गए। जनवरी 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में एक नई शिक्षा नीति के निर्माण की घोषणा की गई। इस नीति में कुछ संशोधन कर 1986 में इसे स्वीकार कर लिया गया जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहा गया। इसके प्रारुप को चार भागों में बॉटा गया है।

शिक्षा प्रारुप:– १ शिक्षा के किताबी ढॉचे को बदलना।

शिक्षा प्रारुप:– २ सामाजिक दायित्व का भाव पैदा करना।

शिक्षा प्रारुप:– ३ शिक्षा का इक्कीसवीं सदी में पदार्पण तथा सामाजिक परिवर्तन की वाहिका बनाना।

शिक्षा प्रारुप:– ४ शिक्षा में तकनीकी परक दृष्टिकोण अपनाना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उददेश्य –

1) शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन की वाहिका बनाना।

2) वर्तमान शिक्षा को जनजागरण की शिक्षा के रुप मे परिवर्तन करना।

3) शिक्षा द्वारा व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक उन्नति और सृजनशीलता बढाना।

4) शिक्षा के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना।

5) छात्रों में शिक्षा द्वारा वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और चरित्रात्मक मूल्यों का विकास करना।

6) छात्रों में काम के प्रति निष्ठा, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्धता, देश की एकता एवं अखण्डता तथा अंतरराष्ट्रीय समाज को बढावा देना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूलतत्व –

1) राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमः–

1. समूचे देश में १०+२+३ प्रणाली लागू की जाए। उसके ५ वर्षीय निम्न प्राथमिक, ३ वर्षीय उच्च प्राथमिक तथा २ वर्ष की हाई स्कूल की शिक्षा होगी।

2. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय शिक्षाक्रम का एक ढॉचा होगा।

2) पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षाः–

1. बाल शिक्षा कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

2. प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक प्रवेश, १४ वर्ष की आयु तक ठहराव और शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि की जाएगी।

3. प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

4. प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक होंगे जिनमे कम से कम एक महिला होगी।

5. विद्यालय छोडने वाले बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा।

3) अल्पसंख्यकों की शिक्षाः–

अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिये सर्वसाधारण योजना तैयार की जाए।

4) स्त्री शिक्षाः–

स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाएगा तथा उसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

5) अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की शिक्षाः–

1. गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रलोभन, अनौपचारिक शिक्षा तथा छात्रवृत्ति योजना, निदानात्मक शिक्षण, शिश्वको की नियुक्ति, छात्रावास सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाएगी।

6) विकलांगों की शिक्षाः–

विकलांग व्यक्तियों को सामान्य समुदाय के साथ सहभागी बनाने में बल देना। उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण छात्रावास तथा स्वैच्छिक प्रयत्नों पर विशेष बल दिया जाएगा।

7) नवोदय विद्यालयः–

तीव्रतर गति से आगे बढने के अवसर प्रदान करने के लिए देश के प्रतिभावान बालकों के लिए प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। पिछडे वर्ग के विदयार्थियो को आगे बढाने के लिये नवोदय विदयालय की स्थापना की गई। नवोदय विदयालय में पाठ्यक्रम केंद्रीय शिक्षा प्रणाली का होगा।

8) माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरणः–

1. १९९० तक १०% तथा १९९५ तक २५% उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा।

2. कार्यानुभव को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर स्वीकार किया जाएगा।

9) उच्च शिक्षा एवं खुला विश्वविद्यालयः–

1. उच्च शिक्षा कार्यक्रमों को पुनर्गठित किया जाएगा।

1. १९८५ में स्थापित 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय' को समृद्ध किया जाएगा।

10) प्रौढ शिक्षा:–

प्रौढ शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। उनके लिए आवश्यकता व रुचि पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने पर बल दिया जाएगा।

11) ग्रामीण विश्वविद्यालय:–

महात्मा गांधी के विचारो पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय का नया पैटर्न विकसित करने पर बल दिया जाएगा।

12) उपाधि रोजगार:–

उपाधि को रोजगार से अलग करके देश के कुछ चयनित क्षेत्रों में राष्ट्रीय परीक्षण सेवा जैसी उपयुक्त प्रणाली विकसित की जायेगी।

13) प्रौद्योगिक एवं प्रबंध शिक्षा:–

१ प्रौद्योगिक एवं प्रबंध शिक्षा पर जोर देना। वर्तमान व उभरती प्रौद्योगिकी में सतत शिक्षा को प्रोत्साहन देना। महिलाओं तथा विकलांगों के लाभ के लिए तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत औपचारिक एवम् अनौपचारिक कार्यक्रम चलाना।

14) कम्प्यूटर साक्षरता:– कम्प्यूटर और उसके उपयोग को व्यावसायिक शिक्षा का अंग बनाया जाएगा। कम्प्यूटर साक्षरता के कार्यक्रम स्कूल स्तर पर बडे पैमाने पर आयोजित किए जायेगे।

15) शैक्षिक तकनीकी:– शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी की सहायता ली जाएगी। सूचना प्रसारण, शिक्षक प्रशिक्षण, गुणात्मक वुद्धि, कला–संस्कृति के लिए जागरुकता, वांछित मूल्यों के विकास के क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाएगा।

16) मूल्यों की शिक्षा:– ऐसी मूल्यों की शिक्षा जो व्यक्तियों की समानता एवं एकता पर बल देकर अंधकार, धर्मान्धता, हिंसा, अन्धविश्वास और भाग्यवादिता के निराकरण पर बल दे।

17) पुस्तकों की गुणवत्ता:– पुस्तकालय की व्यवस्था और पुस्तकालयाध्यक्षों के स्तर पर अपेक्षित संशोधन एवं सुधार करने पर बल।

18) गणित एवं विज्ञान शिक्षण:– गणित शिक्षण को पुर्नगठित किया जाएगा। विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम इस तरह से तैयार किए जायेंगे कि वह विद्यार्थियों के समस्या एवं निर्णय क्षमता पर बल दे।

19) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड:– ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक शालाओं मे २ कक्षाएँ, २ शिक्षक एक महिला अध्यापक, स्वच्छतागृह, शैक्षिक साहित्य इत्यादि प्राथमिक सुविधाएँ होनी चाहिए।

20) परीक्षा प्रणाली:– परीक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाया जाएगा। अंको के स्थान पर ग्रेड तथा माध्यमिक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी। छात्रों को फेल न करके ग्रेड प्रदान की जाएगी।

21) शिक्षक:–

1. शिक्षकों की चयन विधि में योग्यता, वस्तुनिष्ठता तथा व्यावहारिक वांछनीयता को दृष्टिगत रखते हुये पुनर्गठित किया जाएगा।
2. शिक्षण मूल्यांकन प्रणाली खुली, सहभागिता युक्त व प्रदत्त आधारित होगी।
3. शिक्षकों के लिए आचार संहिता निर्मित की जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन कार्यक्रम

इसके लिये २३ कार्यदल गठित किये गये जिनमें शिक्षा शास्त्री, विशेषज्ञ एवं केन्द्रीय व राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधि थे। इन कार्यदलों को निम्नलिखित विषय दिये गये –

1) शिक्षा प्रणाली को क्रियाशील बनाना।
2) स्कूल शिक्षा की पाठ्यवस्तु तथा प्रक्रियाएं।
3) नारी समानता के लिए शिक्षा।

4) अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गों की शिक्षा।

5) अल्पसंख्यकों की शिक्षा।

6) विकलांगो की शिक्षा।

7) प्रौढ एवं सतत शिक्षा।

8) पूर्व बाल्यकाल परिचर्या तथा शिक्षा।

9) अनौपचारिक शिक्षा व ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सहित प्रारंभिक शिक्षा।

10) माध्यमिक शिक्षा तथा नवोदय विद्यालय

11) शिक्षा का व्यावसायीकरण।

12) उच्च शिक्षा।

13) मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ अधिगम

14) तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा

15) अनुसंधान एवं विकास।

16) शिक्षा में कम्प्यूटरों का उपयोग सहित संचार साधन तथा शैक्षिक तकनीकी।

17) उपाधियों को रोजगार से अलग करना तथा मानव शक्ति नियोजन।

18) सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य तथा भाषा नीति को लागू करना।

19) खेल, शारीरिक शिक्षा तथा युवा।

20) मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा सुधार।

21) अध्यापक तथा उनका प्रशिक्षण।

22) शिक्षा का प्रबंध।

23) ग्रामीण विश्वविद्यालय/संस्थान।

कार्यान्वयन कार्यक्रम को 24 अध्यायों में विभाजित किया गया।

1) समानता हेतु शिक्षा:–

1) महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा:–

1. शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए किया जाए।

2. शिक्षा के व्यावसायीकरण का झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा।

3. पाठयक्रम तथा पठन सामग्री की पुनर्रचना की जाएगी।

4. महिलाओं से संबंधित अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

5. महिलाओं में निरक्षरता एवं शिक्षा की बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष सहायता सेवाओं का प्रावधान किया जाएगा।

6.विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

2) अनुसूचित जातियों की शिक्षा:–

1. निर्धन परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे वो अपने बच्चों को १४ साल की उम्र तक नियमित रुप से स्कूल भेज सके।

2. व्यवसायों में लगे बालकों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से शुरु की जाएगी।

3. अनुसूचित जाति के शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना।

4. अनुसूचित जातियों की शिक्षा की प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु लगातार नये तरीकों की खोज जारी रखना।

३) अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा:–

1. आदिवासी इलाकों में प्राथमिक विद्यालय खोलने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. पाठ्यक्रम निर्माण तथा शिक्षण सामग्री तैयार करते समय आदिवासी भाषाओं का उपयोग किया जाए।

3. शिक्षित प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

4) पिछड़े वर्ग की शिक्षा:–

1. पिछडे वर्गों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पहाड़ी व रेगिस्तानी जिलों में तथा दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में शिक्षा संस्थाएँ खोली जाएगी।

5) अल्पसंख्यको की शिक्षा:–

1. अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

2. संविधान में उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति की हिफाजत करने तथा अपनी शैक्षिक संस्थाएँ खोलने और चलाने के अधिकारों को भी शामिल किया जाए।

6) विकलांगों की शिक्षा:–

1. विकलांगता अगर आंशिक या हाथ–पैर की है तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई सामान्य बच्चों के साथ हो।

2. छात्रावास वाले स्कूलों की व्यवस्था की जाए।

3. व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

4. शिक्षकों को विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए विशेष रुप से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

7) प्रौढ शिक्षा:–

1. प्रौढ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा से जोड़ा जाएगा।

2. १५–३५ आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाएगा।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् शिक्षा केंद्रों की स्थापना।

4. विभिन्न पद्धतियों व माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रौढ शिक्षा तथा निरंतर शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा।

5. जन शिक्षण और समूह शिक्षण के साधन के रुप में रेडियो, दूरदर्शन और फिल्मों का उपयोग।

6. दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम।

8) पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा:–

1. एकीकृत बाल विकास सेवा के अन्तर्गत पूर्व विद्यालय शिक्षा को सुदृढ किया जाएगा।

2. पूर्व बाल्यकाल शिक्षा योजना में स्वास्थ्य तथा पोषण पक्षों पर ध्यान दिया जायेगा।

3. स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से चलाए जा रहे बाल विकास के सभी कार्यक्रमों में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

4. पूर्व प्राथमिक स्कूलों में स्वास्थ्य व पोषण के पक्षों पर ध्यान दिया जायेगा।

5. प्रशिक्षण पक्ष को सुदृढ किया जाएगा।

9) प्रारंभिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड:–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई। १४ वर्ष तक की आयु तक के बालकों के नामांकन तथा स्कूल में बने रहने पर तथा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया गया है।

1. क्षेत्र विशेष तथा जनसंख्या विशेष नियोजन क्रियान्वयन की व्यूह रचना का मुख्य केंद्र होगा।

2. विद्यालय उन्नति का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरु किया जाएगा।

3. नियोजन तथा क्रियान्वयन के सभी स्तर पर अध्यापकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

4. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत स्कूलो में भवन, चार्ट, खेल सामग्री आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

10) अनौपचारिक शिक्षा:–

1. जो बालक शिक्षा छोड चुके है, जहॉ विद्यालय नहीं है, या ऐसी लडकियॉ जो शिक्षा से वंचित है उनके लिए विशाल अनौपचारिक कार्यक्रम चलाया जाएगा।

2. अनौपचारिक शिक्षा केंन्द्रों में आधुनिक तकनीक की सहायता ली जाएगी।

3. औपचारिक शिक्षा की तरह एक पाठ्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के लिए भी तैयार किया जाएगा।

11) माध्यमिक शिक्षा:–

1. माध्यमिक शिक्षा स्तर पर बालकों का इतिहास, बोध और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का सही ढंग से ज्ञान दिया जा सकता है।

2. इस अवस्था में बालकों को अपने संवैधानिक दायित्व और नागरिकों के अधिकारों से परिचित हो जाना चाहिए।

3. जिन क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा नहीं है वहॉ इसे सुलभ बनाया जाएगा और दूसरे क्षेत्रो में सुदृढीकरण पर बल दिया जाएगा।

12) गति निर्धारक विद्यालय

1. देश के विभिन्न भागों में एक निर्धारित ढॉचे के अनुसार गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी।

2. इनमें नयी पद्धतियों को अपनाने और प्रयोग करने की छूट रहेगी।

3. इन विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य समता और सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा में उत्कृष्टता लानी होगी।

13) व्यावसायीकरण:–

1. शिक्षा में व्यावसायीकरण को क्रियान्वित करना आवश्यक है इससे व्यक्तियों मे रोजगार पाने की क्षमता बढेगी।

2. इसका उद्देश्य कई क्षेत्रों में चुने गए कार्यों में व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण देना होगा।

3. स्वास्थ्य के क्षेत्र में नियोजन के लिए स्वास्थ्य संबंधी व्यावसायिक पाठयक्रम की आवश्यकता होगी।

4. व्यावसायिक पाठ्यचर्चाओं या संस्थाओं को स्थापित करने का दायित्व सरकार और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के सेवा नियोजकों पर होगा।

14) उच्च शिक्षा:–

1. उच्च शिक्षा संस्थानों को संसाधन उपलब्ध कराकर उनमें सुविधाओं को बढाया जाएगा।

2. महाविद्यालयों में विभागों को बढाया जाएगा।

3. पाठयक्रमों को पुनर्गठित किया जाएगा।

4. अध्यापक प्रशिक्षण के लिए पुनश्चर्या तथा अभिनव पाठ्यक्रम चलाए जायेंगे।

5. विश्वविद्यालयों मे अनुसंधान की सुविधा को सुदृढ किया जाएगा।

6. विश्वविद्यालयों की कार्यक्षमता को बढाया जाएगा।

15) मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा।

2. पाठ्यक्रम को मोडयुलर प्रारुप पर बनाया जाएगा।

3. मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

16) ग्रामीण विश्वविद्यालय

1. ग्रामीण विश्वविद्यालय के नए ढॉचे को सुदृढ किया जाएगा।

2. इसे महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों के अनुरुप विकसित किया जाएगा।

3. महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं और कार्यक्रमों को सहायता दी जाएगी।

17) तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा:–

1.अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) को सुदृढ किया जाएगा।

2. राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डों तथा निदेशालयों को सुदृढ किया जाएगा।

3. तकनीकी संसाधन सूचना प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा।

18) नवाचार, शोध और विकास

1. सभी उच्च तकनीकी संस्थाएँ शोध कार्य में पूर्ण तत्परता से करेंगी।

2. इसका उद्देश्य उच्च स्तर की जनशक्ति उपलब्ध कराना है जो शोध और विकास में उपयोगी सिद्ध हो सके।

19) प्रणाली को कार्यकारी बनाना

1.अध्यापकों को अधिक सुविधाओं के साथ ही उनकी अधिक जवाबदेही।

2. विद्यार्थियो के लिए सेवा में सुधार के साथ ही उनके सही आचरण पर बल।

3. शिक्षा संस्थाओं को अधिक सुविधाएँ दिया जाना।

20) मूल्य शिक्षा

1. सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा को सशक्त माध्यम बनाने के लिए पाठयक्रम में परिवर्तन करना आवश्यक है।

2. शिक्षा द्वारा सार्वजनिक व शाश्वत मूल्यों का विकास किया जाए।

21) पुस्तकें और पुस्तकालय

1. समाज के सभी वर्गों को आसानी से पुस्तकें उपलब्ध कराने के प्रयास किए जायेंगे।

2. पुस्तकों की गुणात्मकता को सुधारने, पढने की आदत का विकास करने और सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाये जायेंगे।

3. लेखकों के हितों की रक्षा के साथ–साथ विदेशी पुस्तकों के भारतीय भाषाओं में अच्छे अनुवादकों को सहायता दी जायेगी।

4. बाल पुस्तकों के लिये विशेष ध्यान दिया जाएगा।

22) संचार माध्यम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी

1. शैक्षिक प्रौद्योगिकी को सम्पन्न वर्गो के साथ अभाव वाले क्षेत्रों में पहुँचाया जाए।

2. शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधारने के लिए तथा कला और संस्कृति के प्रति जागरुकता के लिए किया जाएगा।

23) युवा वर्ग की भूमिका

1. शैक्षिक संस्थाओं के साथ–साथ उसके बाहर भी युवाओं को राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के कार्य में सम्मिलित होने के अवसर दिए जायेंगे।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर आदि योजनाओं में से किसी एक में भाग लेना बालकों के लिए अनिवार्य होगा।

3. राष्ट्रीय सेवाकर्मी योजना को सुदृढ किया जाएगा।

24) मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार

1. अत्यधिक संयोग व आत्मनिष्ठता की संभावना को समाप्त करना।

2. रटने पर जोर को कम किया जायेगा।

3. परीक्षाओं के आयोजन में सुधार किया जायेगा।

4.सतत और संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया जायेगा।

25) शिक्षक

1. अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढने की प्रेरणा मिले।

2. अध्यापकों को नये प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी जाए।

3. अध्यापकों की भर्ती प्रणाली में परिवर्तन किया जाए।

4. शिक्षकों का वेतन व सेवा शर्ते उनके व्यावसायिक और सामाजिक दायित्व के अनुरुप हो।

26) अध्यापकों की शिक्षा

1. अध्यापकों के लिये शिक्षा की प्रणाली को बदला जाएगा।

2. अध्यापकों की शिक्षा के नये कार्यक्रम में सतत शिक्षा की आवश्यकता पर बल देना होगा।

3. जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाएँ स्थापित किए जायेंगे।

27) भाषा विकास शिक्षा:–

1.आधुनिक भारतीय भाषाओं में पाठ्यसामग्री तथा संदर्भ पुस्तकें तैयार करायी जाएँगी।

2.अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों का भारतीय भाषा में अनुवाद किया जाएगा।

3. हिंदी को संपर्क भाषा के रुप में विकसित किया जाएगा।

28) शिक्षा का प्रबंध

1.केंन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के विभागों को सुदृढ किया जाएगा।

2. भारतीय शिक्षा सेवा गठित की जाएगी।

3. विद्यालय संकुल विकसित किए जाएँगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा:–

शिक्षा समिति ने २६ दिसम्बर १९९० को अपनी रिपोर्ट जो टुवर्डर्स इन भारत सरकार को सौंप दी एनलाईटन्ड एण्ड हयुमेन सोसायटी (Towards an Enlightened & human Society) शीर्षक से प्रकाशित हुई।

समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ की मॉडल की आलोचना करते हुए समाजोपयोगी उत्पादन कार्य (S.U.P.W) तथा कार्यानुभव को विषयवस्तु एवं शिक्षण विधि में सम्मिलित करने की सिफारिश की। अध्यापकों के प्रबंध में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक प्रशासन की सिफारिशें

१ केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के विभागों को सुदृढ़ करना।

२ केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

३ भारतीय शिक्षा सेवा का एक अखिल भारतीय सेवा के रुप में गठन किया जाएगा।

४ उच्चत्तर माध्यमिक स्तर के शैक्षिक प्रबंध के लिये जिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

अपनी प्रगति की जाँच ८

राष्ट्रिय शिक्षा नीति की समीक्षा कीजिए |

.....

१.३ सारांश

भारत में स्वतन्त्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में कई बदलाव हुए |भारत देश की सस्कृति अति प्राचीनतम है |इस देश में वैदिककाल,बौध काल और मध्ययुगीन काल में शिक्षा का विकास अलग अलग प्रकार से हुआ |वर्ष १८००से १९४७ के दौरान शिक्षा के विकास में अनेक प्रयास हुए |इस कालखंड में विविध आयोगों एवं समितियोंका गठन किया गया |जिसके अंतर्गत विश्व विद्यालय आयोग (राधाकृष्ण आयोग),माध्यमिक शिक्षा आयोग,कोठारी कमीशन आयोग,राष्ट्रिय शिक्षा निति इत्यादी आयोगोंका गठन किया गया | इन आयोगों एवं समितियों ने शिक्षा के विकास में अपने विभिन्न सूज़ाव दिए |

१.४ अपनी प्रगति की जाँच के लिए अपेक्षित उत्तर

अपनी प्रगति की जाँच १ उत्तर रु=अध्याय १.२ देखे |
अपनी प्रगति की जाँच २ उत्तर रु=अध्याय १.३ देखे |
अपनी प्रगति की जाँच ३ उत्तररु=अध्याय १.४ देखे |
अपनी प्रगति की जाँच ४ उत्तर रु=अध्याय १.५ देखे |
अपनी प्रगति की जाँच ५ उत्तर रु=अध्याय १.५ देखे |
अपनी प्रगति की जाँच ६ उत्तर रु=अध्याय १.५ देखे |
अपनी प्रगति की जाँच ७ उत्तर रु=अध्याय १.६ देखे |
अपनी प्रगति की जाँच ७ उत्तर रु=अध्याय १.६ देखे |
अपनी प्रगति की जाँच ७ उत्तर रु=अध्याय १.६ देखे |

१.५ शब्दावली

वैदिक काल ,बौद्ध काल ,मध्ययुगीन काल ,सार्जेट योजना ,हंटर कमीशन,निस्यंदन सिध्हांत ,विश्वविद्यालय आयोग,कोठारी कमीशन,राष्ट्रिय शिक्षा निति

१.६ कार्य आबंटन

१ प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरुप किस तरह था ?

२ वैदिक ,बौद्ध कालीन और मध्ययुगीन शिक्षा में भेद कीजिए |

१.७ क्रियाएँ

१८०० से १९४७ के दौरान आये विविध अयोगोंकी चर्चा कीजिए|

१.८ प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)

भारत में गठित विभिन्न आयोगोंकी वर्तमान शिक्षा के विकास में भूमिका बताइए|

१.९ सन्दर्भ पुस्तकें

१. शैक्षिक प्रबंध और शिक्षा की समस्याये -सुरेश भटनागर,डॉ.कमला वशिष्ठ,एम.के.सिंह

२.शिक्षा के समाजशास्त्र आधार -डॉ.सावित्री माथुर,डॉ.सतीश शर्मा,प्रो.जे.सी.सिन्हा.

३.शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन -डॉ.आर.ए.शर्मा

४.विद्यालय प्रशासन एवं संगठन-डॉ.सतीश कुमार

५.अध्यापक शिक्षा-डॉ.जी.सी.भट्टाचार्य

६.मानक शिक्षा दर्शन एवं शैक्षिक समाजशास्त्र-डॉ.हरिवंश तरुण

७.शैक्षिक प्रबंधन एवं विद्यालय एवं संगठन-डॉ.पुष्पलता कुशवाह,डॉ.कनक सक्सेना

इकाई २ सांगठनिक और प्रशासनिक संरचना

२.० शिक्षण उद्देश्य

२.१ परिचय

२.२ विषय विवेचन

२.२.१ शिक्षा प्रशासन के अभिकरण

२.२.२ पूर्व प्राथमिक,प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षा से जुड़े प्रशासनिक अभिकरण २.२.३ एम.एच.आर.डी

२.२.४ सी.बी.एस.ई.,एन.सी.ई.आर.टी, एस.सी.ई.आर.टी

२.२.५ डायट, बी.आर.सी, सी.आर.सी,

२.३ सारांश

२.४ अपनी प्रगति की जाँच के लिए अपेक्षित उत्तर

२.५ शब्दावली

२.६ कार्य आबंटन

२.७ क्रियाएँ

२.८ प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)

२.९ सन्दर्भ पुस्तकें

२.० शिक्षण उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद,आप निम्मिलिखित में सक्षम हो जायेंगे -

१. पूर्व प्राथमिक ,प्राथमिक, माध्यमिक,उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षा से जुड़े प्रशासनिक अभिकरण का स्वरुप समझ सकेंगे|

२. एम.एच.आर.डी की संरचना को जान पाएंगे|

३. सी.बी.एस.ई.,एन.सी.ई.आर.टी, एस.सी.ई.आर.टी,डायट, बी.आर.सी, सी.आर.सी, इसके कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करना इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य है|

२.१ परिचय

शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा का प्रबंध करने वाली सभी संस्थाये आती है | ऐसी संस्थाये सरकारी तथा गैर सरकारी श्रेणियों में विभक्त की जाती है |सरकारी संस्थाओं में केंद्र,राज्य सरकारे तथा स्थानीय प्रशासन आते है | शिक्षा प्रशासन के अनेक अभिकरण होते है| राज्य में शिक्षा का ढांचा अलग प्रकार का होता है |पूर्व प्राथमिक,प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के विभिन्न अभिकरण होते है | मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह केन्द्रीय स्तर पर शिक्षा का कार्यभार संभालते है| इसके अलावा सी.बी.एस.ई.,एन.सी.ई.आर.टी, एस.सी.ई.आर.टी, डायट, बी.आर.सी, सी.आर.सी, यह संस्थाए अपने स्तर पर अपना कार्यभार संभालते है|

२.२ विषय विवेचन

२.२.१ शिक्षा प्रशासन के अभिकरण

विद्यालय का संगठन, शिक्षा सिद्धांत की प्रशासनिक अभिव्यक्ति है। एल्स ब्री का यह कथन किसी भी देश की शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था की दार्शनिक अभिव्यक्ति है।

प्रशासन शब्द लैटिन के मिनिस्टर (minister) शव्द से आया है। इसका अर्थ है सेवा। प्रशासन (Administration) का शास्त्रीय अर्थ है निष्पत्ति, किसी कार्य को करने का अधिकार।

सी.वी.गुड के शब्दो में– निर्धारित नीतियों के अनुरुप शैक्षिक संगठन को क्रियाशील बनाने की प्रविधि प्रशासन है। इन सभी संस्थाओं का वर्णन इस पाठ में किया जा रहा है।

१) स्वैच्छिक संस्थायें:–

स्वैच्छिक संस्थाऐ (voluntary Institutions) ये ऐसी संस्थाऐ है जो समाज हित में सरकारी अनुदान के बिना अपने संसाधनो के आधार पर शिक्षा का प्रसार करती है। ये संस्थाऐ मानव सेवाओं के लिये कार्य करती है। भारत के शिक्षा में इन स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान महत्वपूर्ण है।

२) स्वायत्त संस्थायें (Autonomous Bodies)

ये संस्थाऐ सरकार द्वारा गठित की जाती है। ये संस्थाऐ शिक्षा का कार्य प्रतिनिधियों की रितियों–नीतियो से करती है। एन.सी.ई.आर.टी, यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई. केंद्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय तुल्य संस्थान आदि इसी प्रकार की संस्थाऐ है।

३) सरकारी संस्थायें (Govt. Agencies)

सरकारी संस्थाओं में केन्द्र, राज्य सरकारें तथा स्थानीय प्रशासन आते है। स्थानीय प्रशासन नगर परिषद तथा स्थानीय पंचायतों के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करता है।

शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा का प्रबंध करने वाली सभी संस्थायें आती है। ऐसी संस्थायें सरकारी तथा गैर सरकारी श्रेणियों मे विभक्त की जाती है।

शैक्षिक प्रबंध के अभिकरण (Agencies of Educational Management)

शिक्षा के काम के लिये अभिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इस का वर्गीकरण नीचे दिया हुआ है।

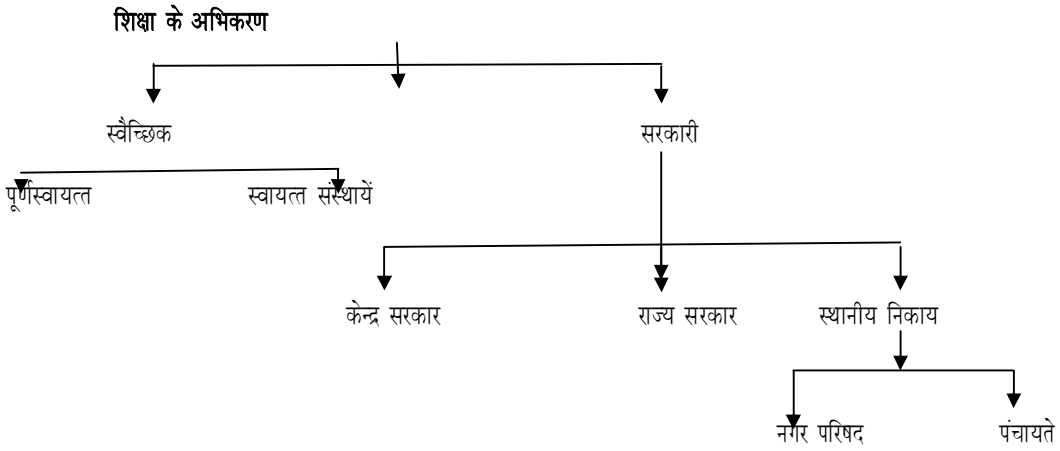

२) केन्द्रीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन (Education Administration at central Level)

केन्द्र सरकार का कार्य शिक्षा की नीतियों को निधारित करना और केन्द्र के संरक्षित क्षेत्रो में शिक्षा का विकास करना है।

केंन्द्र सरकार में शिक्षा प्रशासनः–

१) शिक्षा–मंत्री

२) राज्य–शिक्षामंत्री

३) शिक्षा उपमंत्री

४) शिक्षा सचिव

५) परामर्शदाता, उपपरामर्शदाता, कार्यक्रम सम्भाग

६) निर्देशक

१. परियोजना

२. प्रौढ–शिक्षा

३. सांख्यकी तथा सूचना

७) संयुक्त सचिव

१. कार्यक्रम व्यवस्थापक

२. शिक्षा उपपरामर्शदाता

३. उपसचिव, (विद्यालय संभाग)

४. उपसचिव (यूनेस्को संभाग)

५. सहायक शिक्षा परामर्शदाता (प्रकाशन एकक)

८) निदेशक (आन्तरिक वित्त)

९) संयुक्त सचिव

१. निदेशक (प्रशासन)

२. उपसचिव (पुस्तक सुधार)

३. उपसचिव (हिंदी खंड)

४. विशेष अधिकारी (संस्कृत)

५. उपशिक्षा परामर्शदाता उपसचिव (युवा सेवा)

१०) संयुक्त शिक्षा परामर्शदाता

१. उपपरामर्शदाता (उच्च शिक्षा)

२. उपसचिव (विदेश छात्रवृत्ति)

३. उपपरामर्शदाता (सचिव क्षेत्र)

११) शिक्षा परामर्शदाता (टेकनीकल)

१. उपपरामर्शदाता (तकनीकी शिक्षा संभाग)

शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित प्रमुख शिक्षा परिषद (Ministry of Education# Main Educational Council)

१) अखिल भारतीय शिक्षा परिषद (All India Educational council)

१) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education C.A.B.E.)

२) अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा–परिषद (All India Council for Elementry Education A.I.C.E.E.)

३) अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा–परिषद (All India Council for Secondary Education A.I.C.S.E.)

४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission)

५) अखिल भारतीय माविधिक शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Educaional A.I.C.T.E.)

६) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council for Education Research and Training)

७) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council for Scientific and Industrial Research C.S.I.R.)

८) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (National Institute of Educational Planning and Administration N.I.E.P.A.)

९) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (National Council for Teacher Education N.C.T.E.)

(३) राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन (Educaional Administration at state Level)

१. शिक्षामंत्री

२. उपशिक्षा मंत्री

३. शिक्षा सचिव

४. संयुक्त शिक्षा सचिव

स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में शिक्षा का प्रबन्ध (Management of Education at the central level in Independent India)

संविधान में केन्द्र के शिक्षा सम्बन्धी उत्तरदायित्वों को निभाने का कार्य मुख्य तौर पर इस समय मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (Ministry of Human Resource Development) भारत सरकार कर रहा है। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की नामावली नीचे दी गयी है।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की नामावली (Nomencleature of Ministry of Human Resource Development)

१९४७ –शिक्षा मन्त्रालय (Ministry of Education)

१९५८ – (i) शिक्षा मन्त्रालय (Ministry of Education)

(ii) वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक मामलों का मन्त्रालय (Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs) (MSRCA)

१९६७ – शिक्षा तथा युवा सेवाऐ मन्त्रालय (Ministry of Education and Youth services)

१९७१ –शिक्षा तथा समाजकल्याण मन्त्रालय (Ministry of Education and Social Welfare)

१९८५ –मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (Ministry of Human Resource Development)

२००५ –मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (Ministry of Human Resource Development)

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार

प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग — माध्यमिक तथा/उच्च शिक्षा

संगठन चार्ट : मानव संसाधन विकास मन्त्रालय

प्रारम्भिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग

(ORGANISATIONAL STRUCTURE OF MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT # DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION AND LITERACY)

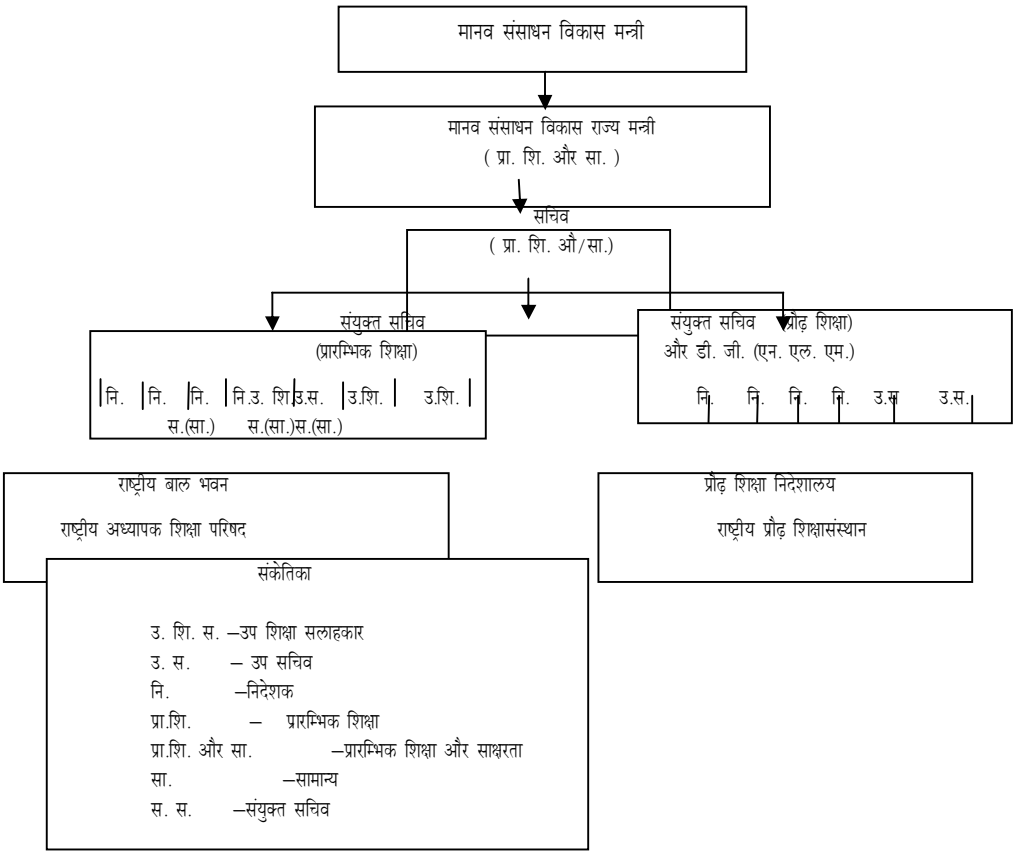

शिक्षा के केन्द्रीय अभिकरणों की भूमिका (Role of central agencies of education)

विभिन्न केन्द्रीय अभिकरणों की भूमिका एवं कार्य का वर्णन निम्नलिखित है–

मानवसंसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource and Development – M.H.R.D.)

स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा विभाग को शिक्षामंत्रालय मे परिवर्तित कर दिया गया।सन् १९५७ में शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को जोड़ा गया और सन १९५८ में इस मंत्रालय को दो भागों में विभाजित कर दिया–

(१) शिक्षामंत्रालय (Ministry of Education)

(२) वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय (Ministry of Scientific Research and Cultural Affair)

उपर्युक्त दोनों मंत्रालय अलग–अलग राज्य मंत्री की अध्यक्षता में रखे गए। सन् १९६३में पुन: इन्हें मिलाकर एक कर दिया गया जिसको दो भागों में विभाजित किया गया। जो इस प्रकार हैं– (१) शिक्षा विभाग (Department of Education) तथा (२) विज्ञानविभाग (Department of science)

इन्हें २९ फरवरी १९६४ से शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रखा गया और उसकी सहायतार्थ दो उपमंत्री और एक राज्य मंत्री रखा गया। सन्१९६४–६८ में शिक्षा मंत्रालय को पुन: गठित किया। इसमें पॉच ब्यूरो और चार डिवीजन बनाए गए जो इस प्रकार हैं– (१) विद्यालय शिक्षा (School Education) (२) उच्चशिक्षा (Higher Education), (३) छात्रवृत्ति (Scholarship), (४) नियोजन तथा ऐंसीलरी शैक्षिक सेवाऐं (Planning and Ancicllary Education service), तथा (५) भाषाऐं, साहित्य और ललित कलाऐं (Languages, Literature and Fine art).

उपर्युक्त शिक्षा मंत्रालय में निम्नलिखित चार विभाग थे–

(१) शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन (Physcial education and recreation)

(२) वैज्ञानिक अनुसंधान (Scientific research)

(३) बाह्य सम्बन्ध (External relations)

(४) प्रशासन (Administration)

सन् १९६७–६८ में इस शिक्षा मंत्रालय का पुन: गठन किया गया और इसमें दो ब्यूरो को और जोड़ा गया।साथ ही इन समस्त ब्यूरो के नामों में परिवर्तन किया गया। जो निम्नलिखित हैं–

(१) सांस्कृतिक क्रियाओं का ब्यूरो (Bureau of Cultural Activities)

(२) नियोजन और समन्वय ब्यूरो (Bureau of Planning and Cordination)

(३) प्रशासकीय ब्यूरो (Bureau of Administration)

(४) सामान्य शिक्षा का ब्यूरो (Bureau of General Education)

(५) तकनीकी शिक्षा का ब्यूरो (Bureau of Technical Education)

(६) छात्रवृत्ति और युवा–सेवाओं का ब्यूरो (Bureau of Scholarship and Youth Services)

(७) भाषा एवं पुस्तक–प्रोन्नति का ब्यूरो (Bureau of Language and Book Promotion)

प्रत्येक ब्यूरो एक संयुक्त सचिव परामदर्श दाता के अधीन रखा गया तथा उनके अधीन उपशिक्षा परामर्शदाता, उपसचिव, सहायक शिक्षा परामर्शदाता, उच्च विज्ञान अधिकारी व विभाग अधिकारी रखे गए। बहुत समय तक यही व्यवस्था प्रचलित रही। २६ सितम्बर १९८५ को एक नए मंत्रालय का सृजन किया गया जिसको 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (एम.एच.आर.डी.) का नाम दिया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development)के पॉच विभाग हैं–

(१) शिक्षा विभाग (Department of Education)

(२) संस्कृति विभाग (Department of Culture)

(३) कला विभाग (Department of Arts)

(४) युवा मामले एवं खेलकूद विभाग (Department of Youth Affairs and Sports)

(५) महिला और बाल सुरक्षा विभाग (Department of Women and Childcare)

इस प्रकार 'शिक्षा–मंत्रालय' विभाग को पुनर्गठित करके १९८६ में इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम दिया।इस समय यह मंत्रालय मानव विकास के सभी संसाधनों की व्यवस्था करता है। केन्द्रीय स्तर का मंत्री 'मानव संसाधन विकास मंत्री' इस विभाग की देखरेख करता है। शिक्षा सम्बन्धी दायित्वों को पूर्ण करने के लिए एक राज्य मंत्री तथा एक उपमंत्री होता है।

अपनी प्रगति की जाँच १

शिक्षा के केन्द्रीय अभिकरणों की भूमिका स्पष्ट कीजिए|

.....

२.२.२पूर्व प्राथमिक,प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षा के जुड़े प्रशासनिक अभिकरण

राज्य में शिक्षा–प्रशासन का ढाँचा

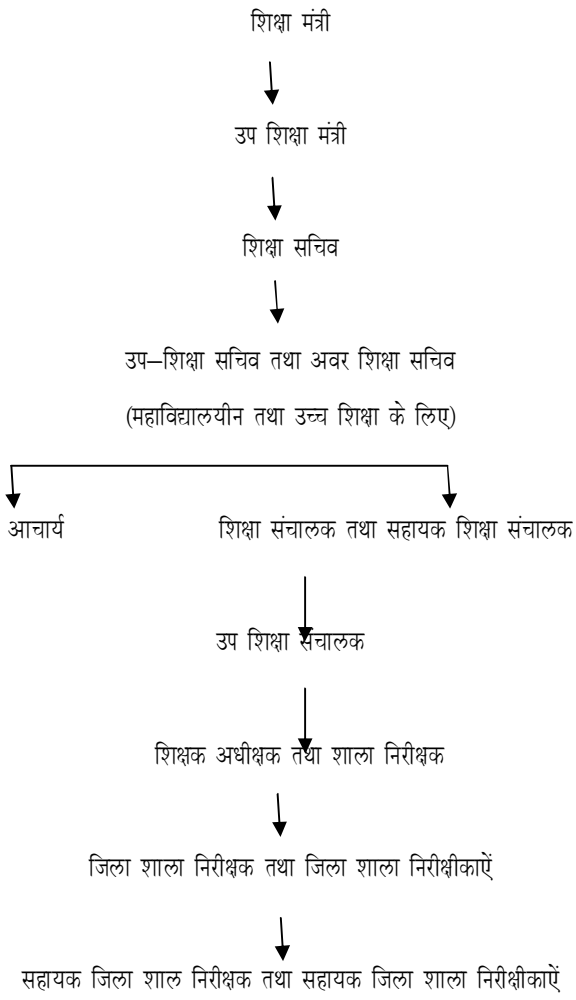

अ) अतिरिक्त शिक्षा सचिव ब) शिक्षा उपसचिव क) शिक्षा सहसचिव

५. शिक्षा संचालक

६. अतिरिक्त शिक्षा संचालक

७. शिक्षा उपसंचालक

८. सह शिक्षा संचालक

९. क्षेत्रीय शिक्षा संचालक

१०. जिला विद्यालय निरीक्षक

११. विद्यालय उपनिरीक्षक

१२. प्रति उपनिरिक्षक

(४) स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन (Educational Administration at Local Level)

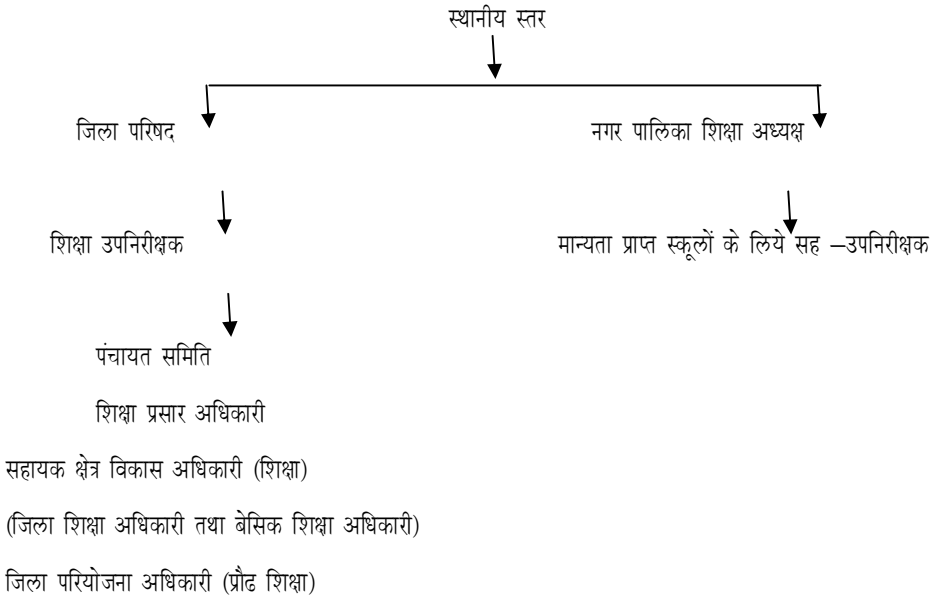

केन्द्र में शिक्षा – नीति का संचालन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (C.A.B.E.) करती है। देश का सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं शिक्षा प्रशासक इसका अध्यक्ष होता है। केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा के विकास के लिये कुछ संस्थानों का निर्माण किया है।

अपनी प्रगति की जाँच २

राज्य में शिक्षा प्रशाशन का ढांचा बताइएं |

.....

२.२.३ एन.सी.ई.आर.टी, एस.सी.ई.आर.टी, सी.बी.एस.ई.,

१) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grant Commission)

इसका कार्य विश्वविद्यालयों को अनुदान देकर उनका पोषण करना है। यह उच्च शिक्षा के कार्य में संतुलन बनाये रखती है। इस आयोग की स्थापना सन १९५३ में हुई।

२) राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (N.C.E.R.T.)

इस संस्था की स्थापना १९६५ में हुई। इस संख्या के अंतर्गत कई संस्थान है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा नियोजन, प्रशासन,साहित्य–निर्माण, आकडों को इकट्ठा करना और निदेशन की व्यवस्था करती है।

इसमें निम्नलिखित सामिल प्राप्त है –

१. भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता

२. दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति

३. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष

४. प्रत्येक राज्य सरकार का एक–एक प्रतिनिधि

५. भारत सरकार द्वारा मनोनित १२ सदस्य

यह संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। और समाज कल्याण मंत्रालय को क्रियान्वयन में सहायता करता है। साथ ही विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उसकी नीति निर्धारण तथा प्रमुख कार्यक्रमों के संचालन में उस मंत्रालय को सहायता प्रदान करता है।

परिषद के प्रमुख कार्य (Main Functions of Council)

१) सेवारत शिक्षकों और सेवा पूर्व शिक्षकों को नेतृत्व प्रदान करना। शिक्षकों को नवीन आयामों तथा परिवर्तनों से अवगत कराना और प्रशिक्षण देना।

२) प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार हेतु शोधकार्यो के लिए अनुदान देना।

३) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा सबंधी समस्याओं के शोध कार्यो के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

४) पाठयक्रम शैक्षिक सामग्री, शिक्षण–विधि, मूल्याकन तकनीकी आदि पर विचार करना।

५ उच्च गुणवत्ता वाली अनुदेशन सामग्री का प्रकाशन करना।

६ राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और क्षेत्रीय महाविद्यालय का संचालन और प्रकाशन का कार्य करना।

N.C.E.R.T. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council for Education Research and Training-NCERT)

एन. सी.ई.आर.टी. के घटक (Elements of NCERT) – परिषद की तीन प्रमुख इकाइयॉ है।

१. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान

२. शैक्षिक प्रौद्योगिक केंद्र

३. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय

१) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (National Institute of Education NIE)

मुख्यालय:– श्री.अरविंद मार्ग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के समीप, नई दिल्ली

कार्य:– १) शिक्षा में अनुसंधान तथा विकास, सेवारत प्रशिक्षण, प्रकाशन और प्रचार–प्रसार करना।

२) पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए पाठयक्रम आयोजित करना।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्था के विभाग:–

१) अध्यापक शिक्षा विशेष शिक्षा तथा विस्तार सेवा विभाग (Department of Teacher Education Special Education and Extenstion Service)

कार्य:– १) सेवापूर्व एवं सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम, नीति
निर्धारण एवं सामग्री का निर्माण करना।

२) पाठयक्रमों में सुधार करना तथा उसमें परिवर्तन करना।

३) विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा का कार्य।

४) विकलांग एवं मंदबुद्धि
बालकों के प्रशिक्षण से जुडे पाठयक्रम में सुधार हेतु सुझाव देना।

२) सामाजिक विज्ञान और मानविकी विभाग (Department of Social Sciences and humanities)

कार्य:– १) माध्यमिक स्तर पर पाठयक्रमों की रचना एवं पाठ्यसामग्री का निर्माण

२) पाठय पुस्तकों, सहायक पुस्तकों व अन्य संबंधित शिक्षा सामग्री का निर्माण।

३) विज्ञान और गणित विभाग (Department of Science and Mathematics)

कार्य:– १) विज्ञान और गणित विषयों से संबंधित पाठयक्रम एवं पुस्तकों की रचना।

२) माध्यमिक स्तर के भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं गणित विषयक पाठय सामग्री का निर्माण।

३) उपयोगी सामग्री को साइंस किट का रुप देकर ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना।

४) शिक्षा मनोविज्ञान परामर्श/तथा निर्देशन विभाग (Department of Educational Psychology, Counseling and Guidance)

कार्य:– १) बाल केन्द्रित शिक्षा को रुचि कर बनाना।

२) सीखने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना/परीक्षण करना।

३) शैक्षिक और व्यावसायिक परीक्षण द्वारा उचित परामर्श व निर्देश देने का कार्य।

५) मापन तथा मूल्यांकन विभाग (Department of Measurement and Education)

कार्य:– १) शैक्षिक विषय तथा व्यावसायिक कार्यकलापों के मापन और मूल्यांकन
हेतु परीक्षण सामग्री का निर्माण।

२) प्रश्नों की रचना करके उनका संग्रहण करना और उन्हे प्रश्न बैंक का
रुप देना।

६) व्यावसायिक शिक्षा विभाग (Department of Vocational Education)

कार्य:– १) व्यावसायिक शिक्षा से सबंधित समस्याओं का अध्ययन करना।

२) कार्यानुभव की शिक्षा देना तथा समाजोपयोंगी कार्य बालकों को सिखाना।

७) क्षेत्रीय सेवा विस्तार व समन्वय विभाग (Department of Field Service Extension and Co-ordination)

कार्य:– १) विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों को देश के विभिन्न भागों में पहुँचाना।

२) अपनी उपलब्धियों से प्रादेशिक शिक्षा संस्थान को अवगत कराना।

३) शिक्षा संस्थानों मे समन्वय स्थापित करना।

८) प्रकाशन–विभाग (Department of Publication)

कार्य:– १) एन.सी.ई.आर.टी. के पाठयपुस्तके, शिक्षण सामग्री, विभिन्न आवश्यक पाण्डुलिपियॉ तैयार करना।

२) शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पत्रिका (जर्नल) प्रकाशित करना

१. इंडियन ऐजूकेशन रिव्यु

२. जर्नल ऑफ इंडियन एज्यूकेशन

३. स्कूल साइंस

४. प्राइमरी टीचर व प्राथमिक शिक्षक आदि को हिंदी में प्रकाशित करना।

(२) केंन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (Centre for Instruction in Educational Technology, CIET)

प्रस्तावना:– १) प्रारंभ में यह (CIE) के नाम से जाना जाता था।

२) १९८४ मे इसे केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम दिया गया।

३) एन्.सी.ई.आर.टी. का दूसरा घटक सी.ई.टी. है।

४) इस विभाग की स्थापना १९७३ में संचार माध्यमों का समुचित प्रयोग कर शिक्षा का प्रसार करने के लिये की गई थी।

कार्य:– १) रेडियो एवं दुरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए शैक्षिक सामग्री का निर्माण पटकथा लेखन, मंच–सज्जा, प्रकाश व्यवस्था व प्रस्तुतिकरण आदि सभी कार्य किये जाते है।

२) नई शिक्षा नीति के अनुसार निर्दिष्ट स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास,
राष्ट्रीय अस्मिता,सांस्कृतिक विरासत,पर्यावरण,जागरुकता आदि के संम्बधित
कम्प्यूटर के कार्यक्रम बनाना।

३) ५ से १८ तथा ९ से ११ वर्ष की आयु के बालकों के लिए शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम का निर्माण करना।

(३) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय (Regional College of Education RCE)

एन्.सी.ई.आर.टी. ने चार क्षेत्रीय महाविद्यालयों की स्थापना की है –

१. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भुवनेश्वर

२. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर

३. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर

४. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल

कोर्स:– १) इन शिक्षा महाविद्यालयों में चार वर्ष के एकीकृत अध्यापक शिक्षा के कोर्स (बी.एससी.एड) चलाए जाते है।

२) ग्रीष्मावकाश में पत्राचार के माध्यम से कोर्स चलाए जाते है जिनमें
अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है।

कार्य:– १) नवीन–पाठयक्रमों का आयोजन समय–समय पर करना।

२) विभिन्न कार्यशालाएँ, सम्मेलन,वर्कशॉप आदि का आयोजन
करना।

३) प्रकाशन में अनुदान की व्यवस्था करना।

इस प्रकार तीनों ही घटक शिक्षा के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण व सराहनीय कार्य रहे है।

अपनी प्रगति की जाँच २

एन.सी.ई.आर.टी.के कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी दीजिए|

(२) राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (State council of Educational Research Training S.C.E.R.T.)

उद्देश:– १) शिक्षा में अनुसंधान तथा प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रदेश तथा केन्द्रशासित क्षेत्र में एस.सी.ई.आर.टी. की स्थापना की गई है।

२) जिस तरह राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान एन.सी.ई.आर.टी. का प्रमुख घटक है। उसी प्रकार राज्य शिक्षा संस्थान राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्यो को संपन्न कराता है।

एस.सी.ई.आर.टी. की संरचना (Infrastructure of S.C.E.R.T.)

इसके प्रमुख ९ विभाग है। जिनके कार्य निम्नलिखित है। इसके निम्न विभाग कार्यरत है।

१) अनौपचारिक शिक्षा एवं वंचित वर्ग की शिक्षा

२) मानविकी एवं समाज विज्ञान।

३) विज्ञान एवं गणित विभाग।

४) शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन।

५) मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा अनुभाग

६) शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन विभाग।

७) शैक्षिक प्रौद्योगिक विभाग।

८) शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग।

९) शिक्षक शिक्षा विभाग।

एस.सी.ई.आर.टी. के प्रमुख कार्य (Main functions of S.C.E.R.T)

इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है –

१) प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान का उन्नयन करना।

२) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पाठयक्रम का निर्माण एवं संशोधन करना।

३) विद्यालयों में मूल्यांकन गतिविधियों का विकास करना और उनको प्रशिक्षण देना।

४) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा से सबंधित अनुसंधान कार्य करना।

५) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

६) प्रधानाध्यापकों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों का अभिनव कार्यक्रम का आयोजन करना।

इनके अतिरिक्त इस संस्थान के अन्य कार्य निम्निलिखित है।

१) राज्य शैक्षिक अध्यापक प्रशिक्षण परिषद जैसी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।

२) विभागीय शैक्षिक समस्याओं पर चिन्तन, मनन और प्रशिक्षण करना।

३)शिक्षण संस्थाओं को प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देना।

४) ग्रामीण प्रतिभावन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति–परीक्षा का आयोजन करना।

शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (सी.टी.ई.) (College of Teacher Education)

स्थापना:– १९८७–८८

उद्देश:– शैक्षिक नवाचार की गुणवत्ता को बढाने की दृष्टि से १९८७–८८ में विभिन्न चरणों मे सी.टी.ई. की स्थापना की गई।

शिक्षक–शिक्षा महाविद्यालय के कार्य (Functions of C.T.E.)

१) माध्यमिक शिक्षा के लिए विभिन्न शिक्षक तैयार करना। इसके लिए सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा (बी.एड.) पाठयक्रम का प्रशिक्षण देना।

२) सेवारत शिक्षकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना।

३) सेवारत शिक्षकों के लिए विषय संबंधी पाठयक्रम का आयोजन करना।

४) विद्यालयों और महाविद्यालयों में नवाचार व प्रयोग के कार्यक्रम का संचालन करना।

५) मूल्य आधारित शिक्षा, कार्यानुभव, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, कंम्प्यूटर शिक्षा आदि से सम्बधित प्रशिक्षण देना।

६) शिक्षक–शिक्षा में सामुदायिक कार्य में सहायता देना।

७) व्यावसायिक संस्थाओं को सहायता देना।

निष्कर्ष:– शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए सेवारत एवं सेवा पूर्व कार्यक्रमों के आयोजन के लिए की गई है। और इन महाविद्यालयों का उद्देश द्वितीय श्रेणी अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, पाठयक्रमी का क्रियान्वयन करना और उनके ज्ञान का नवीनीकरण करना है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल (Central Board of Secondary Education CBSE)

१) CBSE की स्थापना जुलाई १९५२ में की गई।

उद्देश्य:– भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के ढॉचे मे अनुरुपता लाने तथा वे छात्र जिनके अभिभावक समय–समय पर एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित होते है उन छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था करना तथा सुचारु रुप से चलाने के उद्देश्य से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल सी.बी.एस.ई. की स्थापना की गई है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य अथवा विशेषताएँ (Functions or Characteristics of C.B.S.E.)

(१) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त केन्द्रीय विद्यालयों की कक्षा १०–१२ की परिक्षाएँ केन्दीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है तथा प्रमाण–पत्र देता है।

२) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त केन्द्रीय विद्यालयों का पाठयक्रम समान अर्थात सारे देश में एकसमान होता है। तथा इनकी पाठयपुस्तके भी एक समान होती है।

३) ये पुस्तके राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT)व्दारा निर्मित की जाती है। पाठयक्रम समान होने से केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चो के माता–पिता के स्थानान्तरण होने की स्थिति में शिक्षा में कोई व्यवधान नही होता।

४) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बध केन्द्रीय विद्यालयों के कक्षा ८ तक के बालको तथा कक्षा १२ तक की बालिकाओं को शिक्षा शुल्क में छूट भी दी जाती है।

५) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से भी शुल्क नही लिया जाता।

६) केन्द्रीय विद्यालयों मे छात्र–छात्राएँ एकसाथ अध्ययन करते है।

७) शिक्षा का माध्यम व्दिभाषी है।

८) इनमें कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है।

९) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के व्दारा केन्द्रीय विद्यालय संचालित किये जाते है।

२.२.४डायट, बी.आर.सी, सी.आर.सी,

(५) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) (District Institute of Education and Training DIET)

स्थापना:– १९८८

उद्देश्य:– प्राथमिक स्तर की शिक्षा के विकास तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वत हेतु १९८८ में जिला स्तरीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा क्रियान्वन कार्यक्रम (POA) द्वारा (DIET)की संकल्पना:–

१) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे जो प्रारंभिक विद्यालयों के अध्यापकों और अनौपचारिक एवं प्रौढ शिक्षा के कार्यरत कर्मचारियों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन पाठयक्रमों का आयोजन करेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) को आवश्यक संसाधन एवं क्षमताओं से युक्त किया जाएगा। जिससे कि वह शिक्षक शिक्षा संस्थान को प्राधिकृत कर सके और पाठयचर्या एवं शिक्षण विधियों के संबंध में मार्गदर्शन कर सके।

डाइट का संगठन (Organisation of DIET)

इसके अंतर्गत ८ प्रभाग है।

१) सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण प्रभाग।

२) सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र अंतक्रिया, नवाचार समन्वय।

३) अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा एवं जिला संदर्भ इकाई प्रभाग।

४) योजना एवं प्रबंध प्रभाग।

५) शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग।

६) कार्यानुभव प्रभाग।

७) पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री विकास एवं मूल्यांकन।

८) प्राशासनिक शाखा प्रभाग।

डाइट की मुख्य गतिविधियॉ (Main Activities of DIET)

१) सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण (In-service Teacher Training):–

डाइट सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करता है। यह प्रशिक्षण प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए तीन सप्ताह का शिक्षा विषय पर आधारित होता है

२) शैक्षिक प्रतियोगिताए (Educational Competitions):–

डाइट उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए अध्यापन प्रतियोगिता एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करती है।

३) संगोष्ठियॉ (Conferencè):–

डाइट विविध विषयों पर आधारित संगोष्ठियों का आयोजन करता है

४) नियुक्ति एवं प्रशिक्षण (Joining and Trainings):–

नव नियुक्त शिक्षकों को सेवा नियमों से अवगत कराने हेतु ६ दिवसीय नियुक्तिपूर्व प्रशिक्षण का आयोजन डाइट द्वारा किया जाता है।

५) न्यूनतम अधिगम स्तर प्रयोजना (Project on Minimum Learning level M.L.L.):–

प्रभावी शिक्षण के संबंध में निश्चित उपलब्धियों को प्राप्त करने क लिए राजस्थान के समस्त जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपने–अपने जिलों के २० विद्यालयों में कक्षा १ व २ में न्यूनतम अधिगम स्तर आधारित शिक्षण सुचारु रुप से चलाया जा रहा है।

६) लैब एरिया (Lab Area) :–

डाइट लैब एरिया की शैक्षिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित एवं उपचारात्मक ढंग से संचालित करने का कार्य करता है। लैब एरीया में नामांकन वृद्धी एवं ठहराव, आदर्शपाठ, प्रार्थना, सभा, सुधार, वृक्षारोपण, विज्ञान किट में प्रभावी प्रयोग, विद्यालय संकुल के लिए सुदृढीकरण आदि के लिये विविध प्रयोग किए जाते है।

७) क्रियात्मक अनुसंधान (Action Rescarch):–

क्रियात्मक अनुसंधान यह शिक्षकों द्वारा किया गया अनुसंधान है। जिसके अंतर्गत शिक्षक स्वयं की समस्याओं का निदानात्मक ढंग से हल ढूंढता है। यह शोध कार्य डाइट शिक्षकों द्वारा संपन्न करवाती है।

८) अनौपचारिक शिक्षा (Informal Education):–

डाइट अनौपचारीक शिक्षा में गुणवत्ता लाने की दृष्टि से अनेक कार्यक्रमो का आयोजन करते है।

डाइट के उद्देश (Objectives of DIET)

डाइट के प्रमुख उद्देश्य निम्निलिखित है।

१) आदर्श प्रशिक्षण केन्द्र के रुप में प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार।

२) पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों से परिचित कराना।

३) क्रियात्मक अनुंसंधान एवं प्रायोगिक कार्य की व्यवस्था करना।

४) अध्यापकों को साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और व्यायाम–खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रेरित करना।

५) सेवारत और सेवा पूर्व अध्यापकों को प्रशिक्षण एवं गोष्टियों में सहभागी कराना।

६) अनौपचारिक एवं प्रौढ शिक्षा के अनुदेशकों व पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना।

७) शिक्षा संस्थानो, जिला शिक्षा बोर्ड, विद्यालय संगम आदि सुचारु रुप से चलाने के लिए शैक्षिक परामर्श एवं मार्गदर्शन देना।

अपनी प्रगति की जाँच ३

डाइट के कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी दीजिए|

.....

बी.आर.सी.और सी.आर.सी.

सही अर्थों में एक शिक्षक विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या के साथ अकेली गतिविधि के माध्यम से या सैद्धांतिक रचनावादी तरीके से या विभिन्न तंत्रों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती । बी.आर.सी.और सी.आर.सी. यह शिक्षक के लिए सबसे मजबूत शैक्षिक समर्थन प्रणाली बन सकती है । देशभर में बी.आर.सी. और सी.आर.सी.का निर्माण इस बात का संकेत देता है की यह शिक्षा को ऐसी मजबूत प्रशासकीय रचना दे सकता है जिससे स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो । सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पिछले दस सालों से शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जिला स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाये जाते है लेकिन इसका परिणाम संमिश्र मिल रहा है क्योंकि जिला स्तर पर स्कूलों की दुरी,मानव संसाधन की कमी,अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां,कार्य का स्वरुप,स्कुलों की ज्यादा संख्या इसलिए DIET इस कार्य में असफल दिखाई पड़ता है, इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाये जाने वाले कार्यक्रमों को स्कूल में चलाने के लिए स्कूल किसी तरह के सतत और स्थायी आधार पर निकटतम संभव संसाधन केन्द्रों से जुडा हुआ होना चाहिएद्य इस प्रकार शैक्षणिक संसाधन केंद्र समूह ब्लाक और जिला स्तर पर होने चाहिए ऐसा विचार आया।

इस की संकल्पना एक श्रृंखला के रुप में की गयी,जिसमे केन्द्रों की एक ऐसी श्रृंखला हो जो स्कूलों से समूहों को ,समूहों से ब्लाक को ,ब्लाक से जिले को और फिर राज्य स्तर से जुडी हो।

बी.आर.सी.और सी.आर.सी.अपने विभाग के स्कुलोंकी गुणवत्ता बढाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। जो अपने विभाग के स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है उनको कार्यान्वित करते है।

स्कूल
↓
CRC
↓
BRC
↓
DRG

ब्लाक संसाधन केन्द्र B.R.C

ब्लाक संसाधन केन्द्र (B.R.C) प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में ब्लाक (क्षेत्र) स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों,विषय सम्बन्धी ज्ञान, अध्यापन प्रणाली इत्यादि प्रक्रियाओं में अपना सक्रिय व प्रभावशाली भूमिका का निर्वाहन करती है।

पूर्व में जिला बेसिक शिक्षा विभाग की भूमिका शैक्षिक स्तर का निरीक्षण एंव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्तर सुनियोजित करना था। किनतु विद्यालयों की संख्या एंव छात्रों के नामांकन में अत्याधिक वृद्धि हो जाने के कारण जिला स्तर पर शैक्षिक नियंत्रण जटिल होने लगा। इसी समस्या के निदान हेतु शैक्षिक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई।

उद्देश्य : –

ब्लाक संसाधन केन्द्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बेसिक शिक्षा योजना के अर्न्तगत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में ब्लाक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करना एंव शैक्षिक गतिविधियों को द्रुत गति प्रदान करना है। अध्यापकों एंव विद्यालयों का मार्गदर्शन करने एंव विद्यालय स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता में अभिवृद्रि हेतु इन संस्थानों की सीापना की गई है।

B. R.C. के प्रमुख कार्य

अध्यापकों का प्रशिक्षण एंव क्षमता निर्माण: –

ब्लाक संसाधन केन्द्र बेसिक शिक्षा के अर्न्तगत संचालित प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का समय–समय पर विषय गत, तकनीकीगत व गुणवत्ता सम्वर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करता है जिसके अर्न्तगत अध्यापक अपनी शैक्षणिक संवर्धन, ज्ञान व क्षमता में वृध्हि करते है।

मूल्याकन एंव विश्लेषण : –

B.R.C. समन्यवक एंव इससे जुड़े विभिन्न व्यक्ति समय–समय पर प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता, संसाधन,विषय सामग्री, नामांकन, उपस्थिति इत्यादि का मूल्यांकन एंव विश्लेषण कर अधिक प्रभावी व अधिगम जन्य बनाने हेतु सुझाव भी प्रस्तुत करते है।

क्लस्टर संसाधन केंद्र CRC

देश की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर है। जिम्मेदार ,गुणात्मक और सुसंकृत नगरिक तभी तैयार होंगे जब शिक्षा की गुणवत्ता में बढोत्तरी हो। संविधान के 45 वें अनुछेद के अनुसार सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके बावजुद ४ से १४ साल के उम्र वाले सभी बच्चोंको स्कूलों में प्रवेश करने के लिए हम असमर्थ है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जाते है,सर्व शिक्षा अभियान इसका एक प्रयास है । जीवन में उपयोगी गुणात्मक शिक्षा प्राथमिक स्तर पर प्रदान करने के लिए जोर दिया जाता है। सरकार द्वारा गुणात्मक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए BRC की स्थापना ब्लॉक स्तर पर ,CRC की स्थापना क्लस्टर स्तर पर, और शहरी संसाधन केन्द्रों की स्थापना नगर निगम के स्तर पर की गयी है। शिक्षा का सामान्यीकरण और शिक्षा की वृद्धि के लिए CRC एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उद्देश्य : –

क्लस्टर संसाधन केन्द्र की स्थापना की मुख्य उद्देश्य बेसिक शिक्षा योजना के अर्न्तगत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में क्लस्टर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करना एंव शैक्षिक गतिविधियों को द्रुत गति प्रदान करना है। इसके साथ ही अध्यापकों एंव विद्यालयों का मार्गदर्शन करने एंव विद्यालय स्तर शैक्षिक गुणवत्ता में अभिवृद्रि हेतु यह संस्था सीापित की गई है।

C.R.C के प्रमुख कार्य

अध्यापकों का प्रशिक्षण एंव क्षमता निर्माण: –

क्लस्टर संसाधन केन्द्र बेसिक शिक्षा के अर्न्तगत संचालित प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का समय–समय पर विषय गत, तकनीकीगत व गुणवत्ता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करता है जिसके अर्न्तगत अध्यापक अपना शैक्षणिक संवर्धन, ज्ञान व क्षमता में वृद्धि करते है।

मूल्याकन एंव विश्लेषण : –

C.R.C.समन्यवक एंव इससे जुड़े विभिन्न व्यक्ति समय–समय पर प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता संसाधन , विषय सामग्री, नामांकन, उपस्थिति इत्यादि का मूल्याकन एंव विश्लेषण कर अधिक प्रभावी व अधिगम जन्य बनाने हेतु सुझाव भी प्रस्तुत करते है।

अपनी प्रगति की जाँच ४

बी.आर.सी.और सी.आर.सी.के बारें में जानकारी दीजिए|

.....

२.३ सारांश

पूर्व प्राथमिक,प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षा के विभिन्न अभिकरण है |यह अभिकरण शिक्षा के सभी कार्यों पर अपना नियंत्रण रखते है |शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा का प्रबंध करने वाली सभी संस्थाये आती है |ऐसी संस्थाये सरकारी तथा गैर सरकारी श्रेणियों में विभक्त की जाती है | इन संस्थाओं में १) अखिल भारतीय शिक्षा परिषद (All India Educational council)२) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education C.A.B.E.) २) अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा–परिषद (All India Council for Elementry Education A.I.C.E.E.) ३) अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा–परिषद (All India Council for Secondary Education A.I.C.S.E.) ४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) ५) अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Educaion A.I.C.T.E.) ६) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council for Education Research and Training) ७) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Scientific and Industrial Research Council S.I.R.C.) ८) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (National Institute of Educational Planning and Administration N.I.E.P.A.) ९) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (National Council for Teacher Education N.C.T.E.)

२.४ अपनी प्रगति की जाँच के लिए अपेक्षित उत्तर

अपनी प्रगति की जाँच १ उत्तर रु=अध्याय २.२.३ देखे |
अपनी प्रगति की जाँच २ उत्तर रु=अध्याय २.२.३ देखे |
अपनी प्रगति की जाँच ३ उत्तररु=अध्याय २.२.४ देखे |
अपनी प्रगति की जाँच ४ उत्तररु=अध्याय २.२.४ देखे |

२.५ शब्दावली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission),राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council for Education Research and Training) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Scientific and Industrial Research Council S.I.R.C.) ८) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (National Institute of Educational Planning and Administration N.I.E.P.A.), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (National Council for Teacher Education N.C.T.E.)

२.६ कार्य आबंटन

१ शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित प्रमुख शिक्षा परिषदों के नाम बताईये|

२ स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन का ढांचा बताईये|

२.११ क्रियाएँ

एन.सी.इ.आर.टी.औरएस.सी.इ.आर.टी.में फरक बताईये|

२.७प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)

शिक्षा से जुड़े प्रशासनिक अभिकरणों की चर्चा कीजिए |

२.८ सन्दर्भ पुस्तकें

१.शैक्षिक प्रबंध और शिक्षा की समस्यायें -सुरेश भटनागर,डॉ.कमला वशिष्ठ,एम.के.सिंह

२.शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार -डॉ.सावित्री माथुर,डॉ.सतीश शर्मा,प्रो.जे.सी.सिन्हा.

३.शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन -डॉ.आर.ए.शर्मा

४.विद्यालय प्रशासन एवं संगठन-डॉ.सतीश कुमार

५.अध्यापक शिक्षा-डॉ.जी.सी.भट्टाचार्य

६.मानक शिक्षा दर्शन एवं शैक्षिक समाजशास्त्र-डॉ.हरिवंश तरुण

७.शैक्षिक प्रबंधन एवं विद्यालय एवं संगठन-डॉ.पुष्पलता कुशवाह,डॉ.कनक सक्सेना

इकाई ३ विद्यालय संगठन व प्रबंध

3.1 शिक्षण उद्देश्य
3.2 परिचय
3.3 विषय विवेचन
3.2.1 शैक्षिक प्रशासन
3.2.2 शैक्षिक प्रबंधन
3.2.3 विद्यालय परिसर का प्रबंधन
3.2.4 विद्यालय के साधन
3.2.5 पुस्तकालय
3.2.6 छात्रावास
3.2.7 विद्यालय बजट
3.2.8 समय सारणी
3.2.9 अनुशासन
3.2.10 स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा मध्यान्ह भोजन व अन्य योजनाए
3.3 सारांश
3.4 अपनी प्रगति की जाँच के लिए अपेक्षित उत्तर
3.5 शब्दावली
3.6 कार्य आवंटन
3.7 क्रियाए
3.8 प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)
3.9 सन्दर्भ पुस्तके

३.० शिक्षण उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद,आप निम्नलिखित में सक्षम हो जायेंगे -

१. विद्यालय संगठन और प्रबंध समिति और इसके कार्यों के बारें में जान पाएंगे|

२. विद्यालय प्रशासन के कार्य और विद्यालय के बजट के बारें में समझ पाएंगे |

३. विद्यालय के भौतिक संसाधन के बारें में जानकारी पाएंगे |

४. विद्यालय का अनुशासन,और समय सारणी,विद्यालय की सुरक्षा,स्वास्थ्य शिक्षा इन सबके बारे में समझ पाएंगे |

३.१ परिचय

विद्यालय समाज का आइना होता है | विद्यालय का संगठन एवं प्रबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है |विद्यालय परिसर का प्रबंध, प्रबंध समितियों द्वारा देखा जाता है | विद्यालय में बालकों के लिए सभी सुविधाएँ होना आवश्यक है | यह सुविधाएँ उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है| विद्यालय का बजट सबसे महत्वपूर्ण होता है | जिसके द्वारा विद्यालय का कार्य चलता है|विद्यालय में भौतिक संसाधनों के अन्दर स्कूल का भवन,खेल का मैदान,फर्नीचर,उपकरण अदि आते है |उसके साथ साथ स्कूल में पाठ्यचर्या का नियोजन,समय सरणी और स्कूल का अनुशासन यह महत्वपूर्ण बातें होती है | इसके आलावा स्कूल में विविध योजनायें भी चलायी जाती है |

३.२ विषय विवेचन

३.२.१ शैक्षिक प्रशासन

शैक्षिक प्रशासन का अर्थ:–

शैक्षिक प्रशासन यह शिक्षा से जुडी संकल्पना है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था जिस ढॉचे या तन्त्र को खडा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे क्रियान्वित करने में सहायक होता है।

शिक्षा के क्षेत्र में कई व्यक्ति अपनी–अपनी भूमिका निभाते है। कक्षाभवन, पुस्तकालय, क्रीडा–शील, कार्यालय, पाठयोत्तर क्रियाओं का सफलतापूर्वक संयोजक करना और निरन्तर प्रगति के लिए प्रयत्न करना शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य होता है। शिक्षा के संपूर्ण ढॉचे में कौन व्यक्ति कितनी लगन से कार्य कर रहा है इसका ठीक प्रकार से पर्यवेक्षण करना भी शैक्षिक प्रशासन का कार्य है।

शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा:–

१) **बुक एडमस के अनुसार:–** शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन प्राय: परस्पर विरोधियों तथा सामाजिक शक्तियों को एक ही संगठन में इतनी चतुराई से जोडता है कि वे सब मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते है।

२) **Encyclopaedia of Educational Research के अनुसार:–** शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संम्बधित व्यक्तियों के प्रयासों का एकीकरण तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके।

शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ

१) शैक्षिक प्रशासन एक समन्वित प्रक्रिया के रुप में कार्य करती है।

२) शैक्षिक प्रशासन के स्वरुप की रचना उसके मानवीय तत्वों द्वारा की जाती है।

३) शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कार्यशील तथा नियत्रित होती है।

४) शैक्षिक प्रशासन का स्वरुप केन्द्रीकरण व विकेन्द्रीकरण रुपों में होता है।

५) शैक्षिक प्रशासन का स्वरुप सदैव गतिशील होता है।

६) शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता पर आधारित होती है।

७) शैक्षिक प्रशासन में व्यवहारिकता को महत्व दिया जाता है।

शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता एवं उपयोगिता

१) शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना।

२) समाज के लक्ष्यों की पहचान करना।

३) व्यक्ति तथा समाज की आवश्यक्तानुसार शैक्षिक लक्ष्यों को परिभाषित करना।

४) शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन करना।

५) साधनों का उपयोग करना,

६) समन्वय तथा नियन्त्रण करना,

७) मूल्यांकन करना।

शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता

१) शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक प्रक्रिया को गति देता है।

२) शैक्षिक प्रशासन से मानवीय सम्बधो का विकास होता है।

३) प्रयासों का एकीकरण होता है।

४) शिक्षा को सेवा मानता है।

५) शैक्षिक प्रक्रिया को गति देता है।

६) समग्रता का विकास होता है।

शिक्षा प्रशासन के उद्देश्य

लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों के प्रतिपादन हेतु एक सूत्र दिया है जिसे पोस्डकोर्ब कहते है। इसमें उन्होंने आठ अक्षरों से सात उद्देश्यों को प्रदर्शित किया है।

१) P - Planning (नियोजन करना),

२) O - Organizing (व्यवस्था करना),

३) S - Staffing (नियुक्तियॉ करना),

४) D - Direction (निर्देशित करना),

५) Co – Co-ordinating (समन्वय करना),

६) R - Reporting (आलेख तैयार करना),

७) B - Budgeting (बजट बनाना).

3.2.2 शैक्षिक प्रबन्धन

प्रबन्धन का अर्थ एवं परिभाषा

१) एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये नियोजन, निर्देशन एवं समन्वित करने को प्रबन्धन कहते है।

२) प्रबन्धन पर्यावरण को बनाये रखने तथा उसे बनाने का कार्य करत है, जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को कुशलता एवं प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सके। –राबर्ट अल्वानेस

आर.एस.डेवर तथा जेम्स लुण्डे की परिभाषाओं को एक आकृति की सहायता से भी प्रस्तुत किया गया है।

प्रबन्धन

नियोजन → संगठन → प्रशासन → निर्देशन → नियंत्रण

प्रबन्धन की विशेषताएँ

१) व्यक्तियों से कार्य कराने की कला तथा विज्ञान ही प्रबन्धन है।

२) प्रबन्धन में व्यक्तियों तथा कार्यकर्ताओं को समूह से संगठित रुप में कार्य कराया जाता है।

३) प्रबन्धन कार्य कराने की ज्ञान की एक शाखा अथवा अनुशासन है।

४) प्रबन्धन को मानव विकास की प्रक्रिया भी मानते है।

प्रबन्धन में निम्नलिखित प्रक्रियाये सम्मिलित होती है:–

१) नियोजन की प्रक्रिया (Planning)

२) उद्देश्यों का प्रतिपादन (Formulation of objectives)

३) व्यवस्था करना (Organization of Tasks)

४) निर्देशन करना (Instructing the Tasks)

५) नियुक्तियॉ करना

६) सम्पादन तथा समन्वय करना

७) मूल्यांकन तथा नियंत्रण करना

शैक्षिक प्रबन्धन का अर्थ एवं परिभाषा:–

१) किम्बाल एवं किम्बाल:–

प्रबन्धन उस कला को कहते है जिसके द्वारा किसी उदयोग में मनुष्यों और सामग्री को नियन्त्रित करने के लिये चालू आर्थिक सिद्धान्त को प्रयोग में लाया जाता है।

२) कुन्टज:–

औपचारिक समूहों में संगठित लोगों से काम कराने की कला का नाम ही प्रबन्धन है। व्यक्तियों से काम लेने को प्रबन्धन कहते है।

शैक्षिक प्रबन्धन का क्षेत्र

शैक्षिक प्रबन्धन के नौ क्षेत्र है:–

१) उत्पादक प्रबन्धन।	२) वित्तीय प्रबन्धन।	३) विकास प्रबन्धन।
४) वितरण प्रबन्धन।	५) क्रय प्रबन्धन।	६) परिवहन प्रबन्धन।
७) संस्थापना प्रबन्धन।	८) सेवा वर्गीय प्रबन्धन।	९) कार्यालय प्रबन्धन।

विद्यालय का प्रबन्धन

विद्यालय प्रबन्धन में अधोलिखित तथ्यों का विवरण किया जाता है।

१) संचित आलेख (Cumulative Records) का प्रबन्धन,

२) विद्यालय सम्बन्धी आलेख तथा विभिन्न प्रकार के रजिस्टर,

३) विद्यालय भवन तथा उसका प्रबन्धन

४) परिक्षाओं का कार्यक्रम तथा संचालन का प्रबन्धन.

3.2.3 विद्यालय परिसर का प्रबंधनः–

विद्यालय परिसर में विद्यालय की सीमा में स्थित भवन, खेल का मैदान, फर्नीचर, उपकरण, साजसज्जा, आदि सम्मिलित है।

विद्यालय परिसर में निम्नलिखित बातों की व्यवस्था होनी चाहिए।

१) विद्यालय की उपयुक्त भूमि तथा स्थल

२) जल, प्रकाश, जल–निकास आदि की सुविधाये।

३) विद्यालय भवन में कक्षाओं सहित अन्य कक्षों का निर्माण।

४) उपयुक्त खेल का मैदान

५) कमरों में पर्याप्त फर्निचर तथा उपकरण

६) शौचालय एवं मूत्रालय

७) विद्यालय परिसर का सौन्दर्यीकरण

१) विद्यालय भवनः–

विद्यालय बालकों का घर है। वह ज्यादा से ज्यादा समय विद्यालयों में रहते है, इसलिए घर पर जिस प्रकार की सभी सुविधाए बालकों को प्राप्त होती है तथा जो उसके विकास के लिये आवश्यक है, वह सभी सुविधाए विद्यालयों में होना आवश्यक है।

विद्यालय भवन के प्रकार (Types of School Building)

विद्यालय भवन के प्रमुख प्रकार निम्निलिखित है –

१) E प्रकार का भवन।

२) H प्रकार का भवन।

३) U प्रकार का भवन।

४) T प्रकार का भवन।

५) L प्रकार का भवन।

६) I प्रकार का भवन।

७) Y प्रकार का भवन।

विद्यालय भवन की योजना बनाते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाए –

१) छात्रों की संख्या। २) भवन निर्माण क्षेत्र का स्थल। ३) स्थिति।

४) भावी विस्तार की संभावनाएँ। ५) विद्यालय भवन के उद्देश्य।

विद्यालय भवन में निम्नलिखित का होना आवश्यक है।

१) मुख्यशाला भवन (Main Building)

इसमें आचार्य कक्ष, कार्यालय, आगन्तुक अतिथि कक्ष, अध्यापक कक्ष, रिकार्ड रुम, निर्देशन तथा परामर्श कक्ष, परीक्षा कक्ष, लडके–लडकियों के लिये पृथक विश्राम कक्ष एवं शिक्षण कक्षों का होना आवश्यक है। शौचालय, शिक्षकों, छात्रों तथा छात्राओं हेतु, खेल कक्ष, कला भवन, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष भी होने चाहिये।

२) पुस्तकालय तथा वाचनालय

३) छात्रावास

४) खेल का मैदानः– हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केट बॉल, टेनिस आदि

५) उद्यानशाला, बगीचा, लॉन

६) कृषि फार्म।

७) स्टाफ क्वाटर्स–प्रधानाचार्य शिक्षकों, कार्यालय कर्मचारियों तथा सहायक कर्मचारियो के लिए।

८) रंगशाला, जलाशय, गैस प्लान्ट आदि।

९) कार्यशाला

3.2.4 विद्यालय के साधन (School Equipments)

विद्यालय में ऐसे अनेक साधन है जो अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है – ये साधन है फर्नीचर, ब्लेक बोर्ड

१) फर्नीचरः–

विद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण फर्नीचर है, छात्रों के बैठने के लिये डैस्क एवं कुर्सियॉ।

रायबर्न के अनुसारः– एकहरी डैस्के दोहरी डैस्कों से अच्छी होती है। कभी–कभी लंबी डैस्को पर अलग स्टूल डालकर बैठने का प्रबंध किया जाता है। एकहरी डैस्क से बच्चे का कार्य सरल हो जाता है। डैस्क पर भीड नही हो पाती। स्वास्थ रक्षा के दृष्टिकोण से भी यह अच्छी होती है।

फर्नीचर के मामले में इंग्लैड के बोर्ड ऑफ एज्युकेशन ने निम्नलिखित का सुझाव दिया है –

१) आसन तथा डैस्क बालकों की आयु के अनुसार होने चाहिये और उनको खिडकी वाली दीवार से सीधे की ओर लगाना चाहिये।

२) छात्रों को १८ इंच जगह दोनों ओर से मिलनी चाहिए।

३) डेस्क १२ इंच से अधिक चौडे न हो।

४) लंबे डेस्क इस प्रकार लगाये जाये जिनमें से अध्यापक गुजर सके।

कुर्सी पर बैठते समय छात्रों के घुटनों पर जोर न पडे, घुटने के अंदर के कोने की जगह खाली हो, जंघाओ के उपर भी जगह खाली बचे, डैस्क का पिछला भाग कुर्सी के अगले किनारे को ढंक ले, डैस्क कुहनी से उॅचा हो जिससे लिखते समय सरलता हो।

२) श्यामपट (Black Board)

श्यामपट का विद्यालयों में दो प्रकार का प्रयोग होता है –

१) दीवारी श्यामपट

२) लकडी का श्यामपट

रायबर्न के अनुसारः– अधिकांश कामों के लिये तख्ते वाला श्यामपट ज्यादा अच्छा होता है। आगे और पीछे दोनों तरफ से उसका प्रयोग किया जा सकता है। और जब अध्यापक उसके निचले भाग का प्रयोग करना चाहते है, तो वह उच्चा उठाया जा सकता है और इस प्रकार निचला भाग कमरे में हर भाग से देखा जा सकता है। अगर दीवार के श्यामपट है तो बाहर कक्षायें लगाना असंभव है। जब कभी श्यामपट बहुत ज्यादा चमकदार हो जाये तो उसके उपर रंग चढा देना चाहिए।

३) कक्षा–कक्ष

कक्षा–कक्ष आयाताकृति होना चाहिए। विदयार्थीयों की संख्या ध्यान मे रखकर कक्षाऐं बनानी चाहिए। कक्षा में पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश आने की सुविधा होनी चाहिये।

४) अलमारियॉ

अलमारियॉ दो प्रकार की होती है।

१) दीवार में बनी हुई

२) लकडी अथवा धातु की।

१) प्रत्येक कक्षा में एक या दो अलमारियॉ होनी चाहिए।

२) सबसे सस्ती अलमारियॉ वे होती है जो भवन निर्माण के समय दीवार में बना दी जाती है।

३) अलमारी के अंदर रखी हुई सभी चीजों को दीमक से नष्ट होने से बचाने के लिये सावधान रहना पडता है।

४) यदि संभव हो तो कमरे में शब्दकोशों विद्याचक्र–कोशों (Encyclopedies) चित्र–पुस्तको और एटलसों आदि के रखने के लिए खुली हुई अलमारीयॉ होनी चाहीए। विज्ञान कक्ष में बहुत सी अलमारियॉ होनी चाहिये।

७) कमरे के दरवाजे की ओर लकडी की एक अलमारी होनी चाहिये जो फर्श से लगभग आठ फीट की उंचाई पर हो, जिसमें हुक या कीलें लगी हो। इसमें मानचित्र, चार्ट, चित्र अथवा अन्य उपयोगी वस्तुऍ टॉगी जा सकती हैं।

५) अन्य:–

इसके अतिरिक्त विद्यालय में जल, शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था भी आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त प्रबंध आवश्यक है।

विद्यालय भवनों की स्थिति:–

साधारणत: विद्यालय भवनों की स्थिति ठीक नही है। माध्यमिक विद्यालयों एवं छोटे प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव है। इन विद्यालयों में मरम्मत एवं सुधार की आवश्यकता है।

अपनी प्रगति की जाँच १

विद्यालय भवन में किन किन भवनोंका होना आवश्यक है?चर्चा कीजिए |

3.2.5 पुस्तकालय (Library)

विद्यालय में पुस्तकालय का महत्वपूर्ण स्थान है।

कार्लाइल:– पुस्तकालय पुस्तकों का संकलन नही आज के युग का वास्तविक विद्यालय है।

पुस्तकालय विद्यालय की एक धुरी है। जिसके चारों ओर विद्यालय का संपूर्ण जीवन चक्कर लगाता है।

पुस्तकालय विद्यालय की आत्मा है। कोई भी विद्यालय पुस्तकालय के बिना अधूरा है।

पुस्तकालय की आवश्यकता

१) स्वाध्याय:– विद्यार्थियों को स्वाध्याय हेतु पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। स्वाध्याय में रुचि, उत्पन्न करके, उसे जीवन का स्थायी अंग बनाने, विद्यालय की प्रयोजना प्रणाली को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने, पाठयक्रम सहगामी–क्रियाओं को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिये एक संपन्न पुस्तकालय की आवश्यकता होती है।

२) शैक्षिक दक्षता। ३) स्वतंत्र चिंतन। ४) शैक्षिक लक्ष्य।

५) अतिरिक्त अध्ययन। ६) सामान्य ज्ञान। ७) विभिन्न प्रकार की पुस्तके।

८) सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी। ९) मौन अभ्यास। १०) वैयक्तिक अध्ययन।

११) समय का सदुपयोग। १२) पाठ्येत्तर अध्ययन। १३) प्रगतिशील शिक्षण–विधियों में सहायक।

१४) निर्धन।

पुस्तकालय के कार्य (Functions of Library)

पुस्तकालय के प्रमुख कार्य:–

१) पुस्तके शिक्षको के अनुदेशन कार्यों में सहयोग देती है। विभिन्न विषयों की पुस्तके तथा संदर्भ पुस्तके ज्ञान में वृद्धि करती है।

२) पुस्तके विद्यार्थियों के स्वाध्याय को बढावा देती है।

३) पढने की आदतों को पुस्तकालय कें माध्यम से डाला जा सकता है।

४) पुस्तकालय अच्छे साथी के रुप में पुस्तकें पढने को प्रोत्साहित करता है।

५) पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाने का कार्य करता है।

६) सद्साहित्य पढने को प्रोत्साहित करता है।

७) बालाकों में शब्दकोश, संदर्भ ग्रन्थों आदि के उचित प्रयोग की कुशलता विकसित करता है।

पुस्तकालय कक्ष (Library Room)

पुस्तकालय भवन में २२ × ९०या ३० × ९० का हॉल तथा एक स्टोर १५ × २० का हो सकता है। इसकी स्थिति केन्द्रीय होनी चाहिए। यह ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहा शोर–शराबा न होता हो।

वातावरण:– १. पुस्तकालय में प्राकृतिक हवा और प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए।

२.भवन का फर्श आवाज ना करे।

फर्नीचर:– पुस्तकालय का फर्नीचर पर्याप्त होना चाहीये।

१) मेज:– इसमे पढने वाली मेजों की व्यवस्था हो। इनका आकार ३× ५ होना चाहिए।

२) कुर्सियॉ:– कुर्सियॉ हल्की तथा मजबूत हो।

३) पत्रिका स्टैड:– पत्र–पत्रिकाओं के लिए मेग्जीन स्टैड हो जिसमें उन्हे प्रदर्शित किया जा सके।

४) डिस्पले बोर्ड:– २–४ डिस्पले बोर्ड होने चाहिए जिन पर पुस्तकालय नियम, नवीन पुस्तकों का प्रदर्शन, तथा सूचनायें लगाई जा सके।

५) पुस्तकालया दक्ष्य के लिये अलग काउंटर तथा मेज हो।

६) कार्ड तालिका बॉक्स:– पुस्तकों की तलाश करने के लिये कार्ड तालिका बॉक्स बहुत उपयोगी होता है

७) पुस्तको की अलमारियॉ:– पुस्तको के लिये बनवायी गई अलमारियॉ ही उपयोग में लानी चाहिए।

पुस्तकालय परिषद ने पुस्तकालय का महत्व निम्नलिखित रुप से बताया है।

१) अध्यापक, बालक तथा उनके माता–पिता एवं अभिभावकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिये सहयोग हो।

२) छात्र–छात्राओं की ऐसी उपयोगी एवं सर्वोत्तम पुस्तकालय संबंधी सेंवाऍ प्रदान करना जो उनके विकास में सहायक हो।

३) छात्रों को अध्ययन में आनंद एवं संतोष प्राप्त कराने के लिये उन्हे उत्साहित करना।

४) छात्रों में दृश्य एवं श्रव्य(नकपव.टपेनंस) साधनों को प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न करना।

५) छात्रो के लिए उपयोगी पुस्तकों के चयन और अन्य सहायक सामग्री को एकत्र करने के लिये अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करना।

भारत में पुस्तकालयों की वर्तमान दशा:–

मुदालियार आयोग के अनुसार आजकल के अनेक विद्यालयों में पुस्तकालय व्यवस्था नाम मात्र की है। उनमें पुस्तके पुरानी एवं बालकों की रुचि के अनुकुल नही है।

पुस्तकालय संगठन के उद्देश्य:–

पुस्तकालय संगठन के उद्देश्य निम्मिलिखित है।

१) छात्रो के साधारण ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना।

२) स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना।

३) सामान्य ज्ञान की पुस्तके अध्ययन करने की आदत डालना ।

४) पाठय पुस्तक के अनावश्यक बल को कम रखना।

५) अवकाश के समय का सदुपयोग करना।

६) स्वाध्याय विधि से आत्मसंस्कार सिखाना।

७) शब्दकोश का ठीक ठीक प्रयोग करना सिखाना।

८) किसी विशिष्ट भाषा के सक्रिय शब्दकोश में अभिवृद्धि करना।

९) मनोरंजक साहित्य से आराम करना सिखाना।

१०) पुस्तकों का उचित प्रयोग सिखाना।

११) कक्षा में दी गई सूचना को समृद्ध करना।

१२) स्वतंत्र विचार एवं मौलिक चिंतन करने का प्रशिक्षण देना।

विद्यालय पुस्तकालयों के प्रकार:–

१) कक्षा पुस्तकालय (Class Library):–

१) यह पुस्तकालय प्रत्येक कक्षा में होना चाहिए। कक्षा के किसी छात्र को पुस्तके उठाने–रखने के लिये चुनना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों में पुस्तक रखने का ढंग आ सकेगा। विद्यालय पुस्तकालय एवं कक्षा पुस्तकालय में कोई अन्तर नही है बल्कि वे तो एक दूसरे के पूरक है। दोनों का अपना अपना महत्व है। कक्षा पुस्तकालय का अर्थ कक्षा के कमरे अथवा सेक्शन में पुस्तकालय का होना है।

२) विषय पुस्तकालय:–

जिस प्रकार छोटी कक्षाओं में कक्षा पुस्तकालय लाभदायक होते है उसी प्रकार उच्च कक्षाओं के लिए विषय पुस्तकालय उपयोगी होते है।

पुस्तकालय सामग्री का चयन

१) पुस्तकों तथा पत्र–पत्रिकाओं करते चयन के समय बालकों की रुचि को ध्यान में रखना चाहिए।

२) इन पुस्तकों के चयन में शिक्षकों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।

३) पुस्तक का बाहय स्वरुप आकर्षक होना चाहिए।

४) कागज अच्छा हो तथा उस पर छपाई स्पष्ट हो।

पुस्तकालयाध्यक्ष के अध्यक्ष के कार्य:–

१) पुस्तको तथा पत्र–पत्रिकाओं का वर्गीकरण करना।

२) पुस्तके आदान–प्रदान करने के नियम तैयार कर पुस्तकालय समिति से अनुमोदन करवाना।

३) पुस्तकों को निर्धारित संख्या में छात्र–छात्राओं को प्रदान करना।

४) उत्तम तथा आवश्यक पुस्तकों की सूची तैयार करना।

५) पुस्तकों को सुरक्षित रखना।

६) अधिकाधिक पुस्तको के क्रय को व्यवस्था करना।

७) सूचना पट्ट पर उपयोगी पुस्तकों की सूची प्रदर्शित करना।

८) पुस्तक इंन्डेक्स पूरा करना तथा नवीन पुस्तको को यथा शीघ्र इसमें सम्मिलित करना।

अपनी प्रगति की जाँच २

पुस्तकालय एक पाठशाला की आत्मा है। टिपण्णी कीजिए।

3.2.6 छात्रावास (Hostel)

हमारे प्राचीन परंपरा के अनुसार विद्यालयों में छात्रावास की आवश्यक्ता होती है। छात्रावास छात्रो में सामूहिक जीवन जीने की कला विकसित करने का उपयुक्त स्थल है। इसमें विद्यार्थी भावी जीवन के लिए सहयोग साहचर्य और आत्मनिर्भरता से युक्त जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है।

छात्रावास के कार्य (Functions of Hostel)

१) छात्रों की आवास की व्यवस्था

२) भोजन व्यवस्था

३) जल व्यवस्था

४) सफाई व्यवस्था

५) प्रकाश व्यवस्था

६) खेलकूद व्यवस्था

७) सुरक्षा व्यवस्था

८) पर्यवेक्षण व्यवस्था

९) अनुशासन एवं नियंत्रण व्यवस्था

छात्रावास की विशेषताएँ

१) छात्रावास विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर साधनों से परिपूर्ण हो। ताकि उनके रहन सहन में कठिनाई न हो।

२) छात्रावास में भोजनालय (मेस) की व्यवस्था हो।

३) छात्रावास मुख्य विद्यालय भवन से ज्यादा दूर न हो।

४) आसपास का पर्यावरण स्वच्छ हो।

५) इन्डोर गेम्स की समुचित व्यवस्था हो।

६) छात्रावास के प्रमुख वार्डन का व्यवहार स्नेहयुक्त, सहयोगपूर्ण व अभिभावक तुल्य हो जिससे इन्हे घर का अभाव महसूस न हो।

७) छात्रावास में छात्रों की दिनचर्या नियमित हो।

छात्रावास संबंधी समस्याएँ (Problems Related to Hostel)

१) कुछ छात्र बिना (अनुमति) से बाहर रहते है या बाहर चले जाते है।

२) कुछ छात्र अपने से छोटे (जूनियर) छोत्रों के साथ अच्छा व्यवहार नही करते है।

३) वे आपस में चौकीदार व सहायकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

४) कमरों में सामान की चोरी करते है।

५) कुछ छात्र बाहर के व्यक्तियों को संबंधी बनाकर छात्रावास में ठहराते है।

६) छात्रों में एक दूसरे से वाद–विवाद होता है।

७) विभिन्न समितियों के चुनावों को लेकर परस्पर मन–मुटाव होता है।

८) महिला छात्रावासों में अलग तरह की समस्या होती है।

विद्यालय प्रयोगशाला (School Laboratory)

प्रयोगशाला विद्यालय का बेहद महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। क्योंकि विज्ञान और तकनीकी के इस दौर में लगभग प्रत्येक विषय में शोध–खोज, प्रयोग विभिन्न प्रकार के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है।

प्रयोगशाला का महत्त्व (Importance of Laboratory)

१) प्रयोगशाला विद्यार्थीयों एवं शिक्षको के लिए महत्वपूर्ण है।

२) प्रयोगशाला में विद्यार्थी क्रियाशील रहते है।

३) प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकालते है।

४) कार्य और कारण के संबंधो के जोडने, तर्कपूर्ण विचार कर निर्णय लेने तथा छात्रो में रचनात्मक शक्ति के विकास के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है।

५) प्रयोगशाला में कार्य करने से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढता है।

(३) प्रयोगशाला के निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव है –

१) नवीन निर्मित प्रयोगशाला में २४–३० विद्यार्थीयों के एक साथ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए।

२) प्रयोगशाला में मेज तथा उनके बीच सिंक की व्यवस्था हो।

३) सिक में निरंतर जलापूर्ति की व्यवस्था हो।

४) प्रयोगशाला में आवश्यक सामान रखने हेतु आलमारियॉ बनाई जाए।

५) प्रत्येक वस्तु पर उसका स्पष्ट नाम लिखा जाए।

६) गैस पाइप, विद्युत आपूर्ति तथा इसकी फिटिंग समुचित हो।

७) हवा आने–जाने के लिए रोशनदान हो।

८) बडी खिडकियॉ हो।

९) कमरे में अंधेरा करने के लिए काले पर्दे लगे हो।

१०) श्यामपट्ट हो।

११) सामान रखने के लिए स्टोर तथा उसतें पर्याप्त आलमारीयॉ हो।

१२) प्रयोगशाला को आकर्षक बनाने के लिए वैज्ञानिकों के चित्र लगाये जाए।

3.2.7 विद्यालय बजट और भौतिक संसाधन

किसी भी क्षेत्र में चाहे वो व्यापार हो या कला क्षेत्र हो, बजट का अपना एक महत्व होता है वैसे ही विद्यालय में वित्त प्रशासन का महत्व है।

बजट का अर्थ (Meaning of the Budget)

बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द 'बाजते' (Bougette) शब्द से हुई है जिसका अर्थ है चमडे का थैला। वित्त मंत्री वार्षिक आय–व्यय के अनुमान के कागजात इस थैले में रखकर संसद मे जाते थे।

'बजट' शब्द का अर्थ देश के अनुसार थोडा बदल जाता है। लोक–प्रशासन में बजट का अर्थ केवल सरकारी शाला के बजट से है और यह प्राय: वार्षिक आधार पर बनाया जाता है।

बजट की परीभाषाएँ (Defination of Budget)

१) रीन स्टोर्म:– बजट एक लेखपत्र है जिसमें सरकारी आय और व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना रहती है।

२) लीनाय ब्युलियो:– बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्रप्तियों तथा खर्चो का एक विवरण है।

विद्यालय बजट का महत्व (Importance of School Budget)

बजट आधुनिक विद्यालयों की आर्थिक नीति को संचालित करता है। विद्यालय का प्रशासन बजट की सहायता से अपना आर्थिक कार्य कर सकता है। जो प्रशासन इस कार्य को जितनी अधिक क्षमता से करता है, वह अपने विद्यार्थियों, कर्मचारियों आदि की अर्थिक और भौतिक समृद्धि को उतनी ही तेजी से बढाता है।

बजट की अवधि (The Term of Budget)

बजट की तैयारी का आधार वित्तीय वर्ष होता है। बजट के प्रारंभ होने की तिथि प्रत्येक देश में अलग अलग होती है। बजट का समय एक वर्ष से कम या अधिक हो सकता है। अधिक समय वाले बजट को दीर्घकालीन बजट कहा जाता है। सरकारी बजट प्राय:एक वर्ष के लिए बनाए जाते है। ऐसा करने से व्यवस्थापिका सरकार के कार्यों पर निकट का नियंत्रण आसानी से रख सकती है।

बजट के प्रकार (Types of Budget)

१) संगठन (Organisation):– बजट का संबंध जिस इकाई या विभाग से है उसके आधार पर उसे वर्गीकृत क्रिया जा सकता है। इसे विभागीय बजट (Departmental Budget) कहा जाता है।

२) कार्य (Function):– आय एवं व्यय का कार्य के आधार पर तैयार किया गया बजट कार्यक्रम या संपन्न बजट कहलाता है।

३) प्रकृति या चरित्र (Nature of Character):– व्यय की प्रकृति या चरित्र के आधार पर भी बजट को वर्गीकृत किया जाता है। इस बजट को राजस्व बजट (Revenue) एवं पूंजी बजट (Capital Budget) के रुप में विभाजित कर सकते है।

४) लक्ष्य (Object) :– अन्त में बजट को व्यय के उद्देशों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

उदाहरण.– विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ, और सेवाएँ जैसे वेतन, मजदूरी, साधन और पूर्ति, भूमि तथा भवन।

बजट को (अ) व्यवस्थापिका (ब) कार्यपालिका (क) आयोग के प्रकार के आधार पर भी बॉटा जाता है।

विद्यालय बजट निर्माण की प्रक्रिया (Process of School Budget)

विद्यालय बजट का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इसका लक्ष्य धन की लागत से अधिक से अधिक शैक्षिक लाभ उठाना है।

जो व्यक्ति बजट बनाने के सामान्य सिद्धांतो से परिचित है, शैक्षिक मूल्यों और शैक्षिक प्रक्रिया का ज्ञान रखता है, आय के वर्तमान तथा भावी साधनों को जानता है तथा ईमानदारी, सामान्य बुद्धि से युक्त और परिश्रमी है तो वह अच्छा बजट बना सकता है।

बजट की परिकल्पना (Hypothesis of Budget)

विद्यालय बजट बनाने में व्यय संबधी वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है।

१) शिक्षकों, कर्मचारियों, प्रधानाध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष आदि के वेतन व भत्ते।
२) पुस्तकालय तथा श्रव्य–दृश्य सामग्री
३) खेल के मैदानों का रख रखाव
४) स्वास्थ्य सेवाएँ
५) सहगामी क्रियाएँ
६) भवन इत्यादि का किराया तथा रख रखाव
७) उधार लिए गए धन का ब्याज
८) विद्यालय के सामान, भवन इत्यादि का बीमा
९) मध्यान्ह भोजन
१०) उपकरण तथा फर्नीचर
१२) विद्यालय भवन
१३) परीक्षा
१४) अन्य निर्धारित मदद
१५) छात्रवृत्तियॉ
१६) खेलकूद के सामान का क्रय विक्रय
१७) विविध व्यय
१८) विद्यालय की बस अथवा आवागमन के साधन
१९) शिक्षकों की पेन्शन (यदि वह सरकारी विद्यालय है)

बजट बनाने के संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।

१) विद्यालय का बजट शिक्षकों के सहयोग से ही बनाना चाहिए।

२) प्रत्येक शिक्षक को अपनी राय देने का अवसर मिलना चाहिए।

३) बजट बनाने में जनतांत्रिक भावना होनी चाहिए।

४) बजट साल भर चलने वाली प्रक्रिया है।

५) इसके संबंध में विचार–विमर्श होते रहना चाहिए।

६) जुलाई से मार्च तक का समय इस प्रकार बॉटना चाहिए की बजट के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम किये जाते रहे।

प्रस्तुतीकरण एवं स्वीकृति (Presentation and Permission)

बजट प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विचार–विमर्श करके स्वीकृत कर लिया जाता है। जब बजट में कम से कम परिवर्तनों की आवश्यकता होती हो तो उसे अच्छा बजट समझा जाएगा। विद्यालय का स्वयं बनाया हुआ बजट उसके कार्यकारणी परिषद तथा आम सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उसे पारित किया जाता है।

बजट का प्रशासन (Administration of Budget)

बजट के स्वीकृति के पश्चात विद्यालय को वापिस भेज दिया जाता है। स्वीकृत बजट के अनुसार ही विद्यालय व्यय करते है। विद्यालय यदि बडा है तो लेखा अधिकारी की सहायता से अथवा एक लेखा लिपिक की सहायता से कार्य करता है।

बजट परिपालन (Budget Continue Process)

बजट के परिपालन में इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

१) यह स्पष्ट रुप से निर्धारित कर दिया जाना चाहिये कि विद्यालय के आय तथा व्यय पर किसका नियंत्रण रहेगा।

२) उपर्युक्त दायित्व का निर्धारण हो जाने पर आय–व्यय का नियंत्रण नियम के अनुसार ही चलना चाहिए।

३) प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय–व्यवस्थापक को बीच–बीच में इन बातों की जॉच करते रहना चाहिए कि अनुमानित आय प्राप्त हो रही है और उस आय के अनुरुप ही व्यय किया जा रहा है।

४) कभी कभी आय–व्यय में कुछ परिवर्तन करना पडता है। अत एक प्रबंध समिति द्वारा यह पहेले से ही निर्धारित हो जाना चाहिए कि आय–व्यय में अपेक्षित परिवर्तन किस विधि से किया जाए?

लेखा संचालन (Record)

जो वित्तीय रजिस्टर विद्यालयों में रखे जाने चाहिए वे निम्नलिखित है –

१) वेतन–अदायगी रजिस्टर। २)आकस्मिक खर्च रजिस्टर। ३) आकस्मिक आदेश पुस्तिका।

४) कैश बुक (रोकड बही)। ५) लेजर पुस्तिका (खतौनी)। ६) शुल्क रजिस्टर।

७) संकलित शुल्क रजिस्टर। ८) विद्यार्थी फण्ड रजिस्टर। ९) दान रजिस्टर।

१०) अनुदान रजिस्टर। ११) छात्रवृत्ति रजिस्टर। १२) बिलों का रजिस्टर।

लेखा संचालन के रखरखाव का समय

१) निरंतर लेखा संचालन।

२) १५ वर्ष के लिये।

३) ५ वर्ष के लिये।

४) ३ वर्ष के लिये।

५) १८ महिने के लिये।

उपकरण संबंधी निम्न प्रकार के रजिस्टरों का रखना आवश्यक है –

१) संपत्ति रजिस्टर २) पुस्तकालय रजिस्टर ३) पुस्तक आगमन रजिस्टर ४) पुस्तकालय निकासी रजिस्टर ५) क्रीड़ा रजिस्टर

६) स्टेशनरी–स्टॉक रजिस्टर ७) स्टेशनरी निकासी रजिस्टर ८) विद्यालय पत्रिका रजिस्टर ९) शिल्प संरक्षण एवं निर्गमन रजिस्टर

विद्यालय के प्रकार के अनुसार विद्यालय का वित्त एवं बजट : –

१) केंद्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों की वित्तीय स्थिति:– इस प्रकार के विद्यालयों के समक्ष वित्त की कोई समस्या नही होती है क्योंकि केंद्र सरकार इन्हे आदर्श विद्यालयों के रुप में चलाना चाहती है।

२) राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों की वित्तीय स्थिति:– प्रत्येक राज्य सरकार अपने ही माध्यमिक विद्यालय संचालित करती है। इन राजकीय विद्यालयों के सामने वित्त की समस्या बिल्कुल भी नही होती।

३) नगरपालिका, नगर निगम एवं अन्य स्थानीय संघटकों द्वारा संचालित विद्यालयों की वित्तीय स्थिति:– माध्यमिक विद्यालय नगर पालिकाओं, जिला परिषद तथा पंचायतों के द्वारा संचालित किए जाते है। इनकी भी वित्तीय स्थिति संतोषजनक है।

४) निजी स्तर पर संचालित विद्यालयों की वित्तीय स्थिति:– निजी स्तर पर संचालित विद्यालय को भी वित्त की समस्या नही होती क्योंकि ये अत्यधिक शुल्क लेते है।

विद्यालय वित्त प्रबंध के सिद्धान्त (Principles of School Budget)

१) विद्यालय का वित्तीय प्रबंध साधारण रुप से प्रसंगानुकूल प्रदत्त सामग्री का सही ढंग से संगठन है।

२) वित्तीय प्रबंध बजट के प्रशासन पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है।

३) अच्छे वित्तीय प्रबंध के आधार है। सरलता, पर्याप्तता तथा प्रमाणीकरण।

४) वित्तीय प्रबंध में ऑडिट के लिए विशेष स्थान है।

५) प्रधानाध्यापक वित्तीय नियमों में परिवर्तन नही कर सकता।

६) वित्तीय प्रबंध का कार्य प्रधानाध्यापक का उत्तरदायित्व है।

७) वित्तीय प्रबंधन शैक्षिक कार्यक्रम की सफलता की कुंजी है।

विद्यालय वित्त प्रबंध की समस्याएँ एवं समाधान (Problems and Solutions of school Budget)

१) पहल का अभाव (Lack of Starting)

विद्यालय वित्त प्रबंध में सबसे गंभीर समस्या है, पहल का अभाव। यदि विद्यालय में कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम वित्तीय नियमों के अनुकुल नही है तो प्रधानाध्यापक वित्तीय अनियमितता का दोषी माना जाता है।

२) रिकार्ड की समस्या (Problem of Record)

रिकार्ड रखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यक होती है। इसिलिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक और अन्य अध्यापकों को रिकार्ड रख–रखाव का प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

३) ऑडिट संबंधी समस्या (Audit Problems)

विद्यालय मे ऑडीट इतना शक्तिशाली नियंत्रण रखता है कि, प्रधानाध्यापक ऑडिट की प्रतिकूल टिप्पणी की भय से विद्यालय कार्यक्रमों में आवश्यकता से अधिक सावधानी बरतते है।

४) अनुदान संबंधी समस्या (Subsidy Problems)

अनुदान प्राप्त करने वाले विद्यालय को कई बार सरकार से अनुदान देरी से प्राप्त होता है। जिससे उनकी सारी वित्तीय व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है।

५) एक मद से दूसरे मद में राशि के स्थानांतरण की समस्या (Problem of Transfer of money from one to other Head)

कई बार बजट में जिन कार्यक्रमों के लिये धन राशि स्वीकृत की गई है, उसमें वह धन राशि खर्च नहीं हो पाती और इस बची हुई राशि को किसी दूसरे मद में व्यय करने का अधिकार नही होता यह अधिकार प्रधानाध्यापक को होना चाहिए।

बजट संबंधी प्रक्रिया (Budgetary Process)

बजट संबंधी प्रक्रिया को निम्नलिखित तीन भागों में बॉटा गया है।

१) बजट का निर्माण:–

बजट अनुमान तैयार करना।

बजट अनुमान को एकीकृत करना।

प्रबंध अधिकारियों का निर्णय।

२) बजट की स्वीकृति।

बजट का प्रबंधकीय मण्डल में प्रस्तुतीकरण।

बजट पर चर्चा।

अनुदान मांगो पर मतदान।

३) बजट का कियान्वयन:–

१. वित्तीय साधनों का एकत्रीकरण।

२. एकत्रित कोषों का संरक्षण तथा वितरण।

३. लेखा संधारण।

अपनी प्रगति की जाँच ३

विद्यालय बजट निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दीजिए|

.....

3.2.8 समय सारणी

किसी भी विद्यालय को सुचारु रुप से चलाने के लिये समय सारणी अत्यंत आवश्यक है। समय सारणी से शाला का समय विभाजन, शिक्षकों का कार्यभार, पाठय एवं पाठयोत्तर गतिविधियों पर दिये जाने वाले समय एवं कार्यपद्धति का अनुमान लगाया जा सकता है।

समय सारणी का अर्थ और परीभाषा

'समय सारणी विद्यालय को सुचारु और नियमबद्ध तरीके से संचालन में आवश्यक है।

परिभाषा:–

१) डॉ.एस.एन.मुखर्जी:– समय–सारणी चक्र वह दर्पण है जिसमें विद्यालय के समस्त कार्यक्रम प्रतिबिम्बित होते है।

समय–सारणी के सिद्धांत (Important Theories of Time Table)

१) शिक्षा विभाग के नियम (Rules of Education Department)

किन शिक्षकों को किस विषय के लिये कितने कालांश देना चाहिए यह समय सारणी में दिया हुआ होना चाहिए।

२) विद्यालय का प्रकार (Type of School)

विद्यालय का प्रकार जैसे प्राइवेट और सरकारी स्कूल आदि तथा विद्यालय का स्तर जैसे प्राथमिक या माध्यमिक यह देखकर समय सारणी बनाना चाहिये।

३) विषय के महत्व के आधार पर समय का विभाजन (Distribution according to subject importance)

कुछ विषयों का अध्यापन में अति महत्वपूर्ण होता है और कुछ विषयों का गौण इसीलिए महत्वपूर्ण विषयों को ३०–३५ मिनिट का कालांश प्रतिदिन देना पडता है, गौण विषयों को सप्ताह में ३ कालांश देना ही पर्याप्त होता है। उपरोक्तानूसार अनुसार समय सारणी में समय का विभाजन किया जाता है।

४) स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान (Consideration of Local Needs)

समय सारणी में स्थानीय आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। कई विद्यालयों मे विद्यार्थी रेल तथा बस आदि साधनो से आते है तो उस के अनुसार विद्यालय का समय रखा जाता है। श्रमजीवी विद्यालयों में जहॉ दिन मे कार्य करनेवाले मजदूर रात में पढते है समय सायं ६ बजे से ही रखा जाता है।

५) स्थानीय जलवायु का ध्यान (Consideration of Local Climate)

समय सारणी स्थानीय जलवायू को भी ध्यान में रखकर बनायी जाती है। जैसे ठण्डे स्थानो में विद्यालय शीतकाल में बंद रहते है और मई–जून में खुले रहते है जबकि शेष देश मे ग्रीष्म में विद्यालय १ या २ माह के लिये बंद रहते है।

६) उपलब्ध समय के अनुसार (According to available time)

उपलब्ध समय के अनुसार हर विषय के लिए कालांश समय सारणी में दिया जाता है। उदाहरणार्थ दो पाली में चलने वाले विद्यालयों मे केवल ३०–३५ मिनिट की अवधि ही प्रत्येक कालंश को दी जाती है जबकि दूसरी पाली में ४५ मिनट के कालांश दे सकते है। लेकिन दोनों को ही बोर्ड द्वारा प्रदत्त पाठयक्रम को पूरा करना पडता है।

७) थकान का ध्यान (Consideration of Fatigue)

लगातार विद्यार्थी लगातार पढते थक जाते है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया तभी संभव होती है, जब विद्यार्थी थके न हो। इसलिये समय चक्र में ऐसी व्यवस्था हो कि कठिन विषय उस समय दिये जाये, जब विद्यार्थी पूर्ण सक्रिय एवं तरोताजा अनुभव कर रहे हो।

८) विविधता (Despartie)

समय सारणी में विषयों की विविधता होनी चाहिए इसका मतलब यह है की विद्यार्थियों को एक ही विषय लगातार पढने को न मिले। अलग अलग विषयों में विद्यार्थियो की रुचि पूरे दिन बनी रहेगी।

९) टकराव (Conflict)

कभी कभी एक ही शिक्षक को एक ही समय में दो कालांश या दो शिक्षकों को एक साथ एक कालांश दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक की विद्यार्थियों के समक्ष हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। इस स्थिति का ध्यान समय–सारणी बनाते समय रखना चाहिये।

१०) लचीलापन (Flexibility)

समय सारणी विद्यालय के समय को नियमबद्ध रखने का एक साधन है इसलिए विद्यालय को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय सारणी अधिक कठोर न रखकर लचीला रखना आवश्यक होता है। कभी कभी एक ही समय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, इसीलिए यह सब चीजें ध्यान में रखकर समय सारणी लचीली होनी चाहिए।

११) विद्यालय के संसाधनों का अधिकतम प्रयोग (Maximum use of school Resources)

विद्यालय के संसाधनों का अधिकतम प्रयोग हो इस बात का ध्यान रखते हुए कितने विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की आवश्यकता है, यह निश्चय करने के बाद ही विद्यालयों को शिक्षक उपलब्ध लिए जाने चाहिए।

१२) शिक्षको की रुचि का ध्यान (Teachers interest)

समय सारणी में शिक्षकों की विषय के प्रति रुचि का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक को अगर अरुचिकर विषय पढाने को दिया जाएगा तो वो प्रभावशाली ढंग से नही पढा पाऐंगे। इसलिए शिक्षकों की रुचि का ध्यान रखना आवश्यक है।

१३) विद्यार्थीयों की आवश्यकता की पूर्ति का ध्यान (Precaution of Student Need)

इसके अंतर्गत समय–सारणी बनाने वाले को को विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं तथा विद्यालय में लघुशंका, शौचालय, मध्यान्ह भोजन आदि के लिए उपयुक्त समय का भी ध्यान रखना आवश्यक है।

अच्छी समय सारणी की विशेषताएँ (Characteristics of ideal time table)

१) अच्छी समय सारणी से विद्यालय में नियम बध्दता व समय की पाबंदी जैसे गुण विकसित होते है।

२) समय सारणी में शिक्षण के साथ अवकाश व मनोरंजन क्रियाओं के लिये भी स्थान होता है।

३) मुख्य विषयों तथा सामान्य विषयों को उचित स्थान दिया जाता है।

४) स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है।

५) छात्र–छात्राओं को वैकल्पिक विषयों के चुनाव में समय सारणी बाधा नही बनती।

६) विज्ञान भूगोल आदि विषयों में प्रयोगशाला कार्य के लिये स्थान दिया जाता है।

७) समय की पाबंदी, योजना बनाकर समय पर कार्य करना, सहयोगपूर्वक कार्य करना आदि से भौतिक व जीवन मूल्यों को प्रोत्साहन मिलता है।

समय सारणी के दोष (Demerits a time table)

१) समय सारणी विद्यालयों में इतने कठोर ढंग से लागू की जाती है कि यह शिक्षक और विद्यार्थियों को एक तरह से ताले में बंद कर देती है।

२) समय सारणी में ज्यादा से ज्यादा समय पाठ्यविषय पर दिया जाता है। समय सारणी में पाठयेत्तर गतिविधियों का या तो कोई स्थान नही होता और यदि होता है तो उसकी अवधि बहुत कम होती है।

३) विद्यार्थियों को व्यक्तिगत निर्देशन की बात तो संभव ही नही हो पाती।

४) समय सारणी इतनी बंद स्वरुप की होती है कि शिक्षकों को प्रतिभाशाली छात्रो के लिए मार्गदर्शन अथवा मंद बुद्धि वाले छात्रों को व्यक्तिगत रुप से मार्गदर्शन के लिए समय नही मिल पाता।

समय–सारणी का महत्व:–

१) समय सारणी से विद्यालय में नियमबद्ध और व्यवस्थापूर्ण वातावरण बनता है।

२) विद्यार्थियो को विद्यालयीन संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो पाता है।

३) विविध विषयों को उपयुक्त समय दे पाना संभव हो पाता है।

४) कार्य का विभाजन शिक्षको की योग्यता के अनुसार तथा छात्रो के अनुरुप कार्य का विभाजन समय सारणी द्वारा किया जा सकता है।

५) विद्यालय गतिविधियों को नियमित एवं सुव्यवस्थित करने में सहयोग मिलता है।

६) छात्रों में अच्छी एवं स्वस्थ आदतों का निर्माण होता है।

समय सारणी के प्रकार (Types of time table)

१) समग्र विद्यालय के लिए समय चक्र।

२) शिक्षकवार समय चक्र।

३) कक्षा विशेष के लिए समय चक्र।

४) रिक्त कालांशों के लिए समय चक्र।

५) कुछ विषयों के लिए सम्मिलित कक्षा चक्र।

६) कुछ विषयों में सामूहिक रुप से अध्यापन का समय चक्र।

७) गृह कार्य समय चक्र।

८) पाठ्येत्तर गतिविधियों का समय चक्र।

९) खेलकूद संबंधी समय चक्र।

अपनी प्रगति की जाँच ४

समय सारणी के गुणदोष बताईये|

_____

3.2.9 अनुशासन (Discipline)

अनुशासन से अभिप्राय है कि बालक विद्यालय के नियमों आदर्शों तथा परंपराओं का पालन करे।

अनुशासन की आवश्यकता –

१) अनुशासन से बालक का सर्वांगीण विकास होने में मदद मिलती है।

२) अनुशासन से सभी बालको को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होता है।

३) अनुशासन के द्वारा ही बालक दूसरों के अधिकारों का आदर और अपने अधिकारों का सदुपयोग करना सीखता है।

४) अनुशासन के द्वारा ही विद्यालय में योजना, समय, विभाग–चक्र, नियम आदि का व्यवस्थित ढंग से पालन कराया जा सकता है।

५) विद्यालय ही सामाजिक अनुशासन की नींव रखते है। समाज के प्रत्येक सदस्य को अनुशासित करने का कार्य विद्यालय का है।

६) समाज में अनुशासित व्यक्तियों की ओर ही सभी लोगों का ध्यान रहता है।

अनुशासन–शिक्षा के अभिकरण (Discipline-Agency of Education)

अनुशासन की शिक्षा दो प्रकार से दी जाती है

१) औपचारिक (Formal) २) अनौपचारिक (Informal)

१) अनौपचारिक (Informal):– अनुशासन की अनौपचारिक शिक्षा देने का कार्य परिवार एवम् सामाजिक संस्थाऐं करती है।

२) औपचारिक (Formal):– अनुशासन की औपचारिक शिक्षा देने का दायित्व विद्यालयों का है।

विद्यालयों में अनुशासनहीनता के कारण:–

१) योग्य एवं आदर्श शिक्षकों का अभाव।
२) दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था।
३) आर्थिक कठिनाईयॉ।
४) विद्यार्थियों एवं अध्यापको में निकट संपर्क का अभाव।
५) सह–शिक्षा।
६) राजनैतिक दल और विद्यार्थी।
७) अनुशासन संबंधी नियमों एवं आदर्श भावना का अभाव।
८) अध्यापकों एवं अभिभावकों में संपर्क का अभाव।
९) अनुशासन संबंधी नियमों एवं आदर्शों का अभाव।
१०) अनुशासन के महत्व के प्रति अज्ञानता।
११) विद्यालयों में विद्यार्थियों की अत्यधिक संख्या।
१२) विद्यालयों का व्यावसायिक रुप।
१३) उचित पथ–प्रदर्शन का अभाव।
१४) उद्देश्यहीन शिक्षा।
१५) समाज में निम्न कोटि का नैतिक स्तर।
१६) उपयुक्त पाठयक्रम एवं सहगामी क्रियाओं का अभाव।
१७) अन्य कारण।

अनुशासनहीनता दूर करने के उपाय

१) अपराधी छात्र की अनुशासन हीनता की समस्या को मनोवैज्ञानिक ढंग से सुलझाना चाहिए।

२) प्रशिक्षित तथा अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए।

३) अध्यापकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनका वेतन अधिक होना चाहिये।

४) छात्रों के अभिभावकों से संपर्क कर उनके अनुभवों का आदर करते हुए उनमें विद्यालय के कार्यो के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए।

५) छात्रों में अनुशासन करने के लिए उन्हे कार्यों का उत्तरदायित्व सौपना चाहिए।

६) प्रधानाध्यापक को विद्यालय के प्रबंध में शिथिलता नही आने देनी चाहिए।

७) छात्रों को रुचिकर कार्यो में व्यस्त रखने के लिये विद्यालय में विविध सहगामी क्रियाओं (Extra Curricular Activities) का संचालन नियमित तथा नियमों के आधार पर करना चाहिए।

८) अपराधी प्रवृत्ति के छात्रों की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक ढंग से समाधान करना चाहिए।

९) विद्यालय को विविध पत्र–पत्रिकाएँ मंगवाना चाहिए और वाचनालय के नियमों का पालन अवश्य होना चाहिए।

१०) प्रधानाध्यापक एंव अध्यापकों का व्यवहार छात्रों के प्रति निष्पक्ष एवं विवेकपूर्ण होना चाहिए।

११) बच्चों को प्यार से समझाकर सुधारने का प्रयास करना चाहिए।

१२) विद्यालयों का छात्रों में नेतृत्व का गुण विकसित करना चाहिए।

१३) प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों के आदेश स्पष्ट एवं उद्देशपूर्ण हो।

१४) निर्देश व आदेश देते समय अध्यापक को संकेत से भी काम लेना चाहिए।

१५) अनुशासन के लिये छात्रों में भय का प्रयोग कम करना चाहिये।

१६) छात्रों में अनुशासन स्थापित करने के लिये उन पर विश्वास करना चाहिए।

१७) पुरस्कार देने से भी अनुशासन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

१८) बच्चों की उचित प्रशंसा भी कभी–कभी अनुशासन के लिये अच्छी होती है।

शारिरीक दण्ड (Corporal Punishment)

अनेक शिक्षा शास्त्रियों का मानना है। कि बच्चों को शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिये। क्योंकि छात्र शारीरिक दंड देने के कारण मानसिक रुप से कमजोर हो जाते है।

१) शारिरिक दण्ड एक पाशविक प्रवृत्ति है अत: मानवीय व्यवहारों में इसका कोई स्थान नही होना चाहिये।

परंतु कुछ लोग शारिरिक दण्ड का समर्थन भी करते है।

१) साधारणत: छात्र इतने गरीब एवं गन्दे वातावरण से विद्यालय मे आते है जहॉ उन्हे बात–बात पर कठोर शारिरिक यातनाएँ दी जाती है। ऐसे छात्रों को कठोर शारीरीक दण्ड दिये बिना समझ में नही आता क्योंकि वे उसके अभ्यस्त हो जाते है।

दण्ड देते समय ध्यान में रखने योग्य बाते –

१) शारिरिक दण्ड के प्रयोग का अधिकार प्रधानाध्यापक के अधिकार में ही रहना चाहिये।

२) शारिरिक दंड का प्रयोगअन्तिम विकल्प के रुप में ही करना चाहिए।

३) अपराध और दण्ड देने के बीच के समय में अधिक अन्तर नही होना चाहिए।

४) दंड की कठोरता धीरे–धीरे ही बढानी चाहिए।

५) अपराध के अनुपात में ही दण्ड दिया जाना चाहिए।

६) क्रोध में दण्ड नही देना चाहिए।

७) दण्ड के विकल्प के रुप में प्रायश्चित की भावना होनी चाहीये।

८) दण्ड के पश्चात भी सुधार के लिये अन्य उपाय करते रहने चाहिए।

कक्षा में अनुशासन (Discipline in the class)

छात्र के कक्षा में अनुशासनहीनता के कुछ कारण हो सकते है जैसे

१) हो सकता है कि बालक किसी विशेष घरेलू परिस्थितियो या घटना विशेष के कारण दु:खी हो। इसलिये कक्षा में ध्यानपूर्वक पढने में मन न लग रहा हो।

२) बहुत से बालक दिए हुये काम को न करने के आदी हो जाते है जिससे कक्षा में वे कोई काम करना नही चाहते।

३) कुछ छात्र बीमारी के कारण या अन्य किसी कारण से कक्षा के काम में पीछे रह जाते है।

४) अनेक छात्र मंदबुद्धी के होते है जिससे वे कक्षा में शिक्षा का पूर्ण लाभ उठाने में असमर्थ होते है।

५) विषयों के चुनाव में भूल होने के कारण भी बहुत से छात्र कक्षा में ठीक तरह नही पढ पाते।

६) कक्षा में पढाई का स्थर सामान्य रहता है। अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि वाले छात्र उस शिक्षण में विशेष आनंद प्राप्त नही कर पाते है।

७) कुछ छात्र गलत संगत में पडकर शरारती बच्चों की देखा–देखी अनुशासन भंग करने लगते है।

कक्षा में अनुशासित रहने के लिये अध्यापक भी कुछ प्रयत्न कर सकते है।

१) प्रशंसा:– बालकों द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा करना अत्यंत आवश्यक है इससे उनका उत्साह बढता है। आवश्यकतानुसार निंदा एवं स्तुति के प्रयोग से अनुशासन को बनाये रखने मे सहयोग मिलता है।

२) आदर्श:– अध्यापक मौखिक उपदेश ही न देकर बल्किस्वयं भी आदर्श प्रस्तुत करे।

३) संकेत:– बच्चों में संकेत तथा सुझाव ग्रहण करने की शक्ति बडी प्रबल होती है। अत: बच्चों को आज्ञा देने के बजाय उन्हे सीधे संकेत तथा इशारे से काम लेना अच्छा होता है।

४) दण्ड का भय:– बच्चों को बार बार दण्ड का भय दिखाना अच्छा नही होता। अध्यापक को चाहिए कि जब दण्ड देने को कहे, तो अवश्य दण्ड देना चाहिए।

५) परिवर्तन:– बच्चे कक्षा में एक समान कार्य करके उब जाते है इसलिए कक्षा में परिवर्तन करके विषय को मनोरंजक बना देना चाहिये।

अपनी प्रगति की जाँच ५

अनुशासन हीनता दूर करने के उपाय बताईये।

.....

3.2.10 स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा,मध्यान्ह भोजन व अन्य योजनाएँ

स्वास्थ्य शिक्षा

स्वास्थ्य शिक्षा, शिक्षा का वह महत्वपूर्ण अंग है ,जो मानव जाति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करने के लिए प्रेरित करता है। स्वास्थ्य शिक्षा छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। विद्वानों का मानना है की छात्र देश का भविष्य होते है। अत: छात्रों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरुक होना अत्यंत आवश्यक है। उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा,तो वे अपने अध्ययन कार्य में सफलता अर्जित कर सकेंगे।

स्वास्थ्य से अभिप्राय है –

शरीर की सम्पूर्णता एवं समानता में गुणात्मकता । यह गुणात्मकता ही व्यक्ति को सचेत एवं स्वस्थ बनाये रखती है ।

स्वास्थ्य की परिभाषाये

स्वास्थ्य विश्वकोश :–

आदर्श दैनिक जीवन के लिए व्यक्ति की वह योग्यता जो उसे मानसिक संवेगात्मक तथा शारीरिक रुप से गतिशील रखती है।

It is that state in which the individual is able to mobilize at his resources intellectual]emotional and physical for optimum daily living-& Encyclopedia of health

अत: से स्वास्थ्य के तीन पक्ष है – शारीरिक, मानसिक, तथा सामाजिक। शारीरिक स्वास्थ्य का सम्बन्ध व्यक्ति के शरिर है । मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य का सम्बन्ध,समाज से है।

स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य

1.शारीरिक तथा संवेगात्मक स्वास्थ्य में व्यक्ति का आदर्शतम विकास द्य

2.स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम मानवीय सम्बन्धो का विकास द्य

3.स्वास्थ्य के तथ्यों,सिद्धांतो का अनुपालन द्य

4.स्वास्थ्य के सन्दर्भ में नागरिक दायित्वों का विकास द्य

वैयक्तिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

स्वास्थ्य का सम्बन्ध व्यक्ति से है, अत: वैयक्तिक स्वास्थ्य के विकास के लिए विद्यालयों में स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिये ।

शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास :–

1.स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपकरणों का प्रयोग द्य

2.स्वास्थ्य के वांछित व्यवहार के विकास के लिए अभ्यास कार्यक्रमद्य

3.जीवन में,स्वछता एवं सफाई के द्वारा स्वास्थ्य सौन्दर्य मूल्यों का विकास द्य

4.स्वास्थ्य व्यवहार को दिशा देकर संवेगात्मक विकास करनाद्य

2.उत्तम मानवीय सम्बन्ध :–

1.मित्रों,पडोसिंयो,परिवार,समुदाय,राज्य,राष्ट्र द्वारा स्वास्थ्य विकास कार्यक्रमों में भाग लेना ।

2.स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान परस्पर सहयोग के आधार पर करना ।

3.परिवार,विद्यालय तथा समुदाय में संतोषजनक संवेगात्मक संतुलन का विकास।

4.स्वास्थ्य के नियमों का परिपालन करना ।

5. बालक,परिवार, माता–पिता एवं परिजनों से सम्बंधित शारीरिक एवं संवेगात्मक समायोजन का प्रयास का प्रयास करना।

6.परिवार की प्रतिष्ठा को संजोये रखना।

7. भोजन पकाना,संतुलित आहार,बीमारों का भोजन बनाना आदि कौशलों का अर्जन करना।

3.आर्थिक कुशलता :–

1. वांछित कार्य के प्रति संवेगात्मक एवं शारीरिक संतुष्टि की अनुभूति तथा पहचान।

2. शारीरिक,मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व्यवसाय का चयन करना।

3.कार्य ,स्वास्थ्य, सुरक्षा, व्यावसायिक उलझनो आदि का विकास करना ।

4. स्वास्थ्य के सन्दर्भ में नागरिक दायित्व :–

1. आदर्श स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है,इस तथ्य को समझना ।

2. स्वास्थ्य के रख–रखाव एवं विकास के लिए सामुदायिक कार्यों को करना ।

3.विपरीत विचारधाराओं के लोगों के साथ व्यवहार करते समय संवेगात्मक संतुलन रखना ।

4.स्वास्थ्य के नियमों का आदर करना ।

5. आर्थिक एवं सामाजिक कुरीतियों के कारन उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए जागरुक होना ।

6. स्वास्थ्य के विकास तथा रोगों की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा अन्य देशों को सहयोग देना ।

7. घर, विद्यालय तथा समुदाय में स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण विकसित करना ।

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य,बालकों के स्वास्थ्य के सन्दर्भ में मानदंड निर्धारित करना है । ये कार्यक्रम विद्यालयों में अलग अलग होते है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का महत्व इस प्रकार है:–

1. बालकों के सर्वांगींण विकास के लिए आवश्यक ।

2. शिक्षा प्राप्ति के लिए अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखना ।

3. वैयक्तिक ,अभिभावकों ,शिक्षकों तथा छात्रों के स्वास्थ्य की सूचना एकत्र करना ।

4. सुरक्षा की भावना का विकास करना ।

5. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम समायोजन में सहायक है ।

6. कक्षा में अनुपस्थिति की दर कम हो जाती है।

7. संसर्गजन्य एवं संवाहक रोगों की दर में कमी होती है ।

8. विद्यालय में स्वस्थ्य वातावरण का निर्माण करना ।

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चार क्रियायें प्रमुख है ।

1. स्वस्थ जीवन के आधारभूत सिद्धांतों का परिचय कराना।

2. संसर्गजन्य रोगों से बालकों का बचाव करना ।

3.विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम को व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरुप बनाना ।

4. अभिभावकों द्वारा,छात्रों को स्वास्थ्य समस्याओं से परिचित करना।

विद्यालय में स्वास्थ्य कार्यक्रम को संचालित करने के लिए निम्नलिखित अभिकरण होने चाहियें–

1.विद्यालय का स्वास्थ्य अधिकारी 2.विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षक

3.जिला विद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी 4.विद्यालय डिस्पेंसरी

4.रेड्क्रोस यूनिट 6.क्रीडा विभाग

विद्यालय में छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए निम्नलिखित क्रियाएं करनी आवश्यक है ।

1.छात्रों का स्वास्थ्य परिक्षण। 2.स्वास्थ्य परिक्षण का रिकार्ड रखना ।

3.अभिभावकों से संपर्क रखना । 4.दांत, नाक,आंख,गले एवं त्वचा का निरिक्षण ।

5.स्नायु–विकारों का ध्यान रखना । 6.विकलांगों की देखभाल करना ।

7.संसर्गजन्य रोगों की रोकथाम । 8.स्वास्थ्य कार्यक्रम का मूल्यांकन ।

9.मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था करना ।

शारीरिक शिक्षा की परिभाषा

इ.आर.वेमैन –शारीरिक शिक्षा,शिक्षा की वह अवस्था है जिसमे शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति का शारीरिक विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

जे.बी.नैश –शारीरिक शिक्षा,शिक्षा के सभी क्षेत्रों की वह अवस्था है जो मांसपेशीय क्रियाओं तथा उनकी अनुक्रियाओं से सम्बंधित है ।

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार –

यह शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा है । इससे बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है द्यइसका सम्बन्ध शारीरिक दक्षता से है । इससे सामाजिक गुणों का विकास होता है,तुरंत बुद्धि विकसित होती है। सहयोग,समायोजन और सम्मान की भावना का विकास होता है । यह नागरिकों के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

शारीरिक शिक्षा : कुछ भ्रांत धारणाएं

1.यह शारीरिक प्रशिक्षण (P.T.) है।

2.यह शरीर सौष्ठव (body building) है।

3.यह खेल है ।

4.यह खेल एवं सामूहिक व्यायाम है।

5.इनका एकमात्र उद्देश्य शारीरिक दक्षता है ।

शारीरिक शिक्षा का महत्व

1.नियमित शारीरिक शिक्षा से शरीर स्वस्थ रहता है।

2.व्यायाम तथा आसनों से शरीर स्वस्थ रहता है ।

3.इससे व्यक्ति का बजन कम रहता हैद्यशरीर सुडौल बनता है ।

5.मानसिक तत्परता बनी रहती है।

6.वैयक्तिक तथा सामाजिक समायोजन बना रहता है।

4.चरित्र निर्माण होता है।

7.उत्तम नागरिक गुणों का विकास होता है।

8.अवकाश के समय का सदुपयोग होता है ।

शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य

1.छात्रों को शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में प्रभावपूर्ण ढंग से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना ।

2.शारीरिक शिक्षा में निहित वैज्ञानिक सिद्धांन्तों को समझना।

3.शरीर के विभिन्न अंगों को उत्तम जीवन शैली के लिए विकसित करना ।

4.छात्रों को,शैक्षिक अनुभवों की सफलता के लिए शारीरिक क्रियाओं को नियमित करना।

5.वांछित सामाजिक मनोवृत्तियां तथा आचरण का विकास करना।

शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम

शारीरिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक भाग है । यह शिक्षा दर्शन पर आधारित है। शारिरिक शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं।

1.शरीर शास्त्रीय सिद्धांत (physiological theory)

1.मांसपेशिय विकास के साथ साथ गतिविकास के अधिकतम अवसर प्रदान करना ।

2.पाठ्यक्रम में अभिवृद्धि तथा विकास सम्बन्धी प्रकरण जोना ।

3.शारीरिक क्षमता तथा योग्यता में अंतर का ध्यान रखना ।

4.शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शारीरिक दक्षता ध्यान रखना ।

2.मनोवैज्ञानिक सिद्धांत (psychological)

1.शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम स्वाभाविक खेल सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए।

2.छात्रों की आयु ,शारीरिक विशेषता के आधार पर क्रियाओं का चयन करना चाहिए ।

3.क्रियाओंका चयन संवेगात्मक अभिव्यक्ति में सहाय्यक हो।

4.मौसम के अनुसार शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी क्रियाओं का चयन करना चाहिए।

3.समाजशास्त्रीय (sociological) सिद्धांत

1.पाठ्यक्रम अवकाश के समय के सदुपयोग के सिद्धांतपर आधारित हो।

2.कार्यक्रम में सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए।

3.कार्यक्रम छात्रों के चारित्रिक विकास करने वाला है ।

इन उपरोक्त सिद्धांतो को ध्यान में रखकर विभिन्न स्तर पर शिक्षा के कार्यक्रम अपनाये जा सकते है ।

नर्सरी स्तर पर –

1.गत्यात्मक – कहानी, गीत, भावक्रिया, गीत, चल गीत, लोक नृत्य ।

2.अनुकरण – हाथी, भालू ,बैल, लंगडे कुत्ते आदि की चाल।

3.युक्ता खेल –खेल कूद ,फुदकना,उछलना

प्राथमिक स्तर पर –

इस स्तर पर बालक का विकास धीमी गति से होता है । इस स्तर पर गत्यात्मक क्रियाओं के अंतर्गत क्रिया गीत,चल गीत ,गत्यात्मक कहानियाँ ,लेजिम, समूह पी.टी., योग, नृत्य, तैरना ,खेल कूद , दौड इसी प्रकार के खेल कराए जा सकते है।

निम्न माध्यमिक स्तर पर –

इस स्तर पर बालक का विकास तेजी से होता है । इस समय प्रतियोगी खेल, एथेलिट्स, रिलेरेस, वालीबाल, खो–खो, कबड्डी, हॉकी, शिकारी खेल, योग, नृत्य,एवं तैराकी करायी जा सकती है ।

हाई स्कूल स्तर पर –

इस स्तर पर बालकों की ऊँचाई बढ जाती है । बालिकाओं तथा बालकों के खेल में अंतर आ जाता है। इस समय प्रतिस्पर्धा वाले खेल, एथेलिट्स, गत्यात्मक, जिम्नास्टिक्स, योग, पर्वतारोहण, तैरना, जूनियर एन.सी.सी अदि कराए जा सकते है।

स्कूलों एवं कालेजों के पाठ्यक्रमों में स्वास्थ्य शिक्षा का समावेश। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं –

1.व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा व्यक्ति एवं पारिवारिक स्वास्थ्य की रक्षा तथा लोगों को स्वास्थ्य के नियमों की जानकारी देना ।

2.संक्रामक रोगों की घातकता तथा रोगनिरोधन के मूल तत्वों का बोध कराना।

3.स्वास्थ्य रक्षा के सामूहिक उत्तरदायीत्व को वहन करने की शिक्षा देना ।

इस प्रकार में स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त कर रहा छात्र आगे चलकर सामुदायिक स्वास्थ्यसंबंधी कार्यों में निपुणता से कार्य कर सकता है तथा अपने एवं अपने परिवार के लोगों की स्वास्थ्य रक्षा के हेतु उचित उपायों का प्रयोग कर सकता है। अनुभव द्वारा यह देखा भी गया है कि इस प्रकार की स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा से संपूर्ण देश की स्वास्थ्य रक्षा में प्रगति हुई है।

मध्यान्ह भोजन योजना

मध्यान्ह भोजन योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समवेत प्रयासों से संचालित है। भारत सरकार द्वारा यह योजना १५ अगस्त १९९५ को लागू की गयी थी, जिसके अंतर्गत कक्षा १ से ५ तक प्रदेश के सरकारी/परिषदीय/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढने वाले सभी बच्चों को ८० प्रतिशत उपस्थिति पर प्रति माह ०३ किलोग्राम गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की थी। किन्तु योजना के अंतर्गत छात्रों को दिए जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्र को न प्राप्त होकर उसके परिवार के मध्य बट जाता था, इससे छात्र को वांछित पौष्टिक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते थे।

मा॰ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक २८ नवम्बर २००१ को दिए गए निर्देश के क्रम में प्रदेश में दिनांक ०१ सितम्बर २००४ से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने की योजना आरम्भ कर दी गयी है। योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए अक्तूबर २००७ से इसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अप्रैल २००८ से शेष ब्लाकों एवं नगर क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष २००७–०८ में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत १.८३ करोड़ बच्चे तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ३९ लाख बच्चे आच्छादित थे। वर्तमान में इस योजना से प्रदेश के १,१४,२५६ प्राथमिक विद्यालयों एवं ५४,१५५ उच्च प्राथमिक विद्यालय आच्छादित हैं। इन विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत १३३.७२ लाख विद्यार्थी एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर ५७.७८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के क्रियान्वयन से निम्न उद्देयेश्यों की प्राप्ति हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण का गठन अक्तूबर २००६ में निम्न उद्देयेश्यों को ध्यान में रख कर किया गया है –

- प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अर्ह प्राथमिक विद्यालयों, ई॰जी॰एस॰ एवं अ॰आइ॰इ॰ केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करना।
- पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा कर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना।
- विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना।
- प्राथमिक कक्षाओं में विद्यालय में छात्रों के रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्राप आउट रेट कम करना।
- बच्चों में भाई–चारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मो के मध्य के अंतर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठा कर भोजन कराना ताकि उनमे अच्छी समझ पैदा हो।

योजन्तार्गत पके पकाए भोजन की व्यवस्था–

इस योजनान्तर्गत विद्यालयों में मध्यावकाश में छात्र–छात्राओं को स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में ४ दिन चावल के बने भोज्य पदार्थ तथा २ दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ दिए जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर १०० ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर १५० ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से खाद्यान्न (गेहूं/चावल) उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न से भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था की गयी है। परिवर्तन लागत से सब्जी, तेल, मसाले एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती हैद्य भोजन को तैयार करने एवं अन्य सामग्रियों के व्यवस्था हेतु वर्तमान समय में प्राथमिक स्तर पर रु॰ ३.७६ प्रति छात्र प्रति दिवस (जिसमे रु॰ ०.९४ राज्यांश है) तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर रु॰ ५.६४ प्रति छात्र प्रति दिवस (जिसमे १.४१ राज्यांश है), परिवर्तन लागत के रुप में उपलब्ध करा जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जा रहे भोजन में कम से कम ४५० कैलोरी ऊर्जा व १२ ग्राम प्रोटीन एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम ७०० कैलोरी ऊर्जा व २० ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होना चाहिए। परिवर्धित पोषक मानक के अनुसार मेनू में व्यापक परिवर्तन किया गया है, तथा इसका व्यापक प्रसार प्रचार किया गया है।

खाद्यान्न की व्यवस्था–

मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात भोजन निर्माण का कार्य मुख्यत: ग्राम पंचायता/वार्ड सभासदों की देख रेख में किया जा रहा है। भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न गेहूं एवं चावल जो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया से नि:शुल्क प्रदान किया जाता है, उसे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के माध्यम से ग्राम प्रधान को उपलब्ध कराया जाता है जो अपने देखरेख में विद्यालय परिसर में बने किचन शेड में भोजन तैयार करते हैं। भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवथा करने का दायित्व भी ग्राम प्रधान का ही है। इस हेतु उसे परिवर्तन लागत भी उपलब्ध करायी जाती है। नगर क्षेत्रों में अधिकाँश स्थानो पर भोजन बनाने का कार्य स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

किचन कम स्टोर एवं किचन उपकरणों की व्यवस्था –

योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किचन शेड हेतु रु॰ ८५,००० प्रति विद्यालय तथा किचन उपकरण हेतु रु॰ ५००० प्रति विद्यालय चरणबद्ध रुप से उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्त्तमान में १,१२,७२३ विद्यालयों में किचन शेड से निर्मित है तथा समस्त विद्यालयों द्वारा किचन उपकरण मद में प्राप्त धनराशी से किचन उपकरणों का क्रय किया जा चुका है ।

भोजन हेतु मेनू की व्यवस्था–

मध्यान्ह भोजन की विविधता हेतु सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस हेतु भिन्न भोजन दिए जाने की व्यवस्था की गयी है , जिससे भोजन के सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो तथा वह बच्चों की अभिरुचि के अनुसार भी हो। मेनू निर्धारित होने से पारदर्शिता आई है तथा जन–समुदाय मेनू के अनुपालन की स्थिति को ज्ञात करने में सक्षम हो सका है।

अनुश्रवन एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था–

विद्यालयों में पके–पकाए भोजन की व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नगर क्षेत्र पर वार्ड समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत समिति का गठन किया गया है। मंडल स्तर पर योजना के अनुश्रवन एवं पर्यवेक्षण हेतु मंडलीय सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा को दायित्व सौंपा गया है। जनपद स्तर पर योजना के

अनुश्रवन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। विकास खंड स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गयी है, जिसमे सहायक बसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को सदस्य सचिव के रुप में नियुक्त किया गया है।

विशिष्ट उपलब्धियां–

- नवीन मेनू को विद्यालयों की दीवारों पर 6'x8' साइज में पेंट कराया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे एवं परोसा जा रहा भोजन मेनू के अनुरुप है की नहीं, यह सर्वविदित रह सके।
- परिवर्तन लागत के मद में प्राप्त धनावंटन को ग्राम निधि के पृथक बैंक खाते में रखे जाने की व्यवस्था का निरुपण, ताकि व्यय का सही लेखा जोखा रखा जा सके।
- पूर्व में खाद्यान्न वितरण हेतु यह व्यवस्था प्रचलित थी कि जिस माह में भोजन दिया जाना था, उसी माह में खाद्यान्न विद्यालयों तक पहुँचता था। इस व्यवस्था में इस बात की प्रबल सम्भावना रहती थी की माह के प्रारंभ के दिनों में खाद्यान्न विद्यालय तक न पहुँचने के कारण भोजन पकाया जाना संभव न हो सके। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य विभाग, उ॰प्र॰ के साथ समन्वय कर भोजन वितरण के माह से पूर्ववर्ती माह में ही खाद्यान्न को विद्यालय तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था लागू की गयी।
- मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन के आधार पर विद्यालयों के श्रेणीकरण की व्यवस्था की गयी हैद्य श्रेणीकरण के विभिन्न मानक भोजन की गुणवत्ता, उपलब्धता, भौतिक संसाधन की उपलब्धता, स्वच्छता, पंजीयन के सापेक्ष उपस्थिति एवं अभिलेखों का रख रखाव आदि है।

३.३ सारांश

विद्यालय का प्रशासन अनेक प्रबंध समितियों से जुड़ा हुआ होता है|विद्यालय में विद्यालय बजट उसका निर्माण सबसे महत्वपूर्ण बात होती है |इसके आलावा विद्यालय में भौतिक संसाधनों का विशेष महत्व है |विद्यालय परिसर का प्रबंध,विद्यालय भवन निर्माण के प्रकार,विद्यालय का अनुशासन,उसकी समय सारणी,विद्यालय की सुरक्षा इन बातोंका भी ध्यान रखना आवश्यक है |

३.४ अपनी प्रगति की जाँच के लिए अपेक्षित उत्तर

अपनी प्रगति की जाँच १ उत्तर ₹=अध्याय ३.२.१ देखे |
अपनी प्रगति की जाँच २ उत्तर ₹=अध्याय ३.२.१ देखे |
अपनी प्रगति की जाँच ३ उत्तर₹=अध्याय ३.२.२ देखे |
अपनी प्रगति की जाँच ४ उत्तर ₹=अध्याय ३.२.३ देखे |
अपनी प्रगति की जाँच ५ उत्तर ₹=अध्याय ३.२.४ देखे |

३.५ शब्दावली

विद्यालय भवन,श्यामपट,पुस्तकालय,समय सारणी,छात्रावास,अनुशासन

३.६ कार्य आबंटन

१ समय सरणी का महत्व और उसके प्रकार बताईये|

२ बजट का अर्थ और महत्व बताईये|

३.७ क्रियाए

बजट बनाने के सम्बन्ध में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है?

३.८ प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)

विद्यालयों में रहने वाली भौतिक सुविधओंके बारे में चर्चा कीजिए|

३.९ सन्दर्भ पुस्तके

१. शैक्षिक प्रबंध और शिक्षा की समस्याये -सुरेश भटनागर,डॉ.कमला वशिष्ठ,एम.के.सिंह

२.शिक्षा के समाजशास्त्र आधार -डॉ.सावित्री माथुर,डॉ.सतीश शर्मा,प्रो.जे.सी.सिन्हा.

३.शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन -डॉ.आर.ए.शर्मा

४.विद्यालय प्रशासन एवं संगठन-डॉ.सतीश कुमार

५.अध्यापक शिक्षा-डॉ.जि.सी.भट्टाचार्य

६.मानक शिक्षा दर्शन एवं शैक्षिक समाजशास्त्र-डॉ.हरिवंश तरुण

७.शैक्षिक प्रबंधन एवं विद्यालय एवं संगठन-डॉ.पुष्पलता कुशवाह,डॉ.कनक सक्सेना

इकाई ४ समकालीन विमर्श

४.० शिक्षण उद्देश्य

४.१ परिचय

४.२ विषय विवेचन

४.२.१ शिक्षा की गुणवत्ता

४.२.२ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

४.२.३ महिलाओं की शिक्षा

४.२.४ अदिवासियों की शिक्षा

४.२.५ प्रगतिशील विद्यालय

४.३ सारांश

४.४ अपनी प्रगति की जाँच के लिए अपेक्षित उत्तर

४.५ शब्दावली

४.६ कार्य आबंटन

४.७ क्रियाए

४.८ प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)

४.९ सन्दर्भ पुस्तके

४.० शिक्षण उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित में सक्षम हो सकेगें -

१. शिक्षा के समकालीन विमर्श के बारें में समझ सकेगें |

२. शिक्षा के अधिकार कानून २००९ के बारे में जानकारी पा सकेगें |

३. शिक्षा में आए विभिन्न बदलाव की जानकारी प्राप्त कर सकेगें |

४. महिलाओं एवं आदिवासियों के समुदाय से जुड़े लोगों की शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगें |

५. प्रगतिशील विद्यालय जैसे राजघाट स्कूल,आनंद निकेतन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे |

४.१ परिचय

शिक्षा यह समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है | इसलिए शिक्षा में निरंतर गुणवत्तापूर्ण विकास होना अत्यंत आवश्यक है | भारत की शिक्षा में प्राचीन काल से अनेक बदलाव आये|शिक्षा का विकास हर तरह से होता गया |शिक्षा के अधिकार कानून २००९ के बाद शिक्षा का महत्वा और बढ़ गया | शिक्षा पर सबका मौलिक अधिकार है | इसलिए सबको शिक्षा मिलनी चाहिए |महिलओं की शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है | महिलाओं की शिक्षा में अनेक बाधाएं आती है |लेकिन उनके बारें में सोचना अत्यंत महत्वपूर्ण है | उसी तरह से हाशिए से जुड़े समाज की शिक्षा की तरफ ध्यान देना भी आवश्यक है | इस में दिशा अनेक प्रगतिशील विद्यालय अभी कार्यरत हैं जो शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण स्तर को बढ़ाने हेतु संचलित किए जा रहे हैं |

४.२ विषय विवेचन

४.२.१ शिक्षा की गुणवत्ता

बच्चे किसी भी देश की संम्पत्ति होते हैं इसीलिए बच्चों का गुणवत्तापूर्वक विकास होना बेहद आवश्यक है। शिक्षा मानव के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा से वह अपनी और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वास्तव में शिक्षा जो शुरु में एक संवैधानिक अधिकार था वह अब मौलिक अधिकार बन गया है। आज भारत देश के सभी क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की कमी महसूस होती है यहाँ शिक्षा प्रदान करने वाले विविध क्षेत्र अस्तित्व में है लेकिन फिर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है | शिक्षा समाज का अभिन्न अंग है | शिक्षा में गुणवत्ता ही उस समाज में विकास और प्रगति लाती है |गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी ने अपना योगदान देना अत्यंत आवश्यक है |

४.२.२ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम २००९ दरअसल ८६ वें संवैधानिक संशोधन के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार को सुनिश्चित करने की एक वैधानिक कोशिश है।

फरवरी २०१० में अंतिम तौर पर तैयार आरटीई आदर्श नियम (RTE model rules) राज्य सरकारों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिये दिशा–निर्देश का काम करता है।

आरटीई २००९ के मुख्य बिंदु हैं:–

१) ६ से १४ वर्ष तक की आयु के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक अपने घर के पास के किसी स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।

२) सरकारी मदद पाने वाले निजी स्कूलों को कमजोर वर्गो और पिछडे वर्गो के २५ प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देना होगा।

३) निजी गैर अनुदानित स्कूलों को छोडकर सभी स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंधन कमेटियों द्वारा किया जाएगा जिसके ७५ प्रतिशत सदस्य छात्रों के माता–पिता और पालक होंगे।

४) सरकारी स्कूलों को छोडकर सभी स्कूलों को तीन साल के भीतर तय नियम और मापदंड अपनाने होगे वरना उन्हे बंद कर दिया जाएगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

१) The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 २७ अगस्त २००९ को राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

२) १६ फरवरी २०१० को जारी अधिसूचना के आधार पर यह अधिनियम १ अप्रैल २०१० से प्रभावी है ।

३) नि:शुल्क से तात्पर्य:– किसी भी बच्चे व्दारा ऐसी कोई फीस/शुल्क/व्यय देय नहीं होगा, जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो।

४) अनिवार्य से तात्पर्य:–

६ से १४ वर्ष के सभी बच्चों को शत प्रतिशत नामांकन, शतप्रतिशत उपस्थिति तथा शतप्रतिशत बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार की है। पालकों के लिए मूलभूत दायित्व में इसे शामिल किया गया है।

१) ड्रापआउट एवं अनामांकित बच्चों का उनकी उम्र के अनुरुप कक्षा में नामांकन।

२) अन्य बच्चों के समकक्ष लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण।

३) प्रवेशित बच्चों के १४ वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी उन्हे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार।

४) प्रवेश हेतु जन्म प्रमाणपत्र एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं।

५) किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोके रखने अर्थात कक्षा ८ तक फेल करने पर प्रतिबंध।

६) बच्चों को शारीरिक दण्ड देने एवं मानसिक रुप से प्रताड़ित करना प्रतिबंधित।

७) समस्त बच्चों के लिए उनके निर्धारित पड़ोस (Neighbourhood) में शिक्षा की सुविधा ३ वर्ष में उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की बाध्यता।

शिक्षक

१) नियुक्ति हेतु शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण केंद्र सरकार व्दारा प्राधिकृत अकादमिक प्राधिकरण द्वारा।

२) निर्धारित योग्यता के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था ५ वर्ष में सुनिश्चित करना।

३) अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण।

४) शिक्षकों का अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित।

५) शिक्षक द्वारा प्राइवेट टयूशन प्रतिबंधित।

६) शिक्षकों का गैर शिक्षकीय कार्य में लगाना प्रतिबंधित/दशकीय जनगणना, चुनाव एवं आपदा राहत को छोड़कर।

७) शिक्षकों के वेतन एवं सेवा शर्तो का निर्धारण।

शाला –

१) निर्वाचित प्रतिनिधियों,अभिभावक एवं शिक्षक की विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा।

२) ३/४ सदस्य अभिभावक जिसमें ५० प्रतिशत महिलाएँ ।

३) कमजोर एवं वंचित वर्ग को अनुपातिक प्रतिनिधित्व।

४) विद्यालय विकास योजना निर्माण, प्रबंधन, मॉनिटरिंग स्थानीय निकाय के सहयोग से विद्यालय प्रबंधन समिति व्दारा।

केम्पटिइम फीस प्रतिवंधित

- दण्ड – केम्पटिइम फीस का १० गुना प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रतिवंधित–चयन रेंडम आधार पर
- दण्ड – एक बार रु.२५०००, अगली बार से प्रत्येक बार के लिए रु.५०००।
- बिना मान्यता के किसी भी स्कूल का संचालन नहीं।
- बिना मानक एवं मापदण्ड के मान्यता नहीं।
- बिना मान्यता के अथवा मान्यता निरस्त होने के बाद संचालन पर रु.१ लाख का दण्ड दूसरी बार में यह दण्ड तदुपरात रु.१००००होगा।
- मानदण्ड पूर्ण करने हेतु २ वर्ष की समय सीमा।
- शिक्षक छात्र अनुपात की पूर्ति हेतु ६ माह, किसी भी विद्यालय में १० प्रतिशत से अधिक रिक्तियॉ नही।
- गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए अपने पडोस के २५ प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना।
- राज्य द्वारा किया जा रहा प्रति छात्र व्यय अथवा वास्तविक फीस जो भी कम हो, के आधार पर फीस की प्रतिपूर्ति ।

मापदण्ड– शिक्षक छात्र अनुपात

१) प्राथमिक स्तर पर – छात्र शिक्षक अनुपात – समयसीमा ६ माह
२) ६० बच्चों तक – २ शिक्षक
३) ६१ से ९० बच्चों पर – ३ शिक्षक
४) ९१ से १२० बच्चों तक – ४ शिक्षक
५) १२१ से १५० बच्चों तक – ५ शिक्षक
६) १५० से अधिक होने पर – ५ शिक्षक. १ प्रधानाध्यापक
७) २०० से अधिक होने पर – १:४० का अनुपात (प्रधानअध्यापक छोडकर)

अधोसंरचना – मापदण्ड

- समस्त पाठशालाओं (शासकीय/निजी) में न्यूनतम अधोसंरचना की उपलब्धता ३ वर्ष की समय सीमा में करना अनिवार्य है।
- सभी मौसमों के लिए उपयुक्त भवन ।
- प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा एवं ऑफिस सह स्टोर सह प्रधानअध्यापक कक्ष
- बाधामुक्त शिक्षा
- बालक एवं बालिका के लिए पृथक शौचालय
- स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल– समस्त बच्चों के लिए
- किचन शेड
- खेल का मैदान
- बाउंड्री वाल / फेंसिंग
- लाईब्रेरी तथा आवश्यक पठन–पाठन सामग्री व उपकरण

मापदण्ड

१) न्यूनतम कार्य दिवस/ शिक्षण के घंटे

२) २०० दिवस – प्राथमिक स्तर

३) २२० दिवस – माध्यमिक स्तर

४) ८०० शैक्षणिक घंटे – प्राथमिक स्तर

५) १००० शैक्षणिक घंटे – माध्यमिक स्तर

६) शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे – ४५ घंटे, (पठन पाठऩ तैयारी के घंटे) अन्य पठनपाठन सामग्री एवं उपकरण – कक्षा के अनुरुप

७) प्रत्येक पाठशाला मे एक पुस्तकालय – समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कहानियो की किताबें

८) खेलकूद सामग्री, खेलकूद हेतु उपकरण

शिक्षक के अकादमिक उत्तरदायित्व

१) विद्यालय में नियमित उपस्थिति और समय पालन।

२) समयसीमा में पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना।

३) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की क्षमताओं का आकलन करना। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पठन–पाठन कराना

४) माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक करना। बालक की उपस्थिति, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता, उसकी प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना।

५) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो चिह्नित किए जाएँ ।

पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम का निर्धारण अकादमिक प्राधिकरण द्वारा होग़ा जिसमें –

१) संवैधानिक मूल्य व्दारा बच्चों को निर्भय बनाने

२) बाल केन्द्रित एवं गतिविधि आधारित प्रक्रिया

३) यथासंभव मातृ भाषा में शिक्षा

४) सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था

५) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं ।

स्थानीय निकाय के दायित्व

१) ६ से १४ वर्ष के बच्चों हेतु नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा; अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य पूर्णता सुनिश्चित करना ।

२) ३ वर्ष में हर बच्चे के पड़ोस में स्कूल की व्यवस्था करना ।

३) कमज़ोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान ।

४) मापदण्ड के अनुरुप पाठशालाओं में अधोसंरचना, विद्यालय भवन, शिक्षा व्यवस्था, पठन–पाठन सामग्री उपकरण, अनामांकित एवं विद्यालय से बाहर बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण।

५) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक बच्चों के प्रवेश, उपस्थिति एवं उपलब्धि स्तर की मॉनिटरिंग।

६) १४ वर्ष तक की आयु के बालको का अभिलेख ऐसी संधारित करना।

७) अच्छी गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

८) समय पर पाठ्यक्रम तैयार करना, शिक्षक प्रशिक्षण देना इत्यादि।

९) अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर विद्यालयों को मॉनीटरिंग करना।

१०) शैक्षणिक कैलेण्डर का परिपालन सुनिश्चित करना।

राज्य स्तर से की गई कार्रवाई

१) राज्य के शिक्षा संबंधी विद्यमान कानून, अधिनियमों की समीक्षा एवं उसमें नवीन अधिनियम के तहत संशोधन की कार्रवाई करना।

२) अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु प्रारुप नियम तैयार करना।

१) सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक प्रावधान एवं व्यवस्थाएँ करना।

२) पडोस को परिभाषित करना ।

३) बच्चों के अभिलेखों के संधारण हेतु इसके स्वरुप एवं प्रक्रिया का निर्धारण।

४) अशासकीय स्कूलों को मान्यता प्रदान करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी तथा प्रक्रिया तय करना।

५) शिक्षकों के वेतन भत्ते तथा सेवाशर्तों का निर्धारण।

६) State Commission for Protection of Child Rights- अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने की शिकायतों की जॉच करना तथा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना।

७) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की सलाह देने हेतु राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना – जिसमें अधिकतम १५ सदस्य हों।

८) प्रशिक्षित शिक्षकों की ही नियुक्ति करने हेतु नियम संशोधन राज्य स्तर पर करना । राज्य स्तर से ही हो कार्रवाई।

९) कक्षा ८ तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं लेना ।

१०) कक्षा ८ तक किसी भी स्तर पर बच्चों को शाला से बाहर नहीं करना ।

११) अशासकीय विद्यालयों में २५ प्रतिशत बच्चों के लिए फीस की प्रतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया तय करना, प्रावधान करना ।

१२) विद्यालय विकास की योजना बनाने की प्रक्रिया तय करना। इसके लिए शालाओं को प्रशिक्षित करना तथा विद्यालय को प्रतिवर्ष अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया तय करना ।

१३) विद्यालय से बाहर बच्चों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण करना ।

१४) शहरी क्षेत्र में स्थान का चिह्नांकन करना ।

१५) अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु प्रशासकीय मामले में वृद्धि करना ।

१६) प्रशासकीय मामले की क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था राज्य स्तर पर करना।

जिला स्तर पर विशेष ध्यान दिये जाने वाले बिन्दुः–

अधिनियम का व्यापक प्रचार और प्रसार

१) समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्रदान करना ।

२) जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों तथा गैर शासकीय संस्थाओं के साथ कार्यशाला का आयोजन ।

३) जिला एवं विकासखंड के समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों की शिक्षा का उन्मुखीकरण ।

४) जनशिक्षकों का उन्मुखीकरण।

५) ज़िला स्तर पर शिक्षा से संबंधित समस्त कार्यालयों में कंट्रोल रुम की स्थापना ।

६) प्रारंभिक स्तर पर गैर अनुदान प्राप्त/अनुदान प्राप्त विद्यालयों की प्रबंधकों का उन्मुखीकरण।

७) जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर शिक्षकों का उन्मुखीकरण।

आवश्यक कार्रवाई-I

१) घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से समुचित ग्राम शिक्षा रजिस्टर तैयार कराना

२) एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी का सत्यापन

३) विद्यालय वार नामांकन की पुष्टि एक टीम बनाकर कराना।

४) उपलब्ध अधोसंरचना की व्यवस्था।

आवश्यक कारवाई-II

१) अधिनियम के निहित मापदण्डों के अनुरुप प्रत्येक विद्यालय में वर्तमान स्थिति का आकलन करना।

२) स्कूल रिपोर्ट कार्ड में विद्यालय प्रमुख, जनशिक्षक एवं SMC से हस्ताक्षर कराना।

३) सभी ई–सर्विस बुक पूर्ण कराना।

४) विशेष रुप से शिक्षक छात्र अनुपात एवं अधोसंरचना से संबंधित मापदण्ड की आवश्यकताओं की पुष्टि कराना।

५) समस्त अटैचमेंट समाप्त करना। गैर शिक्षकीय कार्य में लगे, अन्यत्र संबद्ध समस्त शिक्षकों को १ अप्रैल के पूर्व उनके कार्यस्थल पर ज्वाइन कराना तथा समस्त अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देना कि भविष्य में किसी भी शिक्षक को गैर शिक्षकीय कार्य में नहीं लगाया जाए।

६) शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण हेतु जानकारी तैयार करना।

७) ऐसे स्थानों की पहचान (मेपिंग) कराना जहॉ एक किलोमीटर में कोई प्राथमिक शिक्षा की सुविधा एवं तीन किलोमीटर में कोई माध्यमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध न हो।

८) नियम प्रकाशन के पश्चात प्रत्येक प्राइवेट प्राथमिक एवं मिडिल विद्यालय के लिए नेबरहुड एरिया का आकलन करना। ऐसी विद्यालयों की सूची डाइस में उपलब्ध है।

९) ६ से १४ वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हेतु समस्त आवश्यक कार्रवाई करना।

१०) ६ से १४ वर्ष के ऐसे बच्चे जो अभी तक विद्यालय में दर्ज नहीं है, की पहचान करना ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

११) विद्यालय त्यागी एवं अनामांकित बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना – सर्वप्रथम ऐसे बच्चों को उनकी आयु के अनुरुप कक्षा में दर्ज कराकर उनके लिए आवासीय एंव गैर आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

१२) स्थानीय निकायों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके दायित्वों से अवगत कराना एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण मॉड्यूल में इसे अनिवार्यत: शामिल करना।

१३) ऐसी विद्यालय में जहॉ बच्चों के पठन–पाठन का स्तर ठीक नहीं है उनका प्रशिक्षण कराना। जन्म प्रमाणपत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इंकार नहीं करें।

समस्त शालाओं को निम्नानुसार सूचित करना

१) जन्म प्रमाणपत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इंकार नहीं करें।

२) विद्यालय में समस्त बच्चों को दर्ज कर उनकी शत प्रतिशत उपस्थिति एवं उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक ट्रेकिंग एवं मॉनिटरिंग करें।

३) प्रत्येक बच्चे द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

४) किसी भी शिक्षक द्वारा बच्चों को शारीरिक दण्ड अथवा मानसिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा अन्यथा उनके विरुद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

५) शिक्षकों को अधिनियम में निर्धारित अकादमिक उत्तरदायित्वों का पालन करना होगा।

६) किसी भी शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं दी जायेगी।

७) किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल (रोका) नहीं किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त समस्त प्राइवेट विद्यालयों को कार्यशाला कर एवं लिखित तौर पर निम्नानुसार सूचित कराएं –

१) उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा १२(१)(सी) के तहत वंचित वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर श्रेणी के २५ प्रतिशत बच्चों को कक्षा ०१ में अथवा स्कूल में प्रवेश देना अनिवार्य होगा।

२) विद्यालय से इसका विवरण भी प्राप्त करें कि क्या उन्हें शासन से अब तक भूमि, भवन अथवा उपकरण की सुविधा नि:शुल्क प्राप्त हुई है अथवा रियायती दरों पर प्राप्त हुई है।

३) किसी भी विद्यालय द्वारा केपीटेशन फीस लेने पर दण्डात्मक कार्रवाई होगी।

४) बच्चों के प्रवेश के लिए बच्चों अथवा उनके पालक का स्क्रीनिंग नहीं किया जायेगा अन्यथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

५) बिना मान्यता के कोई भी नवीन स्कूल प्रारंभ नहीं होगा। वर्तमान में स्थापित प्राइवेट विद्यालयों को तीन वर्ष में मापदण्ड पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

६) अनुदान प्राप्त विद्यालयों को सूचित करना कि उनके द्वारा उतने प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देना अनिवार्य होगा, जितने प्रतिशत अनुदान राशि उन्हें शासन से प्राप्त होती है।

७) नियम प्रकाशन उपरांत अनु.जाति, जनजाति एवं अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों के बाहुल्य क्षेत्रों में निजी विद्यालयों में भी प्रवेश की सुविधा का प्रचार प्रसार करना।

अपनी प्रगति की जाँच १

शिक्षा का अधिकार २००९ अधिनियम के बारे में चर्चा कीजिए |

.....

४.२.३ महिलाओं की शिक्षा

महिलाओं की शिक्षा का महत्व

१) वेदों और पुराणों में नारी शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है तथा उस पर बहुत जोर दिया गया है।

२) एक स्त्री शिक्षित होने पर वह पूरे परिवार को शिक्षित करती है।

३) स्त्री शिक्षा का हमारे मानव संसाधनों के पूर्ण विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है।

४) स्त्री शिक्षा से परिवारों का सुधार होता है।

५) शिक्षा का चरित्र के निर्माण मे अपना विशेष स्थान है।

६) घर की चाहर दीवारी के बाहर स्त्रियों का कार्य आज देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है।

समस्याएँ

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में स्त्री–शिक्षा के प्रसार पर अधिक बल दिया गया, फिर भी स्त्री शिक्षा के पूर्ण प्रसार में अनेक निम्नलिखित बाधाएँ आ रही हैं –

१) बाल विवाह की कुप्रथा:– हमारे देश में विशेषत: गॉवों में बाल विवाह कह प्रथा अधिक मान्य है। अत: बाल विवाह के कारण लड़कियों को विद्यालय जाने से रोक दिया जाता है।

२) पर्दाप्रथा:– पर्दा प्रथा से स्त्रियों को पर्दे में रखकर शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है।

३) रुढ़िवादिता:– रुढि वादिता के कारण अनेक बालिकाएँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।

४) जनता में व्यापक अशिक्षा या निरक्षरता:– हमारे देश में देखा जाये तो आधे से अधिक व्यक्ति अशिक्षित है। वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। वे बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा देना समय एवं धन का अपव्यय समझते हैं।

५) आर्थिक समस्या:– सबसे कठिन समस्या भारत में धन की है। बालिका विद्यालय खोलने में अत्यधिक धन व्यय होता है। इसलिए लड़कियों के लिये विद्यालय खोलना कठिन हो जाता है।

६) सरकारी उदासीनता:– सरकार के पास धन का अभाव होने के कारण वह अधिक से अधिक बालिका विद्यालय खोलने में असमर्थ है।

७) शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन:– १९३६–३९ के ऑकड़ों के अनुसार १००० लडकियों में से सिर्फ १४३ लडकियॉ ही चौथे वर्ग में पहुँच पाती थी। अन्य बालिकाओं की शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन अधिक था।

८) बालिका–विद्यालय का अभाव एवं सह–शिक्षा के विरोधी–बालिका विद्यालय वैसे तो भारत में कम ही है। फिर भी सह शिक्षा के लिये माता–पिता कट्टर विरोधी होते हैं। इसलिए बालिकायें शिक्षा नहीं ले पातीं।

९) प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का अभाव:– प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का अभाव होने के कारण स्त्री–शिक्षा में बाधा पहुँचती है।

१०) दोषपूर्ण शिक्षा–प्रशासन:– शिक्षा प्रशासन अधिकाधिक पुरुषों के हाथ में है। इसलिये वे स्त्री शिक्षा में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते।

११) ग्रामीण क्षेत्रों की अविकसित दशा:– ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कम होने के कारण गॉवों मे स्त्री शिक्षा का विकास कम होता है।

१२) धार्मिक कट्टरता:– अशिक्षित भारतीयों में धार्मिक कट्टरता अधिक होने के कारण स्त्री शिक्षा में बाधाऍ आती हैं।

महिलाओं के लिये विशेष शैक्षिक प्रावधान/योजनाऍ –

(१) ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड:– यह महिला शिक्षा की विशेष योजना है।

इस योजना के अंतर्गत संशोधित नीति निर्धारण में एक शर्त यह है कि भविष्य में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों में ५०% महिलाऍ होनी चाहिए।

(२) छात्रावास योजना:– छात्रावास योजना व्दारा अधिक से अधिक बालिकाऍ माध्यमिक शिक्षा से लाभ उठा सकेंगी।

(३) अनौपचारिक बालिका शिक्षा केन्द्र:– यह शिक्षा केंन्द्र केवल बालिकाओं के लिए है। इन्हे मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की ओर से ९० प्रतिशत सहायता दी जाती है।

(४) नवोदय विद्यालयों में लडकियॉ:– नवोदय विद्यालयों में बालिकाओं का दाखिला लगभग प्रतिशत तक सुनिश्चित हो रहा है।

(५) महिला साक्षरता अभियान:– महिला साक्षरता अभियान के अंतर्गत महिलाओं को पूर्ण अधिकार देने के उद्देश्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्योंकि देश में महिला साक्षरता दर पुरुषों से काफी कम है। अत: ऐसा प्रतीत होता है की पूर्ण साक्षरता अभियानों के अंतर्गत महिला अध्येता, पुरुष अध्येताओं को पीछे छोड़ जाऍगी।

(६) महिला उच्च शिक्षा:– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य और तकनीकी दृष्टि से महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों में असाधारण वृद्धि हुई है।

(७) महिला अध्ययन:– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों को महिला अध्ययन में अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(८) महिला समानता: महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा:–

१९८९ में शुरु हुआ महिला समस्या कार्यक्रम महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा और उनके सशक्तीकरण हेतु एक ठोस कार्यक्रम है। यह योजना नौ राज्यों के ६५ ज़िलों के लगभग १६००० गावों में चलाई जा रही है।

योजना के उद्देश्य:–

१) महिलाओं की छवि और उनके आत्मविश्वास को मजबूत करना।

२) ऐसा वातावरण तैयार करना जहॉ महिलाओं को वे सूचनाऍ और ज्ञान प्राप्त हो सके जो उन्हे समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने की शक्ति दे।

३) महिला संघो व्दारा गाँवों की शैक्षणिक गतिविधियो की सक्रियतापूर्वक निगरानी और मूल्यांकन का काम लेना।

४) विकेन्द्रीकृत और सहभागितापूर्ण प्रबंधन की व्यवस्था करना।

५) औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं और लडकियों की भागीदारी बढ़ाना है।

(९) महिला निरीक्षिका:– कार्यवाही योजना १९९२ में शिक्षा के कार्यक्रमों के निरीक्षण के लिए महिला कक्ष की स्थापना करने की व्यवस्था है।

(१०) योजना तन्त्र:– कार्यवाही योजना, १९९२ के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने, बालिकाओं की शिक्षा से सम्बद्ध नीतियों और कार्यक्रमों पर सरकार को सलाह देने और अनिवार्य सहायक सेवा के प्रावधान को सुनिश्चित और गति देने के लिए मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के शिक्षा विभाग ने महिला शिक्षा के लिये एक उच्चस्तरीय अन्तर मन्त्रालय समिति की भी व्यवस्था की है।

(११) स्त्री शिक्षा एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने महिला शिक्षा पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(१२) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना:–

इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग और अल्पसंख्याकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ ७५० विद्यालयों की व्यवस्था की गई है।

अपनी प्रगति की जाँच २

महिलाओं की शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाएँ बताइये|

.....

४.२.४ आदिवासियों की शिक्षा

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहॉ अनेक जन जातियों के लोग रहते हैं। ये लोग अनेक धर्म, संप्रदाय, प्रजाति,जाति एवं जनजाति से जुडे हुए है। यहॉ की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग ८.२ प्रतिशत भाग जन जातियों का है।

अनेक जनजातियॉ अभी भी अविकसित क्षेत्र मे निवास करती हैं। यहॉ सभ्यता और सुसंस्कृति अभी तक पहुँची नहीं है। यह जनजातियॉ आदिम युग का अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। देश की अधिकांश देश अपने प्रगति पथ पर है। परन्तु ये जनजातिया अभी भी विकास से वंचित रही है। जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, हरिजन एवं अनुसूचित जनजाति आदि नामों से पुकारा जाता है।

शैक्षणिक समस्याएँ:–

१) भारत में हर एक प्रदेश की अपनी बोली भाषा है। मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है इसलिये आदिवासियों को उनकी बोली भाषा में शिक्षा देना आवश्यक है।

२) शासकीय मान्यता न होने के कारण जनजातियों के बोलीभाषा में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराना कठिन होता है।

३) जनजातियों में प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं होते।

४) जनजातियों समाज रीति–रिवाज़ों, परम्पराओं, अंधश्रद्धा आदि के विचारों से ग्रसित होने के कारण शिक्षा के प्रति उदासिन है।

५) आदिवासी की बोली भाषा में विभिन्नता की होने के कारण उसका शब्दकोश उपलब्ध नहीं हो सकता।

६) आश्रमशाला, छात्रावास आदि सुविधाएँ शासन द्वारा दिए जाने के बाव़जूद आदिवासी विद्यार्थी उसकी ओर आकर्षित नहीं होता।

भारत सरकार ने जनजातियों के लिए अनेक सुविधाएँ दे रही है। फिर भी जनजातिय बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त नही होता जिसके निम्न कारण हैं –

१) जनजातियों का सामाजिक पिछडापन।

२) पालकों के स्थिर व्यवसाय का अभाव।

३) परिवार में बच्चों की अधिक संख्या।

४) पालकों का अशिक्षित होना।

५) योग्य संस्कार का अभाव।

६) शिक्षा का महत्व न समझना।

७) पालकों की कमजोर आर्थिक स्थिति।

८) आसपास शिक्षा की सुविधा उपलब्ध न होना।

९) पाठयक्रम जनजातियों की बोलीभाषा में न होना।

जनजातीय शिक्षा की प्रगति के उपाय:–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, १९८६ में जनजातियों की शिक्षा के लिये निम्न उपाय बताए गए हैं –

१) जनजातियों की बोली भाषा में पाठयक्रम का निर्माण करना तथा पाठय–सामग्री का निर्माण करना।

२) जनजातियों के लिए छात्रावास तथा आश्रमशालाओं की स्थापना करना।

३) जनजाति परियोजना विभाग में प्राथमिक विद्यालयों की शुरुआत करना।

४) जनजातियों की संस्कृति को ध्यान में रखकर पाठयक्रम सुनिश्चित करना।

५) छात्रवृत्ति आदि योजनाओं के द्वारा जनजातियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।

६) जनजातीय क्षेत्रों में अनौपचारिक तथा प्रौढ शिक्षा केंद्र शुरु कराना।

शैक्षणिक सुविधाएँ:–

१) शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पथप्रदर्शन केन्द्र:–

अनुसुचित जातियों और जनजातियों को रोजगार में सहायता देने के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र (Pre examination training centre) तथा शिक्षण व पथ प्रदर्शन केंद्र (Coaching cum-guidance centres) प्रारंभ किये गये हैं।

२) छात्रवृत्तियाँ:– अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उनके संरक्षकों की आय के आधार पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती है। मैट्रिक के उपर के छात्रों के लिए १००० रु. और छात्राओं के लिए १,२०० रु. प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है।

३) छात्रावास:– अनुसुचित जनजाति के छात्राओं के लिए नये बालिका छात्रावास बनाये गए हैं, जिससे शिक्षा प्राप्त कर रही जनजातीय बालिकाओं को आवास सुविधा प्राप्त हो सके।

४) बुक बैंक योजना:– विद्यार्थियों की सुविधा हेतु यह योजना शुरु की गई है। मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठयक्रमों हेतु शुरु की गई इस योजना में कृषि, पशु–चिकित्सा और अन्य टेक्निकल पाठयक्रमों को भी शामिल किया गया है।

५) जनजाति उपयोजना:– १९९०–९१ से ही जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल खोलने की योजना प्रारंभ की गई है। इसमें ५०% खर्च केंद्र सरकार देती है तथा ५०% राज्य सरकारे।

६) जनजातीय क्षेत्रों मे व्यावसायिक प्रशिक्षण:– १९९२–९३ से केंद्र ने जनजातीय क्षेत्रों मे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना प्रारंभ की है।

७) जनजातीय विद्यार्थीयों की योग्यता बढाना:– जनजातीय विद्यार्थियों की योग्यता बढ़ाने के लिए ९ वीं से १२ वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सुधारात्मक और विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

८) कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा की योजना:–

इस योजना के अंतर्गत पांचवीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है। यह योजना स्वयंसेवी संगठनों, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा चलाई जा रही है। यह १९९३–९४ से उन क्षेत्रों में प्रारंभ की गई है, जहाँ स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत दो से भी कम है।

९) विदेशों में पढ़नेवाले छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ:– सत्र १९५५ से ही विदेशों में पढ़नेवाले अनुसूचित जातियों व जनजातियों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तिया दी जा रही है। यह छात्रवृत्ति प्रति वर्ष अनुसूचित जनजातियों के ६ छात्रों को दी जाती है।

शिक्षा की गुणवत्ता:–

स्वतंत्रतापूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में शिक्षा पर अनेक आयोग बिठाये गये इन आयोगो ने शिक्षा की दृष्टि से अनेक सिफारशें कीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में शिक्षा ग्रहण करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। देश की शिक्षा व्यावहारिक जीवन से संबंधित नहीं होने के कारण केवल उनकी संख्या में ही वृद्धि हुई परंतु शिक्षा की गुणवत्ता में कमी हो गई। इसके कारण निम्नलिखित हैं –

१) देश में विद्यालयों का विस्तार हुआ है, परंतु उसके लिए भौतिक एवं मानवीय घटक उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।

२) कक्षाओं में छात्रों की संख्या प्रतिदिन बढ़ने के कारण शिक्षक व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं कर सकता।

३) अधिक विद्यार्थियों की संख्या के कारण अभ्यासपूरक कार्यक्रमों का आयोजन करना कठिन होता है।

४) शिक्षकों के शैक्षणिक स्तर में गिरावट आ गई है।

५) विद्यालय भवन की जगह छोटी पड़ने लगी है तथा उसका विस्तार भी संभव नही हो पाता है। इस कारण से प्रशासन में एकरुपता नहीं आती है।

६) विद्यालय की जाँच एवं पर्यवेक्षण करते समय शैक्षणिक मार्गदर्शन करना, शैक्षणिक विकास के नियोजन में सहायता देना आदि बातों की तरफ पर्यवेक्षक ध्यान नही दे सकता है।

७) शिक्षक अपना कार्य मन से नहीं करते हैं।

८) शिक्षकों का शालेय कार्यक्रमों में सहभागिता कम दिखाई देती है।

९) विद्यार्थी संख्या अधिक होने के कारण अनुशासन बनाये रखना तथा विद्यार्थियों की ओर ठीक से व्यक्तिगत ध्यान देना संभव नही होता।

१०) अध्यापन पुस्तकीय होता है। व्यावहारिक जीवन से उसका कोई संबंध नहीं है।

११) केवल परीक्षा में पास होना ही विद्यार्थियों का उद्देश्य होता है, जिससे विद्यालय में अध्ययन करने में कम रुचि दिखाते हैं।

१२) शिक्षा की उपयुक्तता कम हो गई है।

उपाय:–

१) माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता के विकास पर अधिक ज़ोर दिया जाना चाहिए।

२) माध्यमिक शिक्षा स्तर पर बड़े पैमाने में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश किया जाना चाहिए।

३) माध्यमिक स्तर पर विविध प्रकार के पूर्णकालिक तथा अंशकालिक व्यावसायिक पाठयक्रम प्रारंभ करना चाहिए।

४) माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई में कमज़ोर विद्यार्थियों को ज़्यादा समय तक अध्ययन करवाना चाहिए।

५) विद्यालय में विद्यालय समूह योजना का आयोजन करना चाहिए जिससे शिक्षकों की समस्याओं को सुलझाया जा सके।

६) विद्यार्थियों की अध्ययन विषयक समस्याओं का पता लगाकर उसका निदान करना चाहिए।

७) अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया को उत्साहवर्धक तथा रोचक बनाने के लिए विविध प्रयोग करने चाहिए।

८) विद्यालय में विविध शालेय कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए।

९) शिक्षक को अध्यापन पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

अपनी प्रगति की जाँच ३

आदिवासियों की शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाएँ बताईये|

.....

४.२.५ प्रगतिशील स्कूल

बुनियादी शिक्षा –

आनंद निकेतन स्कूल गांधीजी की बुनियादी शिक्षा पर आधारित स्कूल है।

वर्धा योजना की रुप रेखा (**Outline of wardha scheme**)– बेसिक शिक्षा योजना अथवा वर्धा योजना की रुपरेखा इस प्रकार है।

१) बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि ६ वर्ष की है।

२) यह शिक्षा ७ से १४ वर्ष तक के बालको एवं बालिकाओ के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य है।

३) पाठ्यक्रम में अंग्रेज़ी का कोई स्थान नहीं है।

४) शारीरिक कार्य पर बल दिया जाता है ताकि बालक सीखे हुए हस्तकार्य के द्वारा अपना जीविकोपार्जन कर सके।

५) बालकों द्वारा निर्मित वस्तुएँ ऐसी होनी चाहिए जिनका प्रयोग किया जा सकता हो या चीज़ों को बेचकर विद्यालय का कुछ खर्च चलाया जा सके।

६) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है।

७) शिक्षा का बालक के गृह, ग्राम एवं जीवन से उसके ग्राम के उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसायों से घनिष्ठ संबंध होता है।

८) शिल्पीय ज्ञान बच्चों को इस प्रकार दिया जाता है कि बालक उसके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व से भलीभांति परिचित हो जाते हैं।

९) संपूर्ण शिक्षा का संबंध किसी आधारभूत शिल्प (Basic craft) से होता है।

१०) शिल्प को बालकों की योग्यता और स्थान की आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखकर चुना जाता है।

बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम (curriculum of basic education) –

बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय निर्धारित किये गये–

१) मातृभाषा २) गणित ३) हिन्दी–जहॉ यह मातृभाषा नहीं है,

४) कला, संगीत और चित्रकला ५) सामान्य विज्ञान

अ. जीव विज्ञान ब. रसायन शास्त्र स. वनस्पति विज्ञान द. स्वास्थ्य विज्ञान

इ. प्रकृति अध्ययन ई. नक्षत्रों का ज्ञान

उ. महान अन्वेषकों और वैज्ञानिकों की कहानियॅा।

६) शारीरिक शिक्षा–खेलकूद एवं व्यायाम

७) सामाजिक अध्ययन (इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र)

८) आधारभूत शिल्प– निम्नलिखित में से कोई भी एक विषय

१) कृषि २) लकड़ी का काम ३) कताई–बुनाई

४) मिट्टी का काम ५) चमड़े का काम ६) लकड़ी का काम

७) पुस्तक का काम (कागज़ एवं कार्ड बोर्ड का काम)

८) फल एवं सब्ज़ी की बागबानी

९) गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिए)

१०) भौगोलिक एवं स्थानीय आवश्यक्ताओं के अनुकूल कोई अन्य उपयुक्त एवं शिक्षाप्रद हस्तशिल्प.

बुनियादी विद्यालयों की समय–सारिणी

विषय	समय
१) आधारभूत शिल्प	३ घण्टे, २० मिनट
२) मातृभाषा	४० मिनट
३) संगीत, चित्रकला एवं गणित	४० मिनट
४) सामाजिक अध्ययन एवं समान्य विज्ञान	३० मिनट
५) शारीरिक शिक्षा	१० मिनट
६) अल्पावकाश	१० मिनट

कुल समय ५ घंटे, ३० मिनट

पाठ्यक्रम की विशेषताएँ

पाठ्यक्रम की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं–

१) शिक्षा का माध्यम–मातृभाषा है परंतु राष्ट्र–भाषा हिन्दी का अध्ययन सभी बालकों एवं बालिकाओं के लिए अनिवार्य है।

२) पाठ्यक्रम में अंग्रेजी एवं धर्म का कोई स्थान नहीं है।

३) पाँचवीं कक्षा तक बालकों एवं बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम है तथा सह–शिक्षा है।

४) पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष है।

५) पाँचवीं कक्षा के बाद बालकों एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक विद्यालयों की व्यवस्था हैं

६) छठी एवं सातवीं कक्षाओं में बालिकायें आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृहविज्ञान ले सकती हैं।

७) सातवीं और आठवीं कक्षाओं में संस्कृत, वाणिज्य आधुनिक भारतीय भाषाओं आदि शिक्षा की व्यवस्था है।

बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत (Principles of Basic Education)

१) नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा (Free and Compulsory Education)

२) हस्तशिल्प की शिक्षा (Training of Hand Craft)

३) जनसाधारण की शिक्षा (Education of the Masses)

४) शारीरिक श्रम (Manual Labour)

५) स्वावलंबी शिक्षा (Self Supporting Education)

६) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा (Mother tongue as a medium of instruction)

७) सामाजिक शिक्षा (Social Education)

बुनियादी शिक्षा के गुण एवं विशेषताएँ (Merits and Characteristics of Basic Educaiton)

१) शिल्प व्दारा शिक्षा (Education Through Craft)

२) बालक प्रधान शिक्षा (Child Centred Education)

३) बालक एवं शिक्षक की स्वतंत्रता (Independence of Child and Teacher)

४) शारीरिक श्रम का सम्मान (Dignity of Labour)

५) क्रिया प्रधान शिक्षा (Activity Based Education)

६) मनोवैज्ञानिक आधार (Psychological Basis)

७) आर्थिक आधार (Economic Basis)

८) ज्ञान की अखण्डता (Unification of Knowledge)

९) घर, स्कूल एवं समाज में सामंजस्य (Harmony Between Home,School and Society)

१०) सामाजिक आधार (Social Basis)

११) बालक का आध्यात्मिक विकास (Spiritual Development of Child)

१२) समवादी शिक्षण विधि (Correlated Method of Teaching)

प्रगतिशील विद्यालय – (आनंद निकेतन)

आनंद निकेतन, विद्यालय जुलाई २००५ को सेवाग्राम में शुरु हुआ। यह विद्यालय इस विश्वास से शुरु हुआ कि गांधी जी के विचार ७५ वर्ष पहले जितने महत्वपूर्ण और उपयुक्त थे उतने आज भी है।

तत्वज्ञान:–

आनंद निकेतन का उद्देश्य बच्चों का संपूर्ण विकास करना है। गांधीजी के अनुसार बच्चे के शरीर मन और दिमाग का विकास होने पर उनका संपूर्ण विकास हो पाता है। आनन्द निकेतन का दूसरा उद्देश्य एक अच्छा नागरिक बनाना भी है जो आगे जाकर देश की सेवा कर सके।

आनंद निकेतन शिक्षा के परिवर्तनीय भूमिका पर विश्वास रखता है क्योंकि शिक्षा जीवन जीने के लिये तैयार करती है। शैक्षणिक प्रक्रिया भी जीवन में शामिल होनी चाहिए।

यह प्रयोग क्यों?

वर्तमान परिस्थीतियों में जो शिक्षाप्रणाली शुरु है वह बेहद नीरस है और उससे नीरस व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। यह शिक्षाप्रणाली बच्चे के नैसर्गिक स्वभाव की तरफ भी ध्यान नही दे रही है। इसलिए यह शिक्षा प्रणाली न व्यक्ति के लिये और न ही समाज के लिये कुछ कर पा रही है।

इसलिये इस समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उपभोक्ता संस्कृति के बढ़ने से अनेक समस्यायें पैदा हुई हैं। बुद्धिजीवी समाज और शारीरिक कामगारों के बीच बहुत बडी खाई बन गयी है। इस खाई को कम करना बेहद आवश्यक है। इन सबको कम करने के लिये शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

आनंद निकेतन की रचना –

अनेक समाजसेवी संगठन ने गांधीजी के इस शैक्षणिक प्रयोग में योगदान करने के लिये हाथ बढाया जो निम्नलिखित है –

१) सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान, सेवाग्राम

२) महिला आश्रम, वर्धा

३) शिक्षण मंडल, वर्धा

४) ग्राम मंडल, वर्धा

५) सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुंबई

६) जमनालाल बजाज फाउंडेशन वर्धा

७) चेतना विकास, वर्धा

विद्यालय के बारे में जानकारी

आनंद निकेतन विद्यालय पूर्णत: गांधीजी की नई तालीम से चलता है, जहॉ पर अभूतपूर्व प्रयोग किये जाते है। यहॉ का परिसर बेहद शांत, आनंदपूर्ण और हरियाली से पूर्ण और प्रदूषण से दूर है, जहॉ पर बच्चे आनंदपूर्ण वातावरण में अपना कार्य करते है।

वर्तमान में यहॉ पर ३ प्राथमिक शिक्षा के और ५ पाचवीं कक्षा के वर्ग है, जहॉ पर १६० विद्यार्थी पढ़ते हैं। हर साल कक्षा का एक एक स्तर बढता जाता है। NCERT ने आनंद निकेतन को Heritage School का दर्जा दिया है।

राजघाट बेसेंट स्कूल

" ---In our relationship with children and young people] we are not dealing with mechanical devices that can be quickly repaired] but with living beings who are impressionable] volatile] sensitive] afraid] affectionate; and to deal with them we have to have great understanding] the strength of patience and love--- " **-- J- Krishnamurti**

कृष्णमूर्ति

फाउंडेशन ऑफ इंडिया का राजघाट शिक्षा केन्द्र जाने–माने शंकराचार्य और धार्मिक शिक्षक जे.कृष्णमूर्ति द्वारा 1928 में स्थापित किया गया । यह वाराणसी के प्राचीन तीर्थ शहर के बाहरी इलाके में गंगा के संगम की ओर प्रवेश द्वार ,पेड़ों से युक्त एक सुंदर 300 एकड़ के परिसर में स्थित है। कृष्णमूर्ति की शिक्षा के बारे में उनकी दृष्टि के आलोक में यह केन्द्र कार्य करता है।

इसमें निम्नलिखित इकाइयाँ सम्मिलित हैं–

राजघाट बेसेंट स्कूल– यह आवासीय, सहशिक्षा, अंग्रेजी माध्यम, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है जिसमे 7 वर्ष से 18 वर्ष तक के लगभग 350 छात्र अध्ययनरत है । महिलाओं के लिए वसंत कॉलेज है जिसमे 1000 छात्रायें बीए, B.Com और बी.एड. पाठ्यक्रम में पढ रही है । इस परिसर के अन्दर वसंताश्रम नामक एक छात्रावास है । कृष्णमूर्ति अध्ययन केंद्र कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं का अध्ययन करने हेतु वयस्कों के लिए सुविधाएं प्रदान करता है।

राजघाट ग्रामीण सेंटर पड़ोसी गांवों में रहने वाले बहुत ही गरीब ग्रामीणों को निशुल्क शिक्षा,स्वास्थ्य की देखभाल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता हैं।

ऋषि वैली शिक्षा केन्द्र

ऋषि वैली शिक्षा केन्द्र कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, भारत द्वारा चलाया जाता है। यह आंध्र प्रदेश,के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र में स्थित है जो मदनापल्ले शहर से लगभग 15 किमी दूर है ।

राजघाट स्कूल वरुण के पूर्वी तट और गंगा के उत्तरी तट पर स्थित 125 एकड़ जमीन पर स्थित एक परिसर है । जिसे सन 1934 में, जे कृष्णमूर्ति के एक करीबी सहयोगी श्री.अच्युत पटवर्धन द्वारा स्थापित किया गया । इसे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन भारत का दूसरा सबसे पुराना स्कूल होने का गौरव प्राप्त है । राजघाट बेसेन्ट स्कूल सी.बी.एस.ई.बोर्ड,नई दिल्ली से सम्बंधित एक आवासीय, सह शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है।

इस स्कूल में जो विधानसभा हॉल है वह वास्तुकार सुरेन्द्र कुमार ने डिजाइन किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा वसंत पंचमी के दिन इस स्कूल का उद्घाटन किया गया । यहाँ विभिन्न प्रतिष्ठित लोग जैसे दलाई लामा आदि ने भी कई बार दौरा किया है । स्कूल में विभिन्न सामाजिक,सांस्कृतिक परम्पराओं तथा संगीत का आयोजन छात्रों द्वारा किया जाता है। वार्षिक खेल दिवस आमतौर पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित किये जाते हैं। सन 1953 में श्री.कृष्णमूर्ति के करीबी अच्युत पटवर्धन ने स्कूल से सटे क्षेत्र का विस्तार किया । गाँव में एक अस्पताल,दो ग्रामीण स्कूल,(लड़कों एवं लड़कियों के लिए), और राजघाट ग्रामीण केंद्र की स्थापना की । जहाँ पर सभी सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जाती हैं । स्कूल प्रत्येक बच्चे का समग्र विकास करता है । इस परिसर में फैले ग्यारह अलग अलग घरों में रहने वाले 7 से 10 वर्ष के उम्र के लगभग 350 छात्र हैं द्य

शैक्षिक कार्यक्रम तीन स्तरों में बांटा गया है ।

१) 7 से 10 वर्ष –मध्य स्कूल

२) 11 से 13 वर्ष –सिनिअर स्कूल

३) कक्षा 9 से 12 के लिए आनंद स्कूल

स्कूल में छात्रों के लिए कर्मचारियों की उपलब्द्रता अनुपात 1#7 है ।

स्कूल में खेल और योग,जिम्नास्टिक ,कला,संगीत,नृत्य,बागबानी,कंप्यूटर और साहित्यिक कौशल की शिक्षा भी छात्रों के योग्यतानुसार दी जाती है ।

विद्यालय में निम्नलिखित इकाइयां प्रमुख हैं ⊢

1) ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय – इसमें 3 से 13 साल के लगभग 400 ग्रामीण बच्चे शिक्षा ले रहे हैं । यहाँ पर 20 शिक्षक कार्यरत हैं।

2) राजघाट बेसेन्ट स्कूल – यह वरिष्ट माध्यमिक विद्यालय है । इसमें 7 से 18 वर्ष तक के लगभग 350 छात्र–छात्राएं अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं ।

3) महिलाओं के लिए वसंत कॉलेज – यह कॉलेज लगभग 1000 छात्राओं को बी.कॉम. एवं बी.एड.की शिक्षा उपलब्ध कराता है । इसमें वसंताश्रम नाम से एक छात्रावास भी है जिसमे लगभग 130 छात्राएं रह सकती है । वसंत कॉलेज मूल रुप से सिर्फ महिलाओं के लिए स्थापित है ।

4) कृष्णामूर्ति अध्ययन केंद्र और रिट्रीट दृ यह केंद्र कृष्णामूर्ति की शिक्षा का अध्ययन करने के लिए छात्रों को सुविधाएँ प्रदान कराता है । इच्छा रखने वाले दर्शको के लिए आवास उपलब्ध कराता है ।

5) राजघाट ग्रामीण केन्द्र– यह केंद्र गाँव में रहनेवाले बहुत–से गरीब लोगो को नि:शुल्क शिक्षा,स्वास्थ्य देखभाल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कराता है।

6) उत्तर काशी रिट्रीट– यह केंद्र हिमालय में कृष्णामूर्ति रिट्रीट सेंटर शांत रहने और स्वयं जाँच के लिए सुविधा प्रदान करता है ।

7) संजीवन अस्पताल –यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के रुप में कार्य करता है । जो एक बारह पलंगवाला ग्रामीण अस्पताल है । अस्पताल में दो डॉक्टर, एक प्रयोगशाला तकनीशियन,एक कम्पौंडर और एक नर्स है । यहाँ पर नि:शुल्क दवाएँ मिलती हैं। स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम,विशेष रुप से टी.बी. और एड्स की रोकधाथाम के लिए भी अग्रेसर है ।

शिक्षक–शिक्षक बातचीत

ऋषि घाटी में, शिक्षक संकाय बैठकों, विशेष स्टाफ बैठकों, और बीस मिनट की सुबह चाय–ब्रेक के दौरान औपचारिक रुप से मिलते है और बातचीत करते हैं ।

ऋषि वैली शिक्षा केन्द्र के संरक्षण कार्य निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित है –

1) जल संरक्षण

2) बंजर पहाड़ी ढलानों पर पेड़ लगाना

3) मिट्टी और नमी संरक्षण और बंजर भूमि विकास

4) वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग

अपनी प्रगति की जाँच 4.

प्रगतिशील विद्यालयों का वर्णन कीजिए।

4.3 सारांश

वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाये तो शिक्षा में अनेक तरीकों से बदलाव दिखाई देते हैं । इसका परिणाम शिक्षा की गुणवत्ता पर भी हुआ है । शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के बाद यह बदलाव देखे जा सकते हैं ।महिलाओं की शिक्षा और आदिवासियों की शिक्षा यह इन्हीं बदलाओं का परिणाम है । अनेक प्रगतिशील विद्यालय भी इनमे शामिल है । जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती ही जा रही है।

4.4 अपनी प्रगति की जाँच के लिए अपेक्षित उत्तर

अपनी प्रगति की जाँच 1 उत्तर –अध्याय 4.2.2 देखे ।

अपनी प्रगति की जाँच 2 उत्तर –अध्याय 4.2.3 देखे ।

अपनी प्रगति की जाँच 3 उत्तर –अध्याय 4.2.4 देखे ।

अपनी प्रगति की जाँच 4 उत्तर –अध्याय 4.2.5 देखे ।

4.5 शब्दावली

शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा अधिकार अधिनियम, प्रगतिशील विद्यालय

4.6 कार्य आवंटन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में चर्चा कीजिए।

4.7 क्रियाएँ

महिलाओं की शिक्षा के बारे में विविध योजनाएँ बताईये।

4.8 प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)

शिक्षा के समकालीन विमर्शों के बारे में चर्चा कीजिए ।

4.9 सन्दर्भ पुस्तकें

1) शैक्षिक प्रबंध और शिक्षा की समस्यायें – सुरेश भटनागर,डॉ.कमला वशिष्ठ,एम.के.सिंह

2) शिक्षा के समाजशास्त्र आधार – डॉ.सावित्री माथुर,डॉ.सतीश शर्मा,प्रो.जे.सी.सिन्हा.

3) शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन – डॉ.आर.ए.शर्मा

4) .विद्यालय प्रशासन एवं संगठन–डॉ.सतीश कुमार

5) अध्यापक शिक्षा–डॉ.जी.सी.भट्टाचार्य

6) मानक शिक्षा दर्शन एवं शैक्षिक समाजशास्त्र–डॉ.हरिवंश तरुण

7) .शैक्षिक प्रबंधन एवं विद्यालय एवं संगठन–डॉ.पुष्पलता कुशवाह,डॉ.कनक सक्सेना

8) .स्कुल प्रबंध,सुचना तथा सम्प्रेषण तकनीकी – जे.सी.अग्रवाल